खण्ड-227, अंक-1
शुक्रवार, 26 कार्तिक, शक संवत् 1883
(17 नवम्बर, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 227 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३७
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	३७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां (मेज पर रखी गयीं)	८
उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५९–६० तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६१ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	३८–४०
उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया) ..	४०–४२
विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	४२
तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४२–४५
बार्डर डिवीजन-झूलाघाट व जौलजीवी स्थानों से कारतूस, सीमेन्ट, लोहा इत्यादि सामान चीन को भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४५–४७
यू० पी० जेल्स के सितारगंज फार्म का गन्ना सस्ते दाम पर बेचे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४७–५४
श्री उल्फतसिंह द्वारा जनसंघ दल की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना	५४
वोट आन एकाउन्ट से सम्बन्धित श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाए गये प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	५४
२१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न ८–९ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५५
२८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न ९–१० के सम्बन्ध में श्री मोती लाल अवस्थी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन ..	५५
२३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न ६–७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५५
२९ अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४–५ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५५
१९ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५५–५६
प्रदेश में गन्ने की पेराई की समस्या के सम्बन्ध में विवाद	५६–७५
तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	७५–८१
नत्थियां	८२–९६

विषय			पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण-व्यय ..	(स्वीकृत)	..	१९२
अनुदान संख्या ४२--अनुसूचित और पिछड़ी जातियां	(स्वीकृत)	..	१९२
अनुदान संख्या ४३--समाज कल्याण ..	(स्वीकृत)	..	१९२
अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण	(स्वीकृत)	..	१९३
अनुदान संख्या ४५--वनों पर पूंजीगत लागत	(स्वीकृत)	..	१९३
अनुदान संख्या ४६--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (अधिष्ठान व्यय सम्मिलित नहीं हैं) ..	(स्वीकृत)	..	१९३
अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत	(स्वीकृत)	..	१९३
अनुदान संख्या ५१--सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजीगत लागत	(स्वीकृत)	..	१९३
अनुदान संख्या ५४--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	(स्वीकृत)	..	१९३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ (विचारोपरान्त पारित)		..	१९४-२०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

RA
3047

उत्तर प्रदेश विधान सभा

132-58

शुक्रवार, १७ नवम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)

महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
मह वीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री

रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री

शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

नोट--स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, तथा श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, भी उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १७ नवम्बर, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बांदा जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स का स्थानान्तरण करने की प्रार्थना

१--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले में कितने डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं जिन्हें १० वर्षों से अधिक बांदा जिले में हो गये हैं और वे अब तक वहां से क्यों नहीं हटाये गये हैं ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उनमें कितने बांदा जिले के ही रहने वाले हैं और उन्हें वहां क्यों रखा जा रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--कोई नहीं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या यह सही है कि बांदा जिले में जो इस वक्त डिप्टी इंस्पेक्टर आफ़ स्कूल्स हैं और जो किसी विधायिका के पति भी हैं वह वहां पर दस वर्ष से विभिन्न पदों पर रह रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस समय जो डिप्टी इंस्पेक्टर बांदा में हैं वह ९ फरवरी, १९६० से वहां डिप्टी इंस्पेक्टर हैं । इससे पहले वे सब-डिप्टी इंस्पेक्टर थे और वे झांसी जिले के निवासी हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि वह निश्चित रूप से बांदा में ही बहुत दिनों से रह रहे हैं और बांदा में ही उनकी शादी वगैरह भी हुई है और तब से बराबर उसी जिले में विद्यमान है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, विवाह में सम्मिलित होने का तो मुझे अवसर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु यह सही है कि सन् १९६० से पेश्तर वे सब-डिप्टी इंस्पेक्टर उस जिले में थे।

श्री अध्यक्ष---क्या दस वर्ष से हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---दस वर्ष से ज्यादा से हैं, सन् १९४५ से हैं; और कोई प्रतिबन्ध नहीं है सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स की अपने जिले में नियुक्ति पर जबकि इस वक्त जो डिप्टी इंस्पेक्टर हैं वे झांसी जिले के रहने वाले हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुये चूंकि वह विधायिका उसी जिले से उठा करती हैं जिस जिले में जो इस वक्त डिप्टी इंस्पेक्टर हैं उन्हें इस वक्त फौरन स्थानान्तरित करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---विचार तो, श्रीमन्, नहीं कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बांदा जिले में जो डिप्टी इंस्पेक्टर्स हैं उनमें से कितने पांच वर्ष से अधिक से वहां पर हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से तो यह सज्जन सन् १९६० से हैं और मैंने यह बताया कि उससे पहले वे सब-डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से थे। जो सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स हैं वे भिन्न-भिन्न तारीखों में वहां आये, कोई १९५९ में आया, कोई १९६० में आया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सरकार को एक नहीं दो, तीन, चार पत्र हमने लिखे हैं कि वहां से यह शिकायत है कि ये सरकारी अधिकारी महोदय अपनी पत्नी के निर्वाचन में काम करते हैं और अध्यापकों से काम लेने के लिये उन्हें बाध्य करते हैं, इसलिये उनका ट्रांसफर कर दिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, पिछला निर्वाचन तो सन् १९५७ में हुआ था। दूसरा चुनाव अभी हुआ नहीं है, होगा। कुछ शिकायतें जो इनके बारे में आयी हैं उनके बारे में डिप्टी डायरेक्टर जांच कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---स्पष्ट मेरा प्रश्न है कि शिकायत भेजने वाला मैं स्वयं हूं। मैंने मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया.....

श्री अध्यक्ष---कब ?

श्री राजनारायण---४, ६ महीने पहले कि इनका ट्रांसफर वहां से हो जाना चाहिये क्योंकि इनके वहां रहने से निर्वाचन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता में बाधा पड़ रही है। तो सरकार ने इस पर अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, शिक्षा विभाग के.....

श्री अध्यक्ष---आपके पास उनकी कोई शिकायत आयी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ शिकायतें आयी थीं, वे तो डिप्टी डायरेक्टर के पास भेज दी गयीं। श्री राजनारायण जी की कोई शिकायत आयी या नहीं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी उन कारणों को बतायेंगे जिनकी वजह से सरकार उन डिप्टी इंस्पेक्टर को वहीं रखने पर उतारू हैं जबकि उनकी पत्नी वहां से चुनाव में खड़ी होंगी ?

श्री अध्यक्ष—वह सदस्या हैं क्या ?

श्री मदन पांडेय—जी हां, हैं और आगे भी उम्मीदवार होंगी ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, १९६२ के चुनाव में कौन उम्मीदवार होगा, यह अभी तय नहीं है । लेकिन प्रदेश भर में ऐसे कितने ही सज्जन होंगे जिनकी देवियां.....

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि आप विचार भी करेंगे इस विषय पर ।

श्री रामस्वरूप यादव—अब प्रश्न आ गया है तो विचार भी कर लेंगे ।

छात्रों को साम्प्रदायिक संघटनों से अलग रखने का सुझाव

**२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार छात्रों को साम्प्रदायिक संगठनों से अलग रख कर उन्हें शुद्ध भारतीय विचारों का पोषक बनाया जा सके ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगुलकिशोर)—जी नहीं ।

**३—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

आचार्य जुगुलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता ।

केंद्रीय कारागारों में अधीक्षकों के रिक्त पद

**४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)— क्या आबकारी मंत्री बताने की क़ृपा करेंगे कि ३० नवम्बर, सन् १९६१, को जिला जेलों के सुपरिन्टेन्डेंटों में से ही सेन्ट्रल जेल के सुपरिन्टेंडेंट पद के लिये पदोन्नति की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसे कितने पद रिक्त हैं जिनकी पूर्ति की जायेगी और इस पदोन्नति का आधार क्या है ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु चुनाव की अभी कोई तिथि लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित नहीं की गई है । किन्तु २ स्थायी एवं ३ अस्थायी पदों के लिये चुनाव करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजा गया है । यह पदोन्नति योग्यता (merit) के आधार पर की जायेगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय कारागार के अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और उन सभी पदों को भर्ती विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा की जायगी या बाहर के लोगों को भी आमंत्रित किया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि अधीक्षकों के २ परमानेंट पद और तीन टैम्पोरेरी पद रिक्त हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उनका चुनाव होगा । पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई मेम्बर या चेयरमैन उस सेलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष का पद ग्रहण करेगा । इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी होम तथा आई० जी० प्रिजन्स इसके मेम्बर होंगे ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि केन्द्रीय कारागार के अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं और क्या उन सभी पदों की पूर्ति विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति करके की जायगी या बाहर के लोगों को भी आमंत्रित किया जायगा । इसका जवाब नहीं मिला ।

डाक्टर सीताराम—श्रीमन्, प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि अधीक्षकों के दो परमानेंट और तीन टेम्पोरेरी पद रिक्त हैं और उन पर बाहर के लोगों को लेने का प्रश्न नहीं उठता है। विभाग के वे कर्मचारी जो क्लास टू में काम कर रहे हैं, चाहे वे आफिशियेटिंग हों या परमानेंट हों, उनमें से मैरिट के लिहाज से चुनाव किया जायगा।

मिर्जापुर में गंगा नदी के पुल की आवश्यकता

*५—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर में गंगा को पुल के निर्माण के लिये सन् १९५९ से १९६१ के बीच किन-किन विधायकों ने लिखित व मौखिक अनुरोध सरकार से किया और सरकार ने उक्त पुल का निर्माण करने का लक्ष्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में रखा है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रथम भाग—श्री राम कृष्ण और श्री अजीज इमाम।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि मिर्जापुर में गंगा नदी पर पुल बनाने की इसलिये आवश्यकता है कि उस पर आवागमन जरूरी है और बरसात में सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, इस पर पुनः विचार करके निश्चय करने का कष्ट करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, तृतीय पंचवर्षीय योजना में पुलों के लिये १०५ लाख रुपया निर्धारित है और आज की स्थिति में यह है कि छोटे-छोटे पुल बनाये जायं। इस लिये गंगा पर पुल बनाने की लो प्रायोरिटी है। मैं यह मान सकता हूं कि वहां पर जितनी जल्द पुल बनाया जाय उतना ही अच्छा है, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये रुपये का प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या यह सही है कि मिर्जापुर में गंगा पर जो पुल बनाने की बात है वह इस सरकार की पूर्व की सरकार के समय से चल रही थी, उस समय आश्वासन दिया गया था और पहली योजना में भी दिया गया कि बनाया जायगा ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं हुई और आगे कब सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आश्वासन किन शब्दों में दिया गया था, उसके लिये तो नोटिस चाहिये। लेकिन प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा, रेलवे मंत्रालय को सुविधा देने के लिये लिखा। न रेलवे मंत्रालय ही तैयार हुआ, न केन्द्र ही रुपया देने के लिये तैयार है। हमारे प्रदेश में जो रुपया रखा गया है उसमें और पुलों के बनने की ज्यादा आवश्यकता है।

सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत

*६—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के किन चीफ इंजीनियरों के विरुद्ध उनके पास अगस्त, १९६१ के उत्तरार्ध या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—अगस्त व सितम्बर मास, १९६१ में किसी चीफ इंजीनियर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हुई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि सिंचाई विभाग के सबसे बड़े चीफ इंजीनियर जो मई के महीने में बद्रीनारायण गये थे, पहाड़ी यात्रा पर, और उनके जाने में कई हजार रुपये खर्च हुए थे उसकी वसूलयाबी के सम्बन्ध में जब प्रश्न उठा तो वहां के ओवरसियर से जबरदस्ती लिखवा लिया गया कि उसने रुपया पा लिया है, इस सम्बन्ध में शिकायत आयी थी जिसमें तमंचा वगैरह भी प्रयोग करने की बात आयी थी, यह उनको जानकारी है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को सूचना मान कर कि सिंचाई विभाग में इस बात की जांच चल रही है कि किसी ओवरसियर को २४, २५ हजार रुपया भत्ता न अदा करने पर, चीफ इंजीनियर ने दो आदमी भेजे और उनसे जबरदस्ती लिखवा लेने की कोशिश की गयी जिसकी पुलिस में रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट होने के बाद ओवरसियर को ट्रांसफर कर दिया गया, इस बात की जांच करवायेंगे ?

श्री नवलकिशोर—चूंकि माननीय वर्मा जी कह रहे हैं इसलिये इस बात की छानबीन कर ली जायगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जरा साफ हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जब उनको मालूम नहीं है तो क्या बतायेंगे ?

श्री राजनारायण—वह हमारे साथ रहे हैं बद्रीनारायण यात्रा में।

सरकारी कर्मचारियों के अस्थायी कार्यकाल को पेंशन के लिये शामिल करना

**७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में यह निर्णय किया है कि उसके कर्मचारियों का पूरा अस्थाई कार्यकाल पेन्शन के लिये शुमार कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—भारत सरकार ने कुछ प्रतिबन्धों के साथ अपने स्थायी कर्मचारियों की पूर्ण अस्थायी सेवाओं को पेन्शन के लिये मान्य स्वीकार कर लिया है।

**८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह भी उक्त मामले में विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ प्रतिबन्धों सहित उपर्युक्त लाभ को इस सरकार के कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष की अनुपूरक मांगों (दूसरी किस्त) में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रतिबन्ध क्या है और केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार के प्रतिबन्धों में क्या अन्तर है ?

श्री रामस्वरूप यादव—केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार के प्रतिबन्धों में कोई अन्तर नहीं है। वह प्रतिबन्ध यह है कि नान-पेंशनेबिल एस्टैब्लिशमेंट को नहीं दिया जायगा, वर्क चार्ज एस्टैब्लिशमेंटस को नहीं दिया जायगा और जिनकी नियुक्ति आकस्मिक व्यय से पोषित पर हुई हो उनको नहीं दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि वे पद जो स्थायी हैं, लेकिन उन पर काम करने वाले १५, १५, २०, २० साल से अस्थायी तौर से काम कर रहे हैं क्या उनकी अवधि को पेंशन देने के समय शुमार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—अब तक यह नियम था कि जो टेम्पोरेरी समय था सेवा का वह पेंशन के लिये आधा गिना जाता था। अब भारत सरकार की नीति के अनुसार इस सरकार ने भी निश्चित कर लिया है कि वह समय जो टेम्पोरेरी था वह पूरा पेंशन के लिये गिना जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कहीं-कहीं पर नौकरियों में लोग, आठ-दस साल से टेम्पोरेरी चल रहे हैं और कहीं कहीं पर बहुत सारी सर्विसेज ही पूरी-पूरी टेम्पोरेरी हैं, तो क्या इन दोनों को पेंशन देने के वक्त कंसीडर किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन कर दिया कि जो टेम्पोरेरी कर्मचारी परमानेंट हो जाते हैं, वह जब रिटायर होंगे तो पूरा समय, स्थायी और अस्थायी, लगा कर उनकी पेंशन का हिसाब लगाया जायगा।

श्री राजनारायण---केन्द्रीय सरकार ने जो पेंशन के सम्बन्ध में निर्णय लिया है क्या वही निर्णय प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनका निर्णय पहले हो चुका था और प्रदेशीय सरकार ने निर्णय लेकर कल ही जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स पेश की थीं और इस सदन ने जिसे स्वीकार किया, उसमें वह सम्मिलित कर लिया है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जो अभी तक पेंशन मिलने का ३०/६० का नियम था उसको ३०/८० क्यों कर दिया गया ? एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ घटा दिया।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री राजनारायण---तो क्या सरकार को यह मालूम है कि ३०/६० की जगह ३०/८० कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---जब उनको मालूम ही नहीं है....

श्री राजनारायण---बजट में वह आ गया है, श्रीमन्, और जब बजट पेश किया है तो उनको मालूम तो होना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष---तो आपको भी तो मालूम है। आप यहां कोई इम्तहान लेने के लिये थोड़े ही बैठे हैं।

तालबेहट के एलोपैथिक अस्पताल में अर्जित भूमि का प्रतिकर

**९---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तालबेहट (झांसी) में एलोपैथिक अस्पताल के लिये वहां के किन लोगों की कितनी-कितनी जमीन व मकानात सरकार द्वारा दस बारह वर्ष पूर्व लिये गये थे तथा उनका मुआवजा अभी दिया गया या नहीं ?

चिकित्सा उप-मन्त्री (श्री धर्मसिंह)---लगभग १.७२ एकड़ जमीन सन् १९४८ में श्री मथुराप्रसाद जटोरिया द्वारा दान के रूप में ली गई थी। उक्त जमीन पर ८ टूटे-फूटे मकान तथा ९ वृक्ष थे, जिनका मुआविजा सरकार ने ६,५०० स्वीकृत किया था। मुआवजा का भुगतान कुछ कानूनी अड़चनों के कारण अभी तक नहीं किया जा सका है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कानूनी अड़चनें क्या हैं और उनको अभी तक दूर क्यों नहीं किया गया तथा मुआवजे के अदा करने में १३ साल के अलावा अब और कितना समय लगेगा ?

श्री धर्मसिंह---माननीय, इसमें शुरू में जो मथुराप्रसाद जी ने मांगा था वह १७ हजार रुपये के करीब था। कुछ समय उसमें लिखा-पढ़ी में इसलिये व्यतीत हो गया कि १७ हजार रुपया वह नहीं हो सकता। पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा एन्क्वायरी इत्यादि की गई तो ६,५०० रुपया देना तय हुआ। जब यह निश्चय हो गया तो उसमें दो तीन कानूनी दिक्कतें और आयीं। पहली उनमें यह थी कि जो लैंड श्री मथुराप्रसाद जी ने दी थी वह सीरदारी लैंड थी और जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अनुसार वह दान इत्यादि नहीं की जा सकती थी जब तक कि उसका टेन्योरशिप न दे दिया गया हो। दूसरी बात यह थी कि मथुराप्रसाद जी की प्रोप्राइटरशिप निश्चित नहीं हुई थी और तीसरा कारण यह था कि कई कोशेयरर्स निकल आये थे। यह सब दिक्कतें अब दूर हो गई हैं और जो बांड वगैरह हैं उसके एक्जीक्यूशन के लिये आर्डर

इत्यादि भेज दिये गये हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सिगनेचर के बाद यहां गवर्नमेंट में आने पर उस पर कार्यवाही हो जायगी। उसमें देर नहीं होगी।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि यह मुआवजा मिलने में काफी देर हो चुकी है तो इस मुआवजे के सूद की भी रकम उसमें जोड़ेंगे ?

श्री धर्मसिंह--मान्यवर, सूद को जोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्वयं अपनी तरफ से उन्होंने जमीन दी थी।

श्री अवधनारायणसिंह, तहवीलदार, आजमगढ़, की बर्खास्तगी संबंधी सरकारी अपील का खारिज होना

**१०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ३७, दिनांक २२ फरवरी, १९६१ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के श्री अवध नारायण सिंह तहवीलदार (तहसील खजानची) को सरकारी कर्मचारी करार दिये जाने के सम्बन्ध में वहां के माननीय जिला जज के फैसले के खिलाफ उसने जो स्पेशल अपील नं० २०४ सन् १९५७ के अन्तर्गत दायर की थी वह इलाहाबाद हाई कोर्ट की माननीय बेंच द्वारा १३ सितम्बर, १९६० को खारिज कर दी गई थी तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जो अनुमति मांगी थी वह भी ९-१० सितम्बर, १९६१ को रद्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या उसने माननीय बेंच के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति अब स्वयं सुप्रीम कोर्ट से मांगी है और इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--जबकि अन्य प्रान्तीय सरकारें तहवीलदारों को अपना कर्मचारी मान चुकी हैं तो क्या हमारी सरकार भी सदर खजानची की पूंजीवादी पद्धति को खत्म करके इन तहवीलदारों को अपना कर्मचारी मानने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, और प्रान्तों के बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन इस प्रदेश की सरकार की तो नीति यही है कि हम इनको सरकारी कर्मचारी नहीं मानेंगे।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि न मानने के क्या-क्या मुख्य कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--वह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, न सरकार द्वारा चुने गये हैं। वह जो कि जिले के खजाने के ठेकेदार हुआ करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरर्स, उनके जरिये से नियुक्त होते हैं। उनका वेतन जरूर सरकारी कोष से जाता है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की प्रथा कब से चली आ रही है ? मुगलों के जमाने से या अंग्रेजों के जमाने से ?

श्री रामस्वरूप यादव--मुगलों का इतिहास तो मालूम नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने की सब प्रथायें हैं ही। हमने कोई नई प्रथा नहीं बनाई है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जो नई प्रथा लागू की है, उसमें सब को दिक्कत होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्टेट बैंक में कैसे पेमेन्ट होता है, इसकी शिकायत प्रदेशीय सरकार के पास नहीं है। जिस खजाने में तहवीलदार अपना काम करते हैं उनसे एफिशियेन्सी की आशा की जाती है। तहवीलदारों से ज्यादा एफिशियेन्सी स्टेट बैंक के लोगों को होनी चाहिये।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब उनको जिले के ट्रेजरी अफसर नियुक्त करते हैं और उनको तनख्वाह सरकार खुद देती है तो इस स्थिति के रहते उनको सरकारी कर्मचारी मानने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष—हाई कोर्ट ने दो दफा फैसला कर दिया और उसको ही जब सरकार नहीं मानती है तो आपकी बात को कैसे मानेगी?

श्री राजनारायण—क्या सरकार के पास कोई आधार है कि किसको सरकारी कर्मचारी कहा जाय?

श्री अध्यक्ष—यह अनावश्यक प्रश्न है।

एस० एन० मेडिकल अस्पताल, आगरा, के डाक्टरों के विरुद्ध आरोप

**११—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार का ध्यान झांसी के स्वर्गीय भास्कर राव शर्मा, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर, आगरा की धर्मपत्नी द्वारा कमिश्नर आगरा डिवीजन को भेजी गयी उस शिकायत की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कि उन्होंने एस० एन० मेडिकल अस्पताल, आगरा के डाक्टरों के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि उनके आपसी ईर्षा द्वेष के कुपरिणाम स्वरूप उनके पति का २५ सितम्बर, १९६१ को स्वर्गवास हुआ था? यदि हां, तो उसने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री धर्मसिंह—जी हां। स्वास्थ्य सेवा निदेशक से जांच करके रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले की जानकारी उनको कब हुई थी और निदेशक को जांच के लिये कब कहा गया था?

श्री धर्मसिंह—शिकायत का पत्र नवम्बर के महीने में आया था, १५-११-६१ को। उसको डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज को जांच के लिये भेज दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कथित शिकायत के सम्बन्ध में क्या सरकार जांच कमेटी बनाने की सोच रही है जैसा कि कई दफा पहले जांच कमेटी बन चुकी है और परिणाम में वह निष्फल हो चुकी है?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल नहीं, बाद में विचार किया जा सकेगा, यदि इसकी आवश्यकता समझी गई।

महंगाई भत्ते की वृद्धि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को देने की सिफारिश

**१२—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ३०० रु० से कम वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने का निर्णय हाल ही में वह कर चुकी है? अगर हां, तो वह क्या है, इस योजना में कुल कितना रुपया लगेगा तथा क्या यह सुविधायें स्थानीय निकायों के ऊपर भी लागू होंगी?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने जिन वृद्धियों के देने का निर्णय किया है और उन के ऊपर कितना खर्च होगा वह Supplementary Estimates में बताया जा चुका है।

श्री गोविन्दसिंह दिष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस रुपये का प्राविधान वह कुछ बचत करके करेंगे या कोई नया टैक्स लगायेंगे या सिंकिंग फंड या रिजर्व फंड में जो रुपया जाता है उसको रोकेंगे, कौन तरीका उन्होंने सोचा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आज यह बताना सम्भव नहीं है, लेकिन स्टेट फाइनेन्सेज से देंगे, यही निर्णय है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—जो वृद्धि अभी कल घोषित हुई है यह म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, जिला परिषद् का जो स्टाफ है या जो अन्य लोकल बाडीज के कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह लोकल बाडीज के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स लोकल बाडीज के ही कर्मचारी हैं तो यह जो कहा गया कि यह वृद्धि लोकल बाडीज के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी यह कहां तक सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रान्ट २० में यह बात अलग है । ५ रुपया पे स्केल उन टीचर्स का बढ़ाया गया है । ४५ से ५० कर दिया गया है । लेकिन सरकारी कर्मचारियों को २४९ रुपये के वेतन तक जो एडहाक रिलीफ हुई है उसके लिये मैंने उत्तर दिया कि वह लोकल बाडीज के कर्मचारियों को नहीं मिलेगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मूल प्रश्न का अंतिम भाग यह है कि "अगर हां, तो वह क्या है, इस योजना में कुल कितना रुपया लगेगा तथा क्या यह सुविधायें स्थानीय निकायों के ऊपर भी लागू होंगी । इसका जवाब मूल उत्तर में नहीं दिया गया है, बल्कि सप्लीमेंटरी में दिया गया है और वह भी अस्पष्ट है । तो उत्तर पूरा-पूरा होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—इसमें कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जिला अंतरिम परिषद् और स्थानीय निकायों के जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि पर सरकार ने विचार क्यों नहीं किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय तो सरकारी कर्मचारियों के लिये ही यह हुआ है । और मूल प्रश्न में भी लिखा है कि "राजकीय कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने का निर्णय हाल ही में वह कर चुकी है ।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न के दूसरे भाग में यह भी पूछा गया है कि यह सुविधा स्थानीय निकायों पर भी लागू होगी या नहीं।

श्री रामस्वरूप यादव—वह स्थानीय निकायों क कर्मचारी हैं और अगर प्रादेशिक स्तर पर वह समझते हैं कि उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिये तो उनकी वेतन वृद्धि के लिये पे कमेटी अलग बैठी थी और इस प्रश्न पर समय-समय पर विचार होता रहा है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सन् १९५७, १९५८ और १९५९ में जो महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई थी वह स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और अध्यापकों को भी दी गई थी, सरकार यह सुविधा उनको प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, ललितपुर के ओवरसियर की पत्नी द्वारा आत्महत्या

**१३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर (झांसी) के पी० डब्ल्यू० डी० के एक ओवरसियर की जिस धर्मपत्नी ने अभी हाल ही में अपने एक गोद के तथा इनके दो मासूम बच्चों को बांध पर छोड़ कर पानी में कूद कर आत्महत्या कर ली थी, उसकी लाश का पोस्टमार्टम न कराये जाने के कारण वहां की जनता में बड़ा असंतोष है ?

श्री नवलकिशोर—जनता में असंतोष होने की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

**१४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि उक्त महिला के अपना जेवर न देने के कारण पहले दिन उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था और उसके बदन पर चोटों के निशान थे ?

श्री नवलकिशोर—पति द्वारा मारे जाने की बात सही नहीं मालूम पड़ती क्योंकि बदन पर चोटों के कोई निशान नहीं थे ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डी० वाई० एस० पी० महोदय को स्वयं मौके पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी और लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया ?

श्री नवलकिशोर—जिस समय इस लाश को बांध में से निकाला गया उस समय कलेक्टर, एस० डी० एम०, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सी० ओ० और कई अफसरान वहां मौजूद थे और उसके बदन पर कोई चोट नहीं थी । यह खयाल किया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है इसलिये उसे पोस्टमार्टम के लिये नहीं भेजा गया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी किसी विशिष्ट अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उस ओवरसियर ने एक पुलिस अधिकारी के साथ जुये में हार जाने के कारण अपनी पत्नी का जेवर पाने के लिये गाली-गलौज की थी और उसे मारा था और उसके परिणामस्वरूप ही वह डूब कर मर गई ?

श्री नवलकिशोर—मैंने अर्ज किया कि उसके बदन पर किसी किस्म के निशान नहीं थे और मारने-पीटने की बात इसलिये निराधार है, और सरकार कोई आवश्यकता नहीं समझती कि इसकी कोई इंक्वायरी की जाय ।

श्री बजीवनलाल—कारण क्या था कि जिस के आधार पर उसने आत्महत्या की ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो कारण मालूम हुआ है वह यह है कि एक तो वह खुद बीमार रहती थीं, टी० बी० की मरीज थीं । उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके बाद उनकी माता जी की डेथ हुई थी और ऐसा मालूम हुआ है कि उनको अपनी जिन्दगी से मायूसी हो गई थी जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आत्महत्या के केस में पोस्टमार्टम कराने की जरूरत होती है तो इस केस में क्यों उसकी जरूरत नहीं पड़ी ?

श्री नवलकिशोर—पोस्टमार्टम हर मामले में जरूरी हो ऐसी बात नहीं है । जहां कहीं कोई डाउट होता है वहां होता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि उनके शरीर में कोई चोट नहीं थी, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिना किसी सरकारी जांच के उसे यह कैसे पता चला कि उनके शरीर में कोई चोट के निशान नहीं थे ?

श्री नवलकिशोर—मैंने तो अर्ज किया था कि जिस समय उनकी बाडी को निकाला गया बांध में से, उस समय वहां पर डाक्टर व कई आफिसर्स मौजूद थे और उन्होंने उस बाडी को देखा, उसमें कहीं चोट के निशान नहीं थे । वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दिखाई न पड़ती ।

सीतापुर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा लड़की के साथ बलात्कार की शिकायत

**१५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २१ जून, १९६१ को सीतापुर नगर में बहराइच जिले की एक तेरह वर्षीय बालिका के साथ स्थानीय कोतवाली के चार कर्मचारियों द्वारा बलात्कार की सूचना सरकार को मिली है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई उसका पूर्ण विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—जी हां । इस संबंध में सी० आई० डी० द्वारा विस्तृत जांच की गई । जांच में पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किये जाने का आरोप निराधार पाया गया ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के पहले एक मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी की गई थी और मैजिस्ट्रेट के सामने उस लड़की ने बयान दिया था कि एक दरोगा, कोतवाल और दो सिपाहियों ने उसके साथ बलात्कार किया और जिस वक्त यह बयान दिया उस समय इस सरकार के एक सभा सचिव भी, जो उसी जिले के हैं वहां मौजूद थे ?

श्री नवलकिशोर—जब वह अदालत में पेश की गई तो उसने यह बयान दिया कि उसके साथ बलात्कार किया गया । अब जिन सज्जन के वहां पर मौजूद होने का जिक्र उन्होंने किया उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि वे वहां पर थे या नहीं ।

श्री भीखालाल—क्या यह बात भी सही है कि मैजिस्ट्रेट के सामने उन लोगों की शिनाख्त भी कराई गई थी और उस लड़की ने उन दरोगा, कोतवाल और दोनों सिपाहियों को पहचान लिया था ?

श्री नवलकिशोर—जब लड़की गिरफ्तार हुई थी तो उसने उन लोगों को तो देखा ही था । तो इसमें फिर शिनाख्त करने की बात तो है नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या लड़की के बयान के बाद उसकी डाक्टरी कराई गई और यदि हां, तो डाक्टरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री नवलकिशोर—लड़की की डाक्टरी बयान से पहले कराई गई थी ।

श्री अध्यक्ष—वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री नवलकिशोर—उसकी रिपोर्ट, मान्यवर, यह है कि वह लड़की सैक्सुअली इन्टरकोर्स की हैबिचुएटेड थी और उसके साथ किसी तरह का रेप नहीं किया गया ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उस १३ साल की लड़की को सही बात को छिपाने के लिये यह कहा जाता है .....

श्री नवलकिशोर—वह तो डाक्टरी रिपोर्ट है ।

गौरीबाजार थाना घेरने के कारण सोशलिस्टों की गिरफ्तारी

**१६—श्री उग्रसेन—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ अक्तूबर, १९६१ के गौरी बाजार थाना, जिला देवरिया पर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने घेरा डाला था ?

श्री नवलकिशोर—जी हां ।

**१७--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री को सूचना है कि उक्त घेरे में २२ सोशलिस्ट कार्यकर्त्ता पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटे गये तथा जेल भेजे गये ?

श्री नवलकिशोर--सूचना केवल इतनी है कि १९ सोशलिस्ट कार्यकर्त्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । यह सच नहीं है कि पुलिस द्वारा उनको पीटा गया ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जो घेरा पुलिस के खिलाफ डाला गया था वह क्यों डाला गया था ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, वैसे तो सोशलिस्ट पार्टी कब क्यों घेरा डालती है पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन इस सम्बन्ध में जो सूचना है वह यह है कि उनको यह शिकायत थी कि वहां पुलिस का इन्तजाम सही नहीं है, इसलिये वे चाहते थे कि थाने के अन्दर घुस कर जो उनके रेकार्ड्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाय ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २२ लोग पकड़े गये उनको बुरी तरह से पीटा गया और उनके स्वास्थ्य की जांच जेल में हुई और वह सब रिकार्ड जेल में पड़ा हुआ है ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, मेरे पास २२ के आंकड़े नहीं हैं, १९ के आंकड़े ही हैं । उनके सम्बन्ध में इतनी बात जरूर है कि जब उन्होंने थाने में घुसने की चेष्टा की और गिरफ्तारी में रेजिस्ट किया तो आपस में कुछ थोड़ी सी चोट आई ।

श्री राजनारायण--प्रश्न यह है कि जब यह १९ सोशलिस्ट सत्याग्रही गिरफ्तार करके जेल में ले जाये गये तो जेल में उनकी चोट की रिपोर्ट चढ़ाई गई, जेल अस्पताल के रजिस्टर में वह है, तो क्या सरकार ने इसकी इन्क्वायरी की ?

श्री नवलकिशोर--जेल के रिकार्ड में क्या है, इसकी सूचना नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने थाने में आखिर घेरा क्यों डाला, यह सरकार को मालूम है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बतला दिया ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि लोकल पुलिस की जिन शिकायतों को लेकर घेरा डाला गया, उन शिकायतों की जानकारी भी मंत्री जी को है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)--एक शिकायत की जानकारी है, बाकी की नहीं है और वह शिकायत यह है कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह किस प्रकार से निकाला जाय ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी को इस बात की शिकायत नहीं मिली कि गौरीबाजार में वर्तमान थानेदार जबसे आये तब से तीन कत्ल हो चुके, लेकिन थाने में उनकी मामूली रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई ? मंत्री जी को भी लिखकर भेजा गया था ।

श्री चरणसिंह--इसकी इत्तला नहीं है कि थानेदार ने तीन कत्लों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो उसका इलाज घेरा डालना नहीं था ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार, जो उनको चोटें लगी हैं उनकी जांच जेल के रजिस्टर देखकर करेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह सुझाव आप लिखकर भेज दीजिये ।

राजनीतिक पेंशन के नियमों पर विचारार्थ समिति

१८—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को दी जाने वाली पेन्शनों के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिये उसने कोई समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो कब और किन-किन बातों की छानबीन करने के लिये तथा उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—जी हां । गत मार्च, १९६१ में राजनीतिक पेन्शनों के नियमों तथा पुराने निर्णयों पर दृष्टिपात करने के लिये मंत्रि परिषद् की एक (Informal) अनौपचारिक कमेटी बनाई गई है जिसमें परिवहन मंत्री के अतिरिक्त चार और सदस्य, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री और सिंचाई मंत्री हैं ।

१९—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या वह उसे सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी के बनाने और पुराने निर्णयों पर दृष्टिपात कराने का क्या मकसद था ?

श्री मुजफ्फर हसन—मकसद साफ है कि नियम क्लियर नहीं बने हैं, वह बनाने हैं और जो पहले पेन्शन दी गई हैं उनके सम्बन्ध में यदि कोई शिकायतें आती हैं तो उनको भी देखना है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि "जी नहीं" से क्या मतलब समझा जाय, आया कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी या वह पेश नहीं की जा सकी ?

श्री मुजफ्फर हसन—अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि राजनीतिक पेन्शनों के संबंध में यह भी शिकायत सरकार को मिली है कि कुछ ऐसे लोगों को भी राजनीतिक पेन्शन मिल गई है जो जेल नहीं गये और जिनको कायदे से नहीं मिलना चाहिये थी और कुछ ऐसे लोगों को नहीं मिली है जिनको मिलनी चाहिये थी ? क्या यह मामला भी कमेटी के सुपुर्द है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसी शिकायतें जरूर आई हैं कि कुछ ऐसे लोगों को पेन्शनें मिल गयी हैं जो जेल नहीं गये लेकिन ऐसी शिकायत जाब्ते से कोई नहीं आई है डिपार्टमेन्ट के पास । लेकिन बगैर नियम बने भी अगर जाब्ते से कोई शिकायत ऐसी आयेगी तो उसकी इंक्वायरी करा ली जायगी । जहां तक यह बात कि कुछ मुस्तहक लोगों को नहीं मिली है, यह बात सही हो सकती है लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पेंशनें दी जा रही हैं लेकिन तादाद बहुत काफी है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या जांच कमेटी इस बात की भी जांच करेगी कि पूर्व मंत्रिमंडल ने अपने त्याग-पत्र देने के एक दिन पहले १५० राजनीतिक पेंशनें दी थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—किसी भी जमाने में अगर गैर मुस्तहक लोगों को पेंशनें मिली हैं उनकी जांच की जा सकती है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि जो कमेटी नियम बना रही है तो क्या उन नियमों के मातहत पुराने लोगों को जो पेंशनें दी गई हैं, उनको भी नियमित किया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—ये सब बातें जेरेगौर हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी उन राजनीतिक शहीदों की विधवाओं को, जिन्हें २२-२३ रुपया महीना पेंशन मिलती है, उस रकम को बढ़ाने के लिये उनकी अपील पर पुनः गौर करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हुसैन---नियम बनाते समय इन सब बातों पर गौर किया जायगा लेकिन एक खास गौरतलब बात यह है कि रकम महदूद है और उसमें भी मुस्तहक आदमियों को दिया जाना है । इसलिये असल में बात यह है कि कितनी रकम हमारे पास है और उसमें से कितनों को देना है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी उन मामलों पर भी विचार कर रहे हैं जिनको पेंशन तो मंजूर हो गई थी, लेकिन अभी हाल में उनके पास रिजेक्शन पहुंच गया है, हालांकि वे ६ महीने की जेल भी गये थे और पुरानी सब क्वालीफिकेशन्स भी उनकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास खबर पहुंच गई है कि उनको पेंशन नहीं दी जा सकती ?

श्री मुजफ्फर हुसैन---नियम तो बनाये ही जा रहे हैं । जो लोग रिजेक्ट किये गये अगर वे भी मुस्तहक होंगे तो उनके भी प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि जब तक नये नियम नहीं बन जायेंगे नई पेंशनें नहीं दी जायेंगी ?

श्री मुजफ्फर हुसैन---जी नहीं, यह सही नहीं है । पेंशनें बराबर दी जाती रहेंगी ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी उस समय तक पेंशनें न देने पर विचार कर रहे हैं जब तक कि नये नियम न बन जायं ?

श्री मुजफ्फर हुसैन---अभी तो जिस प्रकार से पेंशन दी जाती रही है उसी तरह से दी जाती रहेगी । जब नियम बन जायेंगे तब उनके मुताबिक रेग्युलेट की जायगी ।

श्री हरीभान शुक्ल (जिला खीरी)---जो लोग सन् ४२ में जेल गये और सन् २१ में जिन लोगों का काफी नुकसान हुआ है और काफी लंबी-लंबी जेलें जिन्होंने काटी हैं उन सब को राजनीतिक पेंशनें दी गई हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---वे कहते हैं कि उन सब के लिये नियम बनाये जा रहे हैं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या इस समिति के सामने यह प्रश्न भी विचाराधीन है कि ऐसे लोग जो पहले कांग्रेस में थे और अब दूसरी पार्टी में चले गये और राजनीतिक पीड़ित हैं, उनको भी पेन्शन दी जायगी या नहीं दी जायगी ?

श्री मुजफ्फर हुसैन---पेन्शन तो बगैर किसी पार्टी के खयाल के दी जाती है ।

तारांकित प्रश्न

[१५-११-६१ के तारांकित प्रश्न १८-३० जो १७-११-६१ के लिये निर्धारित किये गये ।]

हरिजन बस्तियां तथा हरिजन विभागों को जिलेवार अनुदान

*१८---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कहां-कहां हरिजन बस्ती बनायी जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

*१९---श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त हरिजन बस्तियों पर अलग-अलग कितना धन व्यय होगा और उसमें कितना केन्द्रीय सरकार तथा कितना प्रदेशीय सरकार व्यय कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*२०---श्री अमरनाथ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हरिजन विभाग को सरकार ने सन् १९६०-६१ ई० में अनुदान के रूप में तथा कर्जे के रूप में कितना-कितना धन दिया और विभाग ने अब तक कितना धन व्यय कर दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री अमरनाथ---क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो हरिजन बस्तियां बनने जा रही हैं, उनके निर्माण में जो धन दिया जायेगा केन्द्रीय तथा राज्य योजना के अन्तर्गत, उसे जिलेवार किस आधार पर वितरण किया जायगा और प्रति मकान क्या अनुदान दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, केन्द्र की भी योजना है और प्रदेशीय सरकार की भी । केन्द्र की योजना यह है कि जो लागत होगी उसका ३/४ शासन से मिलेगा और उसकी जो सीमा निर्धारित है वह ७५० रुपये से ज्यादा नहीं है, उससे कम ही दी जायगी और प्रादेशिक सरकार की योजना में ५०० रुपये की सीमा निर्धारित है और बाकी रुपया उस व्यक्ति को लगाना पड़ता है जिसका मकान है । और वे बस्तियां उन उन जिलों में होंगी जहां के लोग अपनी तरफ से सहयोग देने को तैयार हैं क्योंकि १/४ रुपया उनको लगाना पड़ता है । इस तरह से जहां लोगों ने सोसाइटीज बना ली हैं बस्तियों के निर्माण के लिये उन्हीं जिलों को रुपया दे दिया गया है ।

श्री अमरनाथ---इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में बाढ़ आयी थी और जहां हरिजन बस्तियां बनने जा रही हैं, वे गांव भी उस बाढ़ के प्रकोप से तबाह हुए हैं, तथा हरिजनों की माली हालत खराब हो गयी है, क्या सरकार हरिजनों को मकानों की उस लागत से जो उनको देना पड़ता है, मुक्त करने की कृपा करेगी अथवा उसे सरकार स्वयं वहन करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वक्त जो नियम हैं उसमें तो सम्भव नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत जो हरिजन बस्तियां बनने वाली हैं, वे तमाम हरिजनों के लिये हैं या हरिजनों में भी किसी विशेष जाति के लिये ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सहायता तो हर एक को उपलब्ध है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भंगियों के मकान बने हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में तो एक-एक मकान के लिये २,५०० रुपये तक की सहायता दी गयी है जिससे भंगी अपने मकान बना सकें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं जानना चाहता हूं कि पहाड़ पर भंगियों को इतनी ज्यादा मदद करने का कारण क्या यह है कि वहां बहुत कम भंगी हैं और जो हैं वे भी बाहर से आ जाया करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---अब वहां भी पैदा होने लगे ।

---

†सूचना छापी नहीं गई ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शासी जो उन्होंने भंगी बस्तियों की बात उठायी, तो जो उनकी बस्तियां बनवायी जायेंगी वे हरिजन सोसाइटीज द्वारा बनवायी जायेंगी अथवा स्थानीय निकायों द्वारा भी बनवायी जायेंगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्थानीय निकायें बनवा सकती हैं, सोसाइटीज भी बनवा सकती हैं और निजी लोगों को भी बनाने के लिये सहायता दी जाती है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि प्रदेश में जो हरिजन बस्तियां बन रही हैं, उनमें बहुत सी अभी अधूरी हैं और इसकी शिकायत आयी है कि वहां रुपये पैसे का भी गोलमाल हुआ है ? जैसे देवरिया के विनोबापुरी का ही मामला है ।

श्री अध्यक्ष---इसमें अपव्यय की तो कोई बात आयी नहीं है ।

श्री उग्रसेन---मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सी हरिजन बस्तियां कागज पर तो बनी हैं, लेकिन वास्तव में बिलकुल नहीं बनी हैं कुछ झगड़े की वजह से क्योंकि कहीं-कहीं से रुपये पैसे के गबन की भी शिकायत आयी है । अगर वे झगड़े निबटा देंगे तो वे बस्तियां बन जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष---आप पहले तो यह पूछें कि कौन बस्ती है ।

श्री उग्रसेन---देवरिया जिले में जो विनोबापुरी हरिजन बस्ती है वहां यह हरिजन बस्ती क्या इसलिये नहीं बन रही है चंकि विभाग ने उस का रुपया गोलमाल कर दिया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने बताया कि ४८ बस्तियां तो पूरी हो चुकी हैं और १९४ बन रही हैं । अब विनोबापुरी, देवरिया के बारे में कोई शिकायत हो तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---वह बन ही नहीं रही है, सब पैसा विभाग खा गया ।

श्री अध्यक्ष---वह बनेगी है ही कहां ?

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---प्रदेश में जो हरिजन बस्तियां बन रही हैं उनका नक्शा प्रदेश से स्वीकृत है या वह अपनी प्लान से ही बना सकते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---होने तो जिले के जो हरिजन कल्याण अधिकारी हैं उनको कोशिश करनी चाहिये कि किसी एक योजना के अनुसार इन मकानों को बनवायें, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ लोग मिलकर मकान बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से वह बनाना चाहते हैं, तो उनके लिये अनुदान तीन चौथाई से ज्यादा सरकार का नहीं होगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर शिक्षा मण्डल में कथित जे० टी० सी० स्कूलों के छात्रों की सहायता बन्द होना

*१---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर शिक्षा मंडल (Gorakhpur Educational Region) के अन्तर्गत कितने राजकीय जे० टी० सी० स्कूलों में ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक सहायता (Stipend) गत शिक्षा सत्र (प्रथम वर्ष) में मिलती थी और इस वर्ष बन्द हो गई है ? इस आर्थिक सहायता के बन्द होने का क्या कारण है और सरकार इस प्रकार के छात्रों की किस प्रकार की सहायता करना चाहती है ?

आचार्य जुगलकिशोर--कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन विभाग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये आदेश

*२--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग में कुल कितने ए० आर० टी० ओ० व ए० जी० एम० हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--२४ असिस्टेन्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर और २९ असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर हैं जिनमें १ असिस्टेन्ट रीजनल ट्रांसपोट आफिसर अनुसूचित जाति के हैं ।

*३--श्री रामदीन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या संरक्षण के अनुपात से लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर ए० आर० टी० ओ० व ए० जी० एम० के पदों पर अनुसूचित जाति के परीक्षार्थियों की नियुक्त किये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मुजफ्फर हसन--इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री रामदीन--एक बात मैं निवेदन करूं कि प्रश्न २ का उत्तर तो ठीक है लेकिन नम्बर ३ का जो प्रश्न है वह साफ है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या संरक्षण के अनुपात से लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा के आधार पर ए० आर० टी० ओ० व ए० जी० एम० के पदों पर अनुसूचित जातियों के परीक्षार्थियों की नियुक्ति किये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है, इस प्रश्न का यही उत्तर मिला है कि 'आदेश भेज दिये गये हैं'। मैं जानना चाहता था कि वह आपके विचाराधीन है या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--विचाराधीन से आगे बढ़कर हिदायतें भेज दी गई हैं ।

श्री अध्यक्ष--आप होशियारी से अर्थ निकालिये ।

श्री रामदीन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह आदेश क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--वह यही हैं कि जो परसेंटेज मुकर्रर है उस पर अमल किया जाय ।

श्री रामदीन--यह जो आदेश भेजे गये हैं उनमें कोई समय भी लागू किया है कि कब तक इन आदेशों का पालन किया जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तो बराबर जारी है जब तक कि वह रिजर्वेशन है ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मंत्री जी उसको स्पष्ट करेंगे कि यह जो रिजर्वेशन है इसके सिलसिले में लोक सेवा आयोग को लिखा गया है या डिपार्टमेंट को ?

श्री मुजफ्फर हसन--दोनों जगह ।

श्री राजनारायण --श्रीमन्, २४ ए० आर० टी० ओ० में एक भी नहीं और २९ ए० जी० एम० में केवल एक हरिजन रखा गया, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जगहों के लिये हरिजनों के कितने आवेदन पत्र आये थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह तो इस वक्त मेरे पास नहीं है । सन् ४७ से अब तक की फिर्स्त हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---यह विभाग इस सरकार के आने के बाद कायम हुआ है और जब सरकार की नीति यह है कि १८ परसेन्ट हरिजन रखे जायेंगे, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में १८ परसेन्ट की पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

श्री मुजफ्फर हसन---आयोग के सामने जो लोग गये, उसमें उपयुक्त आदमी नहीं रहे होंगे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

परिवहन विभाग में पदों का स्थायीकरण

*१---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० राजकीय रोडवेज, उत्तर प्रदेश में १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६० तक कुल कितने पद स्थायी घोषित किये गये हैं तथा उन पदों पर कितने कर्मचारी स्थायी किये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस अवधि में कुल १,३९० पद स्थायी घोषित किये गये और उन पर २६ व्यक्ति स्थायी किये जा चुके हैं । बाकी आदमियों की मुस्तकिली के बारे में जरूरी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चार वर्षों में जब १,३९० स्थानों को स्थायी किया जा रहा है तो केवल २६ आदमी ही क्यों स्थाई किये गये, बाकी क्यों नहीं किये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन---उसमें कई तरह की अड़चनें थीं और अब उम्मीद है कि इस दिसम्बर तक इस पर कुल फैसले हो जायेंगे ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १,३९० पदों को स्थायी करने जा रहे हैं तो उनको सन् ५७ से, जब से यह खुले थे, तब से स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह सब बातें जेरे गौर हैं ।

श्री मदन पाण्डेय---क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो स्थायीकरण की लिस्ट बन रही है, जिन व्यक्तियों को इन स्थायी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, वह किस आधार पर किया जा रहा है जो इस वक्त कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं में से वरिष्ठता के आधार पर किया जा रहा है, या नई भर्तियां की जा रही हैं, या कोई और नई विधि अपनाई गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जो लोग थे उन्हीं के बारे में विचार हो रहा है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परिवहन विभाग में लोगों को स्थायी करने के नियम तथा अन्य संबंधित सेवा नियम कोई हैं या नहीं, और नहीं हैं तो कब तक बनेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन---वह भी बन रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले कई वर्षों से, जब से स्थायी करण निश्चित किया गया है, ड्राइवरों को बहुत कम स्थायी किया जा रहा है, और क्या वह ऐसा आदेश देंगे कि ड्राइवर अपने प्रतिशत के अनुसार अधिक स्थायी किये जायं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है ।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, मैंने जो पहले प्रश्न किया था उसमें पूछा था कि स्थायीकरण का आधार क्या है, जो व्यक्ति इस वक्त काम कर र हैं उनमें से वरिष्ठता के आधार पर किये जा रहे हैं, या नई भर्तियां की जा रही हैं, या कोई और तरीका निकाला जा रहा है जिसकी वजह से दिक्कत पड़ रही है ? क्या आधार है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने तो अर्ज किया कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को स्थायी करने की बात है ।

कानपुर रोडवेज क्षेत्र में श्री आर० आर० वैश्य द्वारा ठेकेदार को अधिक पेमेन्ट

*२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---विधान सभा के दिनांक १२ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६-७ के प्रश्नोत्तर के क्रम में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनरल मैनेजर, कानपुर रोडवेज के पत्र के उत्तर में ओवरसियर श्री आर० आर० वैश्य, गवर्नमेंट रोडवेज, कानपुर ने जो अपना स्पष्टीकरण दिनांक १५ दिसम्बर, १९६० को भेजा और जिसकी एक प्रतिलिपि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी भेजी, क्या उसमें यह लिखा है कि मैंने दिनांक १५ अप्रैल, १९५९ को ही जनरल मैनेजर, कानपुर रोडवेज को यह सूचित कर दिया था कि कांट्रेक्टर श्री चौधरी के खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाना चाहिये, यह गवर्नमेंट का माल बाजार में बेच र है .

श्री मुजफ्फर हसन---श्री आर० आर० वैश्य, ओवरसीयर ने अपने १५ दिसम्बर, १९६० के स्पष्टीकरण में यह लिखा था कि उन्होंने जनरल मैनेजर को १५-४-५९ को यह रिपोर्ट कर दी थी कि ठेकेदार श्री चौधरी ने गवर्नमेंट के माल को बेचना शुरू कर दिया है और उनमें से कुछ माल गिरवी रख दिया है । लेकिन उनका यह लिखना सही नहीं है। १५-४-५९ की अपनी रिपोर्ट में ओवरसीयर ने सिर्फ यह बात लिखी थी कि ठेकेदार ने जी० आई० सी० शीटें हटा कर गिरवी रख दी है और ऐंगल आयरन मौके से किसी दूसरी जगह हटा कर ले गया है । सरकारी माल को बेचने या ठेकेदार के खिलाफ फौरी कार्यवाही करने के बारे में उस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है ।

*३---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनरल मैनेजर, कानपुर रोजवेज को कार्यालय से पत्र संख्या के० पी०/जी० ई० एन० एल०/बी०२६९:५८/३४७/टी० सी०, दिनांक १६ जून, १९६१ ई० को ए० टी० सी० (बी) को लिखा गया है जिसमें जनरल, मैनेजर कानपुर रोजवेज ने बतौर सूचना के ओवरसीयर, श्री आर० आर० वैश्य के उपरोक्त दिनांक १५ अप्रैल, १९५९ के पत्र में दी गई सूचना की चर्चा की है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी, हां ।

*४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ मई, १९६१ ई० को पूरक प्रश्न के उत्तर में जो यह बताया गया है कि सर्व प्रथम २२ नवम्बर, १९५९ को सहायक परिवहन आयुक्त (भवन) जब ठेकेदार के साथ मुआयना करने गये तभी उपरोक्त अधिक भुगतान (पेमेंट) का पता चला, इस सूचना को दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---१२ मई, १९६१ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में अधिक भुगतान के बारे में जानकारी की तारीख सही बतलाई गई थी । १५-४-५९ की ओवरसीयर की रिपोर्ट में अधिक भुगतान का कोई जिक्र नहीं था ।

नोट :---तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

छात्रों को दोपहर का भोजन देने के लिये आगरा नगर महापालिका का प्रस्ताव

*५—श्री झारखण्डेराय—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि आगरा नगर महापालिका ने सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि यदि सरकार आधा खर्च वहन करे तो आगरा में महापालिका द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं के २५ हजार छात्रों को दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाया करे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

*६—श्री झारखण्डेराय—यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—धनाभाव के कारण नगर महापालिका, आगरा की प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं हो सका ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रायबरेली की इमारत

*७—श्री शिवशंकरसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार राजकीय उच्चतर विद्यालय, रायबरेली में बिजली लगाने का प्रबन्ध करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

तृतीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगवाने का विचार है।

*८—श्री शिवशंकरसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह इमारत किस सन् में किसने बनवाई और यह विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कब से लाया गया तथा तब से कितनी इमारत नई बनवाई गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह इमारत सन् १९०९ में राना साहब, खजूर गांव द्वारा बनवाई गई थी। विद्यालय सन् १९५२ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर लाया गया। तब से विद्यालय में कोई नई इमारत नहीं बनाई गई।

*९—श्री शिवशंकरसिंह—क्या सरकार के पास इस बात की कोई शिकायत आई है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लाने पर इमारत में स्थान का अभाव हो गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

वाराणसी में शराब की दुकानें मेन रोड से हटाने की प्रार्थना

*१०—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि तीर्थ स्थान वाले शहरों में मेन रोड पर जो शराब की दुकानें खुली हैं उन्हें गली में हटा दिया जाय ? यदि हां, तो वाराणसी शहर में बिजली कम्पनी के सामने व खोजवां, सोनारपुर, चेतगंज, मुकिमगन्ज, ढिठोरीमहल, शिवपुर चुंगी के पास दशाश्वमेध में जो मेन रोड पर दुकानें हैं उन्हें तुरन्त हटाने पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। आबकारी नियमानुसार किसी शराब की दूकान को स्थापित करते समय यह ध्यान रक्खा जाता है कि अमुक स्थान गांव या नगर की आबादी में दूकान की स्थिति ऐसी हो जहां पुलिस का पर्याप्त नियन्त्रण हो सके।

रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर में ऐक्सीडेन्ट व ब्रेकडाउन से क्षति

*११—श्री उग्रसेन—क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन में जनवरी, सन् १९६० से मई, १९६१ तक कितनें ब्रेकडाउन और ऐक्सीडेंट हुए तथा उनसे कितने रुपये की राष्ट्रीय क्षति हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जनवरी, १९६० से मई, १९६१ तक ३९२ ब्रेकडाउन और १५५ एक्सीडेंट हुये। इससे क्रमशः रुपये ३,०७५,.९५ नं० पै० तथा रुपय ४६,११९.३५ नये पैसे का नुकसान हुआ।

*१२---**श्री उग्रसेन**---क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर और बस्ती डिपो में उक्त अवधि में किन-किन ड्राइवरों से एक्सीडेंट हुआ तथा उनमें से कितने ड्राइवर मुअत्तल हुये और कितने काम कर रहे हैं?

श्री मुजफ्फर हसन---उन ड्राइवरों की सूची, जिनसे एक्सीडेंट हुये संलग्न है। कुल ९ ड्राइवर बरखास्त हुये और ९ मुअत्तल किये गये थे, जिनमें से ३ बहाल किये जा चुके हैं। बाकी सब काम कर रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२-८३ पर)

उरई में एच० टी० सी० के चुनाव के लिये साक्षात्कार

*१३---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तारीख २४ तथा २५ मई, १९६१ को एच० टी० सी० के चुनाव के लिये उरई जिला जालौन में कुल कितने अभ्यर्थी थे जो मिडिल पास थे और कितने अभ्यर्थी हाई स्कल तक शिक्षा प्राप्त किये हुये थे?

आचार्य जुगलकिशोर---उरई, जिला जालौन में तारीख २४ तथा २५ मई, १९६१ को एच० टी० सी० के चुनाव हेतु ४९९ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ।

इन अभ्यर्थियों में ३५० अभ्यर्थी मिडिल (जूनियर हाई स्कूल, कक्षा ८) १३९ अभ्यर्थी हाई स्कूल परीक्षा व १० अभ्यर्थी जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष संस्कृत परीक्षा पास थे।

[१७ नवम्बर, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२-३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[पांचवें मंगलवार के प्रश्न ८-९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में बेकार गाड़ियां तथा मैरेज सीजन में काम करने वालों को एलाउन्स

*४---**श्री उग्रसेन**---क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर रीजन के देवरिया, गोरखपुर, बर्डघाट तथा गोंडा और बलिया डिपो में कितनी गाड़ियां छोटे-छोटे सामानों के अभाव में खड़ी पड़ी हैं और उनसे कितने रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है?

श्री मुजफ्फर हसन---गोरखपुर रीजन के गोरखपुर व बलिया डिपो में क्रमशः १ व ३ गाड़ियां छोटे सामानों के अभाव में खड़ी हैं। देवरिया, बर्डघाट और गोंडा डिपो में कोई गाड़ी छोटे सामान के अभाव में नहीं खड़ी है। इन गाड़ियों के खड़ी रहने के कारण कोई नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि यह शेड्यूल्ड गाड़ियों के अलावा हैं।

*५---**श्री उग्रसेन**---क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में "मैरेज सीजन" को चलाने के लिये कितनी बसें अलग से दी गई थीं और उनसे १२ अप्रैल, १९६१ से १५ मई, १९६१ तक कितने रुपये की आमदनी हुई है?

श्री मुजफ्फर हसन---गोरखपुर रीजन में मैरेज सीजन को चलाने के लिये १२ अप्रैल, १९६१ से १५ मई, १९६१ तक २८ बसें अलग से चलाई गईं। यह बताना सम्भव नहीं है कि इन बसों से कितनी आमदनी हुई।

*६---श्री उग्रसेन---क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैरेज सीजन में कर्मचारियों से ६ बजे प्रातः से १२ बजे रात तक काम लिया गया? यदि हां, तो उन्हें कितना रुपया ओवरटाइम के रूप में दिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन---किसी भी कर्मचारी से मैरेज सीजन में ६ बजे प्रातः से १२ बजे रात तक काम नहीं लिया गया। किन्तु कुछ कर्मचारियों के निर्धारित समय से अधिक काम लिया गया जिसके लिये उन्हें रुपये ३,१४७.६२ नये पैसे ओवरटाइम के रूप में १२ अप्रैल, १९६१ से १५ मई, १९६१ तक दिये गये।

परिवहन विभाग में पेट्रोल चालित बसों के स्पेयर पार्ट

*७---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ से अब तक उनके विभाग में पैट्रोल चालित बसों के स्पेयर पार्ट कितनी कीमत के स्टाक में पड़े हैं और कब से तथा ये क्यों इतनी अधिक संख्या में पड़े रह गये?

श्री मुजफ्फर हसन---पेट्रोल से चलने वाली बसों के स्पेयर पार्ट्स तकरीबन २२ लाख कीमत के सन् १९५२ से स्टाक में हैं। यह स्पेयर पार्ट्स अभी तक इसलिये इस्तेमाल नहीं लाये जा सके क्योंकि सन् ५४ से रोडवेज में ज्यादातर डिजल से गाड़ियां चलाई जा रही हैं और पेट्रोल से चलनेवाली गाड़ियां बहुत कम रह गई हैं।

नैनीताल व अल्मोड़ा के मार्गों पर बस दुर्घटनायें रोकने के कदम

*८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि इसी मई, जून मास १९६१ में नैनीताल तथा अल्मोड़ा के पर्वतीय मार्गों पर कई भयानक मोटर दुर्घटनायें हुई हैं, जिन में लगभग १०० व्यक्तियों की जानें गईं? यदि हां, तो क्या सरकार इन घटनाओं का पूर्ण विवरण सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन---मई, जून, १९६१ में नैनीताल तथा अल्मोड़ा के पर्वतीय मार्गों पर केवल एक बड़ी दुर्घटना १९ जून, १९६१ को हुई थी जिसमें ९ व्यक्ति मरे व १७ घायल हुये। इसका विवरण संलग्न है। इसके अलावा रोडवेज बसों से ८ छोटी-छोटी दुर्घटनायें हुयी थीं जिनमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८४ पर)

*९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि भविष्य में इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वह कौन से कदम उठाने जा रही है?

श्री मुजफ्फर हसन---दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो कदम उठाये गये उनका विवरण संलग्न है।

(देखिये 'ख' आगे पृष्ठ ८४ पर)

*१०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

उप विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा के विरुद्ध आरोपों की जांच रिपोर्ट

*११---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात हैं कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा उनके सचिव तथा जिलाधीश अल्मोड़ा को भेजे गये पत्र संख्या ई-२१/६१, दिनांक १७ जनवरी,

१९६१ के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मुख्य कार्याधिकारी अन्तरिम जिला परिषद् अल्मोड़ा ने कोई जांच रिपोर्ट दिनांक १५ जुलाई, १९६१ को परिषद् को भेजी हैं? अगर हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख कर बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

†जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

आरोपों का उत्तरदायित्व तत्कालीन उप विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा के ऊपर होने के कारण उनका स्थानान्तरण हमीरपुर जिले को कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

*१२-१३—**श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

इलाहाबाद रोडवेज क्षेत्र में लिपिकों के स्थान पर काम करने वाले कण्डक्टरों का वेतन

*१४—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मन्त्री परिवहन दिनांक १२ मई, १९६१ के प्रश्न संख्या ११-१२ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न संख्या ११ के उत्तर में उल्लिखित ९३ व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने सरकार के पास वेतन तथा आफिसियेटिंग एलाउन्स के लिये आवेदन पत्र भेजे थे?

श्री मुजफ्फर हुसन—१५ व्यक्तियों ने ।

*१५—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या मन्त्री परिवहन यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने व्यक्तियों को आफिसियेटिंग एलाउन्स दिया गया, तथा कितनों को नहीं दिया गया और न देने का कारण क्या है?

श्री मुजफ्फर हुसन—किसी को नहीं, क्योंकि १ अप्रैल, १९५५ से आउट आफ टर्न प्रोमोशन दे दिया गया था।

श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डीहा के प्रधानाचार्य की पदावनति

*१६—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डीहा, जिला आजमगढ़ के प्रधानाचार्य पद पर १९५७ से नियुक्त प्रधानाचार्य को संचालक मंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ तथा उप शिक्षा संचालक सप्तम, मंडल गोरखपुर के बार-बार चार्ज देने के आदेश के बावजूद भी चार्ज देने से इनकार कर दिया है? यदि हां, तो उक्त स्कूल के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल गोरखपुर ने नहीं प्रत्युत जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने चार्ज देने के आदेश दिये थे किन्तु प्रधानाचार्य ने प्रबन्ध समिति से लिखित समझौता कर सहायक अध्यापक के पद पर कार्य करना स्वीकार कर लिया। अतः अग्रिम किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

पाठ्य सामग्री के मूल्य में कथित बढ़ोत्तरी

*१७—**श्री सदल पाण्डेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वर्तमान वर्ष में पाठ्य सामग्री जैसे बेसिक रीडर तथा अन्य पाठ्य पुस्तकें, कागज, पेंसिल तथा स्लेटों के दाम

---

†रिपोर्ट छापी नहीं गई।

असाधारण रूप से बढ़ गये हैं और साधारण विद्यार्थियों के लिये उन्हें उपलब्ध करना भी कठिन हो रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं, और ऐसी कोई शिकायत या सूचना भी नहीं प्राप्त हुई है।

*१८---श्री मदन पाण्डेय---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि उक्त समस्या के समाधान के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्न नहीं उठता।

*१९---श्री लक्ष्मण राव कदम---[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

आबकारी कमिश्नर के आर्डरली प्यून का हटाया जाना

*२०---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अगस्त, १९५७ में सरकार ने जो आज्ञा प्रत्येक विभागाध्यक्ष को दी थी कि प्रत्येक उस अधिकारी के बारे में जिसके पास एक से अधिक अर्दली (प्यून) हों एक को छोड़ कर बाकी हटा दिये जावें, क्या उसका पालन स्टेट एक्साइज विभाग के एक आफिस द्वारा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप सात अतिरिक्त चपरासियों की नवम्बर, १९५७ से नवम्बर, १९५९ तक ६,४५० रुपये तनख्वाह का देना पड़ा ? यदि हां, तो वह आफिस कहां का है तथा सरकार द्वारा इस आज्ञा लंघन की क्या सजा दी गई ?

डाक्टर सीताराम---यह सत्य नहीं है कि अगस्त, १९५७ में एक से अधिक अर्दली प्यून्स (orderly peons) में से एक को छोड़ कर शेष को हटा दिये जाने के सम्बन्ध में, जारी किये गये, शासकीय आदेश का पालन स्टेट एक्साइज विभाग के एक कार्यालय द्वारा नहीं किया गया। तथ्यार्थ में उपरोक्त आदेश के निर्गत काल में केवल आबकारी कमिश्नर के पास दो आर्डरली प्यून्स थे, जिनमें से एक को हटा दिया गया था।

*२१---श्री रामस्वरूप वर्मा---[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२२---श्री रामस्वरूप वर्मा---[हटा दिया गया।]

अंग्रेजी अभिज्ञ शास्त्रियों को बी० ए० की समकक्षता न देना

*२३---श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या माध्यमिक शिक्षा परिषदीय अध्यापक योग्यता सूची में हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाने के बिना अंग्रेजी पढ़े शास्त्री परीक्षा पास स्नातकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

क्योंकि बिना अंग्रेजी पढ़े शास्त्री परीक्षा पास व्यक्ति को शासन ने बी० ए० की समकक्षता नहीं प्रदान की है अतः कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियमानुसार हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी० ए० होनी चाहिये।

दिल्ली--सहारनपुर रोड पर मोटर दुर्घटनाएं

*२४---आचार्य दीपंकर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६० से मार्च, १९६१ तक दिल्ली--सहारनपुर रोड (कन्धला--शामली होते हुए) पर कितनी मोटर दुर्घटनाएं हुईं और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---२५ मोटर दुर्घटनाएं हुईं जिनमें १३ आदमियों की मौत हुई।

*२५--आचार्य दीपंकर--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन मोटर दुर्घटनाओं में कितनी ट्रक से, कितनी प्राइवेट बसों या कारों से और कितनी रोडवेज बसों से हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--९ दुर्घटनाएं ट्रकों से, १४ प्राइवेट बसों या कारों से, १ दुर्घटना रोडवेज बस से और एक दुर्घटना चिकित्सा विभाग की गाड़ी से हुई ।

*२६--आचार्य दीपंकर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितनी दुर्घटनाओं के केस अदालतों के सुपुर्द किये गये तथा कितने केसों में सजायें हुई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--१५ केस अदालत के सुपुर्द किये गये जिनमें से ७ में सजायें हुईं ।

अलीगढ़ जेल में हुई फार्यरिंग संबंधी जांच रिपोर्ट

*२७--श्री मदन पाण्डेय--क्या यह सही है कि गत २६ जनवरी को अलीगढ़ जेल में हुई फार्यरिंग की जांच के लिये जिलाधीश अलीगढ़ ने उक्त जिले के अतिरिक्त जिलाधीश को नियुक्त किया था ? क्या उनकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम--जी हां । रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है और विचाराधीन है । इसके बारे में अभी कुछ बताना जनहित में न होगा ।

ऋषिकेश से जोशीमठ के लिये सीधा बस टिकट न मिलना

*२८--श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य के उत्तरी भाग में ऋषिकेश जोशीमठ मार्ग पर यात्रियों को जो बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के लिये यात्रा करते हैं, ऋषीकेश से जोशीमठ के लिये सीधे बस के टिकट नहीं मिलते हैं जिससे आगे की बसों का कनेक्शन न होने से श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिपलकोटी में हजारों यात्रियों को प्रतिदिन असुविधाजनक हालत में पड़े रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त असुविधा को दूर करने के लिये सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह सही है कि यात्रियों को ऋषिकेश से जोशीमठ के लिये सीधे बस के टिकट नहीं मिलते क्योंकि इस पूरे रास्ते पर एक ही मोटर यूनियन की गाड़ी नहीं चलती इसमें कुछ अवश्य असुविधा है परन्तु विभिन्न मोटर मालिकों के लिये सीधा टिकट जारी करके आपसी हिसाब करने में काफी कठिनाई होती है ।

परसरा, गजोखर तथा झंझीर में कन्या पाठशाला खोलने की प्रार्थना

*२९--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह गांव परसरा गजोखर, झंझीर, ताड़ी तहसील व जिला वाराणसी में कन्या पाठशाला खोलने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--गांव ताड़ी जिला वाराणसी में गत वर्ष (१९६०-६१) में कन्या प्राइमरी पाठशाला खोली जा चुकी है ।

शेष तीन गांव परसरा, गजोखर और झंझीर तहसील व जिला वाराणसी में इस वर्ष १९६१-६२ में कन्या प्राइमरी पाठशाला खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इटावा में नार्मल ट्रेनिंग के लिये चुनाव तथा शिक्षा विभाग में हरिजन गजटेड अफसर

*३०--श्री भजनलाल (जिला इटावा)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत माह मई, सन् १९६१ में जो नार्मल ट्रेनिंग हेतु चुनाव हुआ है उसमें कुल कितने व्यक्ति चुने गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--२९७ अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया था ।

*३१—श्री भजनलाल—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त चुनाव में कुल कितने हरिजन व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति चुने गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—४५ हरिजन, ९८ पिछड़ी जाति तथा १५४ अन्य जातीय व्यक्तियों का चुनाव किया गया था।

*३२—श्री भजनलाल—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में कुल कितने गजटेड आफिसर हैं उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर— कुल संख्या ६७९

हरिजन १२

पिछड़े वर्ग ८

*३३—३४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

मिलिंग पैसेंजर को रिआयत पर यात्रा करने की अनुमति देने की प्रार्थना

*३५—श्री नवलकुमारदेव बाहिष्ठ—मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिलिंग पैसेंजर को निम्नतर किराया लगाकर दूसरी बस से यात्रा करने की अनुमति देने का सरकार का कोई विचार है ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश कब तक जारी होंगे ?

श्री मुजफ्फर हुसैन—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वाराणसी, लखनऊ तथा आगरा में प्राइवेट टैक्सी पर मीटर लगाना

*३६—श्री ख्यालीराम (जिला लखनऊ)—क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ शहर से जो प्राइवेट टैक्सी चलती हैं उन पर मीटर लगाने की पाबन्दी लगाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हुसैन—सरकार के पास इस बात की शिकायतें आईं कि प्राइवेट टैक्सी वाले विदेशी टूरिस्ट तथा अन्य मुसाफिरों से किराये की अधिक रकम अक्सर वसूल करते हैं। इस प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिये देश के अन्य बड़े शहरों की भांति इन शहरों में चलने वाली टैक्सियों पर मीटर लगाने के आदेश दिये गये हैं।

बाराबंकी जिला जेल में बिजली लगाने की प्रार्थना

*३७—श्री लल्लाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बाराबंकी जिला जेल में बिजली लगाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर संपूर्णानन्द—जेलों में बिजली लगाने के लिये एक योजना बनाई गई है। उस योजना के अन्तर्गत बाराबंकी भी सम्मिलित है।

स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता

*३८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरे तारांकित प्रश्न संख्या १५, दिनांक १० मार्च, १९६१ के सम्बन्ध में उन्होंने ९ मार्च, १९६१ को क्या आदेश जारी किये थे और क्या वह कार्यान्वित हो गये ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्नगत राजाज्ञा दिनांक ९-३-६१ की †प्रतिलिपि संलग्न है। उसमें दिये गये आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों के जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिये जाने के हेतु आवश्यक अनुदान की कुल धनराशि का लगभग आधा रुपया दे दिया गया है। शेष रुपया इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक दे दिया जायेगा।

कानपुर-कालपी बसों का एक्सटेंशन झांसी तक करने पर विचार

*३९--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से कालपी तक चलने वाली रोडवेज की बसों का एक्सटेंशन झांसी तक कब तक हो जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आशा की जाती है कि यदि कोई कानूनी रुकावट न हुई तो १९६२-६३ तक झांसी तक बसें चलने लगेंगी।

पीलीभीत जिले में जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल

*४०--**श्री प्रतापसिंह**--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत में कुल कितने बालक व बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल हैं, उनमें कितने देहात में हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--तालिका संलग्न है।

(देखिये तत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८५ पर)

*४१--**श्री प्रतापसिंह**--क्या शिक्षा मन्त्री उक्त जिले में निकट भविष्य में कोई विद्यालय और खोलने जा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--जिला पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष बालक बालिकाओं के ३१ मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल व बालिकाओं के १० जूनियर बेसिक स्कूल तथा शहर में बालिकाओं का १ बड़ा जूनियर बेसिक स्कूल खोलने के आदेश दिये गये हैं।

इटावा अन्तरिम जिला परिषद् के पुराने सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर्स

*४२--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा अन्तरिम जिला परिषद् के विद्यालयों के कितने सब-डिप्टी इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो ५ साल से अधिक समय से इटावा में ही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--दो।

*४३--**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् इटावा में विद्यालयों के कितने सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स इटावा के ही रहने वाले हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा कितने समय से उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--अराजपत्रित तथा अल्प वेतन भोगी अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई शासकीय आदेश अथवा नियम नहीं हैं। इन विद्यालयों के प्रति उप-निरीक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप भी नहीं है।

कमालगंज स्कूल का छिबरामऊ नार्मल स्कूल को स्थानान्तरण

*४४--**श्री होरीलाल यादव**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में बनने वाला नार्मल स्कूल बन कर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो अभी तक उसमें कमालगंज से स्कूल स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया ?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

आचार्य लुगलकिशोर—जी हां। कमालगंज का स्कूल छिबरामऊ स्थानान्तरित हो गया है।

*४५—श्री होरीलाल यादव—क्या यह सत्य है कि उक्त स्कूल के स्थानान्तरण का आदेश किया गया और सामान भी भेजा गया और स्थानान्तरण पुनः स्थगित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद ने प्रधानाचार्य को स्कूल के स्थानान्तरण का आदेश दे दिया था, किन्तु निदेशालय ने स्थानान्तरण रोक दिया था, क्योंकि उस समय तक भवन पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाया था और स्थानान्तरण के लिये शासन की स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई थी।

परिवहन विभाग के जूनियर स्टेशन इन्चार्ज का सेलेक्शन

*४६—श्री तर्थूसिंह तथा श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६१ से मार्च, १९६१ ई० तक लखनऊ में जूनियर स्टेशन इन्चार्ज का कोई सेलेक्शन (इन्टरव्यू) हुआ था? यदि हां, तो उसमें प्रदेश के कितने आवेदनों ने हिस्सा लिया और कितने व्यक्ति योग्य पाये गये?

श्री मुजफ्फर हुसन—जी हां। इन्टरव्यू में ९३४ व्यक्तियों ने भाग लिया और इनमें से ६० व्यक्ति योग्य पाये गये।

रोडवेज विभाग में ए० टी० आईज के वेतन में वृद्धि तथा नई बसों का क्रय

*४७—श्री उदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में रोडवेज विभाग में ए० टी० आई० के पद पर काम करने वालों के वेतन ग्रेड में जो २० रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है क्या वह रकम उन लोगों को मिल रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री मुजफ्फर हुसन—यह बढ़ोत्तरी उन ए० टी० आईज० को मिल रही है जो १०० रुपये के वेतन पर लगाई गई Efficiency Bar को पार करने के काबिल पाये गये हैं। यह १-४-६१ से दी जा रही है।

*४८—श्री उदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में जो ४०० रोडवेज की बसें आने वाली थीं क्या उनकी खरीद कर ली गई है? यदि हां, तो किस कम्पनी से?

श्री मुजफ्फर हुसन—४०० गाड़ियों में से २६७ मर्सडीज गाड़ियों के लिये मेसर्स टाटा इन्जीनियरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई को और १३३ लीलैंड गाड़ियों के लिये अशोक लीलैंड, मद्रास को आर्डर दिये गये हैं। उनमें से १६१ मर्सडीज और ५२ लीलैंड चैसिस आ चुकी हैं।

चम्पावत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सहायता देने पर विचार

*४९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास तहसील चम्पावत, जिला अल्मोड़ा के निवासियों का कोई सामूहिक प्रार्थना-पत्र आया है कि चम्पावत हाई स्कूल की स्थिति धनाभाव के कारण अत्यन्त ही दयनीय हो गई है तथा स्कूल बन्द होने को है? यदि हां, तो सरकार चम्पावत हाई स्कूल को चालू रखने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां।

चम्पावत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

RA 3047

इटावा जेल में पिस्तौल बनाते हुए कैदी का पकड़ा जाना

*५०--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या जेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जेल में कोई कैदी ऐसा पकड़ा गया है जो पिस्तौल बना रहा था? यदि हां, तो कब और उस कैदी को कितने समय का कारावास था?

डाक्टर सीताराम--जी हां, ८ जुलाई, १९६१ को एक कैदी ऐसा पकड़ा गया। उसे दो साल का कठोर कारावास हुआ था।

*५१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५२--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर, कानपुर के कार्यालय में रसीदबही का अभाव

*५३--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर, कानपुर के कार्यालय से रुपया जमा करने वालों से पिछले दो मास से (दिनांक २९ जुलाई, १९६१ के पहले के) छपे हुए रसीद के फार्म न होने के फलस्वरूप रुपया नहीं लिया जा रहा है?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां। नकद रुपया नहीं वरन ट्रेजरी चालान द्वारा रुपया जमा किया जाता रहा है।

*५४--श्री त्रिलोकी सिंह--यदि हां, तो छपी हुई रसीद न होने का क्या कारण है और कब तक इसके लिये व्यवस्था हो जायगी?

श्री मुजफ्फर हसन--इसका कारण यह है कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद से पर्याप्त संख्या में रसीद बही प्राप्त न हो सकीं। इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि रसीद बही शीघ्रातिशीघ्र छप जायें।

अन्तरिम जिला परिषद् गोरखपुर के बेसिक पाठशालाओं के अवकाश-प्राप्त प्रधान अध्यापकों को फण्ड न मिलने की शिकायत

*५५--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अन्तरिम जिला परिषद् (भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड), गोरखपुर के कितने ऐसे बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक हैं जिन्हें रिटायर हुए लगभग दस वर्ष हो गये किन्तु अभी तक उनके कटे हुये प्राविडेंट फंड का रुपया नहीं मिला है?

आचार्य जुगलकिशोर--अन्तरिम जिला परिषद् (भूतपूर्व डिस्टिक्ट बोर्ड), गोरखपुर का कोई ऐसा अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला का नहीं है, जिसे रिटायर हुए लगभग १० वर्ष हो गये हों और अभी तक उसके प्राविडेंट फंड का रुपया न मिला हो।

*५६--श्री गौरीराम गुप्त--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र इस बीच में अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर को और कितने प्रार्थना-पत्र १९६०-६१ में और १९६१-६२ में अब तक शिक्षा मन्त्री को मिले और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

आचार्य जुगलकिशोर--किसी अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, बेसिक प्राइमरी पाठशाला का इस आशय का प्रार्थना-पत्र कि उसे रिटायर हुए लगभग दस वर्ष हो गये और उसके प्राविडेंट फंड का रुपया उसे अब तक नहीं मिला, अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर अथवा शिक्षा मन्त्री को प्राप्त नहीं हुआ।

बदायूं जिले में प्राइमरी स्कूलों की लाइब्रेरियां

*५७—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में प्राइमरी स्कूलों में कितनी लाइब्रेरियां खोली गई हैं, वह किस की देख रेख में हैं और कब से खुली हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा विभाग के २३ पुस्तकालय बदायूं जिले के प्राइमरी स्कूलों में स्थित हैं। इनमें से १६ पुस्तकालय १९३८-३९ और ५ पुस्तकालय १९३९-४० में खोले गये। शेष २ पुस्तकालय ग्राम सुधार विभाग द्वारा १९४२-४३ में इस विभाग को हस्तान्तरित किये गये। इनकी देख रेख उन पाठशालाओं के अध्यापकों द्वारा की जाती है, जिन में वे पुस्तकालय स्थित हैं।

*५८—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन लाइब्रेरियों के पुराने सामान का खारिजा किसके द्वारा किया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इन लाइब्रेरियों के पुराने सामान का खारिजा शिक्षा प्रसार अधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है।

किसान डिग्री कालेज, बहराइच में इतिहास के अध्यापक के साथ कथित घटना

*५९—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, १९६१ के अन्तिम सप्ताह में किसान डिग्री कालेज, बहराइच में इतिहास पढ़ाते समय अध्यापक के यह बताने पर कि एक विशिष्ट संस्कृति का प्रचार तलवार के बल पर ही किया गया है एक सम्प्रदाय के छात्र बिगड़ गये और साम्प्रदायिक तनातनी हो गई ? यदि हां, तो घटना किस प्रकार की है तथा इस झगड़े में किसी को चोट-चपेट भी आई या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी मंडल के राजकीय आदर्श विद्यालयों के अस्थायी सहायक अध्यापक

*६०—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी रीजन के सभी राजकीय आदर्श विद्यालयों के अस्थायी सहायक अध्यापकों को एक मास की नोटिस देकर अध्यापन कार्य से मुक्त किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*६१—श्री रामसमझावन—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अस्थायी सहायक अध्यापक कितने-कितने सालों से राजकीय आदर्श विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वाराणसी मंडल के राजकीय आदर्श विद्यालयों के अस्थायी सहायक अध्यापकों की सूची संलग्न है। उनके समक्ष सेवा अवधि अंकित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६-८७ पर)

जौनपुर तथा अन्य स्थानों पर पेट्रोल से चलने वाली बसें

*६२—श्री भानाप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करें कि जौनपुर रोडवेज स्टेशन से प्रति दिन कुल कितनी बसें नियमित रूप से चलती हैं और उन कितनी बसें पेट्रोल से चलती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--६० बसें, जिनमें से २८ बसें पट्रोल से चलती हैं।

*६३--**श्री माताप्रसाद**--क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि अभी देश के किन-किन रोडवेज स्टेशनों (हेडक्वार्टर्स) से पेट्रोल द्वारा बसें चल रही हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--१७ रोडवेज डिपो ऐसे हैं जहां कि पेट्रोल की बसें चलती हैं। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८८ पर)

*६४-६६--**श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६७-६८--**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर बस के किराये में कमी करने का विचार

*६९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--विधान सभा के दिनांक १२ मई, १९६१ ई० के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संदर्भ में क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बस के किराये में कमी कर दी गई है? यदि नहीं, तो अभी तक रोडवेज बस का किराया कम न किये जाने का क्या कारण है?

श्री मुजफ्फर हसन--जी नहीं।

सरकार ने अधिकतम किराये की दर नियत कर रक्खी है। लखनऊ-सीतापुर मार्ग पर जो किराये की दर यात्रियों से चार्ज की जाती है वह उसी अधिकतम दर के बराबर है। पिछले तीन सालों के इस मार्ग के संचालन के कुल आंकड़ों की जांच करने के बाद यही तय पाया गया कि किराये की दर कम करने की कोई जरूरत नहीं है। रोडवेज एक कामर्शल अन्डरटेकिंग है जिसके हिसाब-किताब के लिये संचालन के व्यय के अलावा अन्य कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

*७०-७२--**श्री प्रतापसिंह**--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्रीमती सहोदरा देवी, ग्राम जगदीशपुर को अपने स्वर्गीय पति का फंड न मिलने की शिकायत

*७३--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वर्गीय श्री जगन्नाथ मिश्र की विधवा श्रीमती सहोदरा देवी, ग्राम जगदीशपुर, डाकखाना पिंडरा, जिला वाराणसी को उनके पति के जिनकी मृत्यु १४ मई, १९४० को जीवन राम हाई स्कूल, मऊ, जिला आजमगढ़ के अध्यापक की हैसियत से हुई थी प्राविडेंट फन्ड का रुपया अभी तक नहीं मिला है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*७४--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७५--**श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर रोडवेज के सुपरसीडेड कर्मचारियों का मामला

*७६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री प्रभु नारायण सिंह, एम० पी० तथा विधान सभा के सदस्य, श्री उग्रसेन १० से १५ अप्रैल, सन् १९६१ के बीच परिवहन विभाग की समस्याओं के विषय में मन्त्री परिवहन तथा मन्त्री श्रम से मिले थे तथा गोरखपुर रोडवेज के १७ सुपरसीडेड कर्मचारियों की वांछित पदोन्नति के विषय में मन्त्री परिवहन द्वारा आश्वासन भी दिये गये थे? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुजफ्फर हुसन—श्री प्रभु नारायण सिंह, एम० पी० तथा विधान सभा के सदस्य श्री उग्रसेन १३ अप्रैल, १९६१ को परिवहन मन्त्री तथा श्रम मन्त्री से रोडवेज के कर्मचारियों की समस्याओं के सिलसिले में मिले थे। उस समय गोरखपुर के १७ सुपरसीडेड कर्मचारियों के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता।

*७७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७८—७९—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८०—श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८१—८३—श्री भीखालाल—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में लारी के नये परमिट

*८४—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक लारी के कितने परमिट जिला जालौन में नये दिये गये? क्या सरकार उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री मुजफ्फर हुसन—१० नये परमिट दिये गये जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८९ पर)

ऋषिकेश—हरिद्वार मार्ग से प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां हटाना

*८५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रीजन में ऋषिकेश-हरिद्वार रूट पर से जिसे सरकार ने लिया है कितनी प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां हटाई गई हैं और रोडवेज की कितनी गाड़ियां इस रूट पर लगाई हैं? क्या वह गाड़ियां और रूटों से हटा कर इधर लगा दी गई हैं? यदि हां, तो किन रूटों से हटा कर लगाई गई हैं?

श्री मुजफ्फर हुसन—४५ प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां हटाई गई तथा १५ रोडवेज की गाड़ियां चलाई गईं। दूसरे रूट से हटा कर इस मार्ग पर रोडवेज की कोई भी गाड़ी नहीं चलाई गई। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*८६—श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८७--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८८--८९--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[चौथे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रश्नों के संबंध में शिकायत

श्री भजनलाल (जिला इटावा)--श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक सूचना चाहता हूं। मेरे बहुत से प्रश्न थे, जिनके जवाब इसी सत्र में आने वाले थे। मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो उत्तर हमारे शेष रह गये हैं वह हमारे घर के पते पर भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--जो मेरे पास आ जायेंगे उनको तो मैं भेज दूंगा।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष--आप बैठिये, पहले मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं।

उन्होंने मुझसे यह कहा है कि कुछ प्रश्न उनके रह गये हैं और उनके उत्तर जब मन्त्री जी के पास आ जायं तो उनके पास भेज दें। इसके लिये मैंने एक दफा फैसला कर दिया था कि जिन प्रश्नों के उत्तर आ गये हैं, उन पर खर्च जो होना था वह हो गया, वह उत्तर अगर मेरे पास भेज दिये जायें तो मैं अपने दफ्तर से सदस्यों के पास भिजवा दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--जब तक सत्रावसान न होगा तब तक जो प्रश्न नियमित रूप से आ जायंगे क्या वह भी नहीं लिये जायेंगे, सब कार्यवाही रुक जायगी?

श्री अध्यक्ष--लेने से फायदा क्या?

श्री मोतीलाल अवस्थी--सत्रावसान जब तक न हो तब तक आपके दफ्तर में लिये जाने से मनाही कैसे की जायगी?

श्री अध्यक्ष--वह आपको मालूम हो जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--स्वीकृत प्रश्नों का उत्तर हमारे पास भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह मेरे पास आयेंगे और मैं उनको भेजूंगा।

श्री नन्दराम--श्रीमन्, मेरा एक प्रश्न बहुत जरूरी था। पहले नियम ५२ में मैंने उसकी सूचना दी थी। आपके कहने पर मैंने अगस्त के प्रथम सप्ताह में तारांकित प्रश्न किया और उसका उत्तर आज के लिये था। लेकिन वह आज भी स्थगित कर दिया गया। इसमें कौन-सी ऐसी बात थी जो आज भी स्थगित किया गया? जिलाधीश को फोन करके पूछा जा सकता था कि मैंने जिलाधीश को इस बारे में कोई पत्र दिया कि नहीं। नत्थी 'ङ' में ७५ नम्बर का प्रश्न है। स्थगित क्यों किया गया, क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--उनके पास पहुंचा ही नहीं होगा। आप उनसे खुद पूछ लें।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३—क के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियां **

श्री अध्यक्ष—अब वित्त मन्त्री अपने विभाग की विज्ञप्तियां रखेंगे।

चिकित्सा उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३—क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी० ९२७/१०—९०२ (२)—५८, दिनांक १ अक्तूबर, १९६१ तथा संख्या एस० टी० १२८/ए/१०—९६० (४)—५८, दिनांक १ अक्तूबर, १९६१ को उक्त धारा ३—क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हम लोगों की मेज पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—सदन की मेज पर है।

उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५९—६० तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६१ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन †

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग लेखे १९५९—६० तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६१ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमन्, यह विनियोग लेखे जो वर्ष १९५९—६० के थे, फरवरी, १९६१ में कम्पट्रोलर और आडीटर जनरल के यहां से आये थे और सदन की मेज पर मार्च २४, १९६१ को रखे गये थे। तो इस वर्ष वर्क आडिट की रिपोर्ट पर काम करने के अलावा ऐप्रोप्रिएशन एकाउन्ट पर भी हमें विचार करना पड़ा। मुझे खेद है कि रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आगामी एक मास के अन्दर, प्रेस के सहयोग से, रिपोर्ट माननीय सदस्यों के घर पहुंच जायगी।

श्रीमन्, इस रिपोर्ट के साथ कम्पट्रोलर और आडीटर जनरल, श्री ए० के० राय का जो भाषण लोक लेखा समिति के सामने हुआ वह भी प्रकाशित रूप में आपके सम्मुख है। मैं विशेष-रूप से आपका और सरकार का ध्यान इस भाषण की ओर ले जाना चाहता हूं जो एक ऐतिहासिक भाषण है। आपने देखा होगा इस भाषण में उन्होंने बहुत-सी ऐसी नई बातें कही हैं जो हमारी वेलफेयर स्टेट और प्लानिंग के लिये आवश्यक हैं और आडीटर जनरल के मुखारबिन्दु से यह बातें आना सरकारों और हाउसेज के लिये बहुत ही आवश्यकीय हैं। मैं खास तौर पर पेज ४ पर जो उन्होंने बातें कहीं हैं, उनके महत्व को देखते हुए, आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहूंगा।

जो हमारे नियम हैं वे प्लानिंग के विरुद्ध देर लगाते हैं। उस सम्बन्ध में उन्होंने कहा है :

"It is equally true that many of these rules are now completely out of date. They are the legacy of a time when observance of procedure was more important than progress or action. It was a time when there was law and order of Government. It was not a time when there was a welfare State. People were punished—I would not say people—Government Officials were punished more for breaking rules than for not achieving results. These rules are highly complicated. I regret to say that in the last 14 years instead of making them simpler we have made them more complicated.

**छापी नहीं गयी।

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

To-day it requires a trained accountant of at least 10 years training to be able to correctly fix the pay of a government servant or to determine the amount of leave due to him."

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--इसका अनुवाद कर दीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--अच्छी बात है "आज जो वर्तमान नियम हैं उनमें से बहुत से अत्यन्त पुराने हैं और उस समय के हैं जब कि हमारा दृष्टिकोण लोक-कल्याणकारी राज्य बनाने का नहीं था बल्कि एक डंडा चलाने वाली सरकार थी । उस समय जो कर्मचारी थे उनको इसलिये दंड दिया जाता था कि उन्होंने नियम क्यों भंग किया, न कि इसलिये कि नतीजा क्या दिखाया । १४ साल के अन्दर नियम अधिक आसान बनने के बजाय ज्यादा मुश्किल बन गये हैं । १० वर्ष का ट्रेंड एकाउन्टेन्ट हो तो वह पे फिक्स कर सकता है । आगे उन्होंने इसका उपचार बतलाया है:

"I think the Committee would be fully justified in suggesting the Government that a High Power Commission should be appointed to go into official procedure existing to-day. Let it be as high powered as Government wish. But let it do the final work. Let it not be a Committee which after two years make recommendations to Government and then Government would appoint another Committee to consider it. Let it be a final Committee charged with the duty of doing the work finally. Something must be done if we are not to retard the tempo of our development plan. If such a Commission is set up, I shall certainly be prepared to give all necessary assistance in the form of staff, etc."

"एक हाई पावर कमीशन बना देना चाहिये सरकार के द्वारा और यह ऐसा हो जो फाइनल कमीशन हो क्योंकि हमारे प्लान की गति इन नियमों की वजह से रुक रही है । इसलिये जरूर कुछ न कुछ होना चाहिये । ऐसा कमीशन बनाया जाता है तो सारी सहायता स्टाफ वगैरह की वह देंगे ।" तो विशेष रूप से एक क्रान्तिकारी प्रजातांत्रिक ढंग से यह भाषण है । इस पर विचार हो, लेकिन विशेष रूप से इस सुझाव पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ जिन कर्मचारियों ने, महालेखापाल ने, विधान मंडल के सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार करने में सहायता की, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । यह कहा गया बोलते हुए कि प्रेस का सहयोग मिले तो क्या प्रेस का सहयोग नहीं मिला है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--गवर्नमेंट प्रेस का सहयोग ?

श्री मदन पाण्डेय--क्या गवर्नमेंट प्रेस का सहयोग मिलने में आपको दिक्कत हुई है ? अगर हुई है तो हम सरकार से कहें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उसमें कोई बात नहीं है । वह तो मैंने औपचारिक रूप से कह दिया था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--यह हमारे सामने "एपिटोम आफ दी रिपोर्ट आफ पब्लिक एकाउंट्स कमेटी" रखा हुआ है । इसका हिन्दी में अनुवाद कराने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष--इतनी जल्दी नहीं हो सकता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप आश्वासन दें तो मिल सकता है ।

श्री अध्यक्ष---इतनी जल्दी आश्वासन कैसे दिया जा सकता है ? मैं आश्वासन नहीं दे सकता। मैं सोचने व तहकीकात के बाद कह सकता हूं कि इतना हो सकता है या नहीं।

श्री राजनारायण---मूल हिन्दी में क्यों तैयार नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष---यह महालेखापाल के यहां से आता है।

श्री राजनारायण---इसके पूर्व तो हिन्दी में दिया गया था।

श्री अध्यक्ष---एपिटोम जो है यह कई वर्ष के बाद रखा गया है। उससे पूर्व यह तो आता ही नहीं था।

श्री मोतीलाल अवस्थी---बहुत से सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं प्रयत्न करूंगा, मैं वायदा नहीं कर सकता। केवल दो-तीन महीने रह गये हैं और पचासों रिपोर्टों की छपाई होगी तीन महीने के अन्दर।

श्री राजनारायण---यह तो श्रीमन्, धन का अपव्यय हो रहा है कि अंग्रेजी में छपता है और हिन्दी में जबाब लोग पढ़ेंगे वह फिर बाद को अलग से छपवाया जाता है।

श्री अध्यक्ष---यह क्या ? आप बगैर मेरी इजाजत के बोल रहे हैं। आप बैठिये माननीय मुख्य मंत्री। अभी माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ने जो बातें कहीं हैं उस पर आपको अधिकार है कि आप अगर कोई अपना आब्जरवेशन करना चाहें तो कर सकते हैं या कोई आश्वासन देना चाहें तो दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय की ओर माननीय नारायणदत्त जी ने अभी ध्यान आकर्षित कराया है वह अवश्य ऐसा विषय है जो सरकार से इस बात की आशा रखता है कि उन सुझावों पर विचार करके निर्णय लिये जायं। मैं इस समय यही कह सकता हूं कि अवश्य उन विचारों पर और उन धारणाओं पर जिनकी चर्चा आडिटर जनरल ने की है यह सरकार विचार करेगी और उस दिशा में चलने की चेष्टा करेगी जिस पर चलकर वह परिस्थितियां उत्पन्न न हों जिनकी ओर आडिटर जनरल महोदय ने हमारा ध्यान दिलाया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन का प्रतिवेदन†

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन, १९६०, की रिपोर्ट मैं सदन की मेज पर रखता हूं

इस संबंध में मुझे केवल यह कहना है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट १ अगस्त, १९६१ को सरकार को भेजी और सरकार का यह विचार था कि प्रतिवेदन का प्रारूप सदन की मेज पर वर्तमान सत्र में रख दिया जाय परन्तु सरकारी प्रेस के लिये प्रतिवेदन का समय पर छापना संभव न हो सका और इसलिये प्रतिवेदन की प्रति को मूल रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उसकी जरूरी शिफारिशों में से कुछ को सरकार ने कार्यान्वित भी किया है जोकि कल के अनुपूरक अनुदानों द्वारा सदन के समक्ष आ चुके हैं और उससे सदन को स्पष्ट हो गया होगा कि वे क्या थीं।

श्री अध्यक्ष---इसकी प्रतिलिपि हर एक सदस्य को कैसे प्राप्त होगी क्योंकि जब आप मूल रखते हैं तो मीमियोग्राफ से छप कर उसकी प्रतियां तो हर एक सदस्य को मिलनी चाहियें।

---

†छापा नहीं गया।

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, इस सम्बन्ध में यही हो सकता है कि अभी तो यह छप नहीं पाया है और जब छप कर आ जाय तो मेम्बर्स को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर आप इसका हिन्दी में अनुवाद करा कर छपवा दें तो ज्यादा अच्छा हो। यह तो आडिटर जनरल के भाषण का सवाल नहीं है, आप इसका अनुवाद करा सकते हैं, इसलिये हिन्दी में छपा कर बांट दें।

श्री नवलकिशोर--इसमें समय की बात है वरना हिन्दी में भेजने में कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अनुवाद कराकर ही बांट दें तो अच्छा है फिर उसके बाद अंग्रेजी में बांटने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह पुलिस आयोग उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको उपस्थित किया है और उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा गठित आयोग की रपट भी हिन्दी में मूलतः न तैयार करके यदि अंग्रेजी में तैयार की जाती है तो यह राज्य-भाषा के नियमों के बनाने के बाद क्या वैध है ?

श्री अध्यक्ष--अंग्रेजी में उन्होंने तैयार किया, हिन्दी में उन्हें तैयार करना चाहिये था। अब हिन्दी में कराकर बंट जायगा।

श्री राजनारायण--मूल के बारे में कह रहा हूं श्रीमन्, कि वह भी हिन्दी में ही होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मूल का जहां तक सवाल है उसमें कुछ बाहर के आदमी थे और उन्होंने जिस भाषा को समझा उसी के अनुसार हुआ है। अब चूंकि यह मौजूद था और मैं यह नहीं चाहता था कि इस सदन को उससे महरूम रक्खूं कि वह इसको न देख सके, इसलिये मैंने इजाजत दे दी कि अंग्रेजी का मूल ही सदन की मेज पर रख दें और उसके बाद मैंने कह दिया कि हिन्दी में अनुवाद करके सदन के सदस्यों को बांटने के लिये सरकार छपवावे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह भी है कि यह पुलिस आयोग की जो रपट है इसकी कुछ सिफारिशों को लागू किया गया है, ऐसा हमें बताया गया है। कल हमने जब सरकार को लिखा तब हमारे बीच में इस बात को कह दिया गया है। हमने पूछा कि पुलिस आयोग की सिफारिशों पर यह सरकार कैसे अमल कर रही है और जिस जिस पर कर रही है उनको हमें दिया जाय। एक बार नहीं दो बार लिखा गया और सरकार की ओर से बार-बार यह कहा गया कि हमारे पास नहीं है और बाद में यह आया कि कोई देखना चाहे तो कहीं रखा है आकर देख ले और उस समय हमें बोलना था। तो इस सदन का क्या अधिकार होता है कि जो रपट सदन में आ गयी, सदन उस पर विचार करके उसको माने या न मानें। और अगर सदन ने अपने इस हक का प्रयोग नहीं किया और उसकी सिफारिश मान कर जो बजट में गुंजायश रखी गयी है तो क्या आडिटर जनरल उस पर एतराज नहीं कर सकता ?

श्री अध्यक्ष--एतराज कर सकता है या नहीं यह दूसरी बात है, मगर यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--अभी हमारे सामने कहा गया और हम आपके श्रीमन्, बड़े आभारी हैं कि कमेटी की रिपोर्ट हिन्दी में छपे, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक मिल जायगी ? मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि डेढ़ साल पहले फारेस्ट फक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी.....

श्री अध्यक्ष--मैं तो समझता हूं कि इसी सदन के सदस्यों को मिलनी चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह--तो सरकार को कह दीजिये, नहीं तो वह भूल जायगी ।

श्री अध्यक्ष--नये होकर आयेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन अभी पुराने ही बन कर मिलेगी ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, दूसरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जो आयोग ने रपट रखी उस पर सदन ने अपना निर्णय नहीं लिया है; तो क्या सरकार उस पर कार्य कर सकेगी ?

श्री अध्यक्ष--यह चीज जब सरकार कर देगी उसके बाद जब आप फिर हाजिर होंगे या आपकी तरफ से जो कोई मौजूद होंगे वह इस प्रश्न को उठा सकते हैं अगर सरकार कोई कार्यवाही करे तब ।

श्री राजनारायण--कार्यवाही तो कर दी ।

श्री अध्यक्ष--वह तो आपने पास कर दिया ।

विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, इसके विशेषाधिकार एजेण्डा पर हैं। मैं एक जानकारी चाहता हूं कि इन पूरे पांच साल के दरमियान में अगर कुछ विशेषाधिकार के प्रश्न फैसले के लिये रह गये हैं तो उनका क्या होगा। जैसे, समिति ने रिपोर्ट दे दी लेकिन उसके बारे में विधान सभा में विचार नहीं हो सका, तो उनके बारे में क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--वह तो समाप्त ही समझे जायेंगे। फिलहाल तो समाप्त नहीं है, लेकिन अगर रखने की जरूरत होगी तो जब सदन कभी बैठेगा तो उसके सामने रखा जा सकता है ।

श्री गौरीशंकर राय--जरूरत कौन तय करेगा ? आप करेंगे या सदन तय करेगा, स्पष्ट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि मेरे सामने वह है नहीं, अगर मेरे सामने होता तो मैं जवाब दे देता ।

श्री गौरीशंकर राय--यह प्रश्न परम्परा का है, किसी विशेष प्रश्न से मेरा मतलब नहीं है । ऐसे प्रश्नों का आमतौर पर क्या होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--आमतौर पर प्रिविलेज का सवाल, जिसके ऊपर रिपोर्ट हो जाती है एक दफा, जब तक वह सदन में नहीं आता तब तक वह पेंडिंग रहता है और सदन बदल जाय तो भी कोई सदस्य इस प्रश्न को उठा सकता है कि उसकी रिपोर्ट वगैरह सदन में आ जानी चाहिये। समाप्त नहीं होता वह ।

तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है श्री गोविन्द सिंह बिष्ट और श्री टम्बरेश्वर प्रसाद का और दूसरा है सर्वश्री राज नारायण, राम स्वरूप वर्मा और उग्रसेन का। दोनों मेरे सेक्रेटरी के दफ्तर में रखे गये और जब वे अपने दफ्तर में घुसे तो दोनों को एक साथ देखा और दोनों पर एक ही समय, यानी ९.५५, लिखा था। तो अब यह समझ लीजिये कि यह इन सब की तरफ से है । इसमें किसी को मैं यह नहीं कह सकता कि किसका पहिले आया

लेकिन अगर यह स्वीकृत हुआ तो चूंकि राजनारायण जी ने इसी तरह का कल भी कामरोको प्रस्ताव दिया था इसलिये उस पर भाषण प्रारम्भ करने का अधिकार उनको होगा, लेकिन बोलने का अधिकार बराबर मैं दोनों को दूंगा अगर यह स्वीकृत हुआ तो। श्री राजनारायण जी आदि का भिन्न शब्दों में है जिसे मैं पढ़े देता हूं :—

"उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई को प्रारम्भ करने की नीति को अपना कर भारत के संविधान के विरुद्ध ही कार्य नहीं किया है वरन प्रदेश की ७ करोड़ से अधिक अंग्रेजी न जानने वाली जनता के ऊपर दस लाख लोगों का अंग्रेजी लादने का कुचक्र रचा है, जिससे प्रदेश के बच्चों को अनावश्यक ढंग से तीन भाषाओं के लिखने का बोझ पड़ेगा। इस घटना से सारे प्रदेश का वातावरण रोष, क्रोध एवं क्षोभ से भर गया है क्योंकि विश्व के किसी भी देश में कोई भी विदेशी भाषा माध्यमिक शिक्षा स्तर तक नहीं पढ़ाई जाती और प्रारम्भिक शिक्षा तो सदैव ही मातृभाषा में होती है।

अतः यह सदन इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट का इस प्रकार है कि—"भारतीय संविधान में संपूर्ण देश में १५ वर्षों के भीतर हिन्दी को राष्ट्र भाषा व राज भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और उसकी पूर्ति हेतु प्रान्तीय सरकार ने १९५१ में हिन्दी को इस प्रदेश की राज भाषा बनाने हेतु कानून पास किया। अंग्रेजी का संपूर्ण स्थान हिन्दी ले सके इसलिये तब सरकार ने छोटी कक्षाओं से अंग्रेजी का पाठ्यक्रम छठी कक्षा तक हटा दिया और शीघ्र ही विश्वविद्यालय तक की समस्त पढ़ाई हिन्दी में होने की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया।

अब, कल इस नीति को वर्तमान सरकार द्वारा उलट दिया गया और फिर दर्जा तीन से भोले बच्चों पर अंग्रेजी लादने के लिये सरकारी कोष से रुपया स्वीकृत कर दिया है। बच्चों को तीन भाषायें पढ़ाने की बात कही गई है। इससे सारे प्रदेश में खलबली मच गई है। अशान्ति का वातावरण व विरोध-सभायें होना आरम्भ हो गया है। लोग बहुत उत्तेजित हैं।

लोक महत्व के इस तात्कालिक निश्चयात्मक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज अपनी कार्यवाही स्थगित करता है।"

अब मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि कल जो बहस हुई और कल जो कामरोको प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी ने दिया था उसको मैंने स्वीकार नहीं किया था, इसलिये कि कल कोई इस बात का निश्चय नहीं हुआ था कि कोई नीति या ऐसा काम कर दिया गया हो जो रीसेंट अकरेन्स का हो, ऐसी चीज नहीं थी। इस ओर माननीय नारायण दत्त जी ने भी इशारा किया था। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर काफी बहस होकर सरकार की नीति को शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट रूप से घोषित कर देंगे और बहस होकर जो आक्षेप विरोधी दल के सदस्यों ने किया था, उसका उत्तर मिल सकेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कल नहीं थे, वित्त मंत्री जी थे। उन्होंने जो उत्तर दिया, उससे स्पष्ट नहीं हुआ कि अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य होगी, कैसी होगी या क्या होगी। कोई भी नीति के बारे में स्पष्टीकरण न होते हुए भी कल इसके ऊपर राय ले ली गई क्योंकि वह केवल अनुपूरक बजट का सवाल था, टोकेन ग्रांट थी और उसमें यह स्पष्ट नहीं हो सकता था कि कितना रुपया किस कार्य में लगेगा, यानी उसमें ब्यौरा भी नहीं था। इसलिये मैं इतना तो आवश्यक समझता हूं कि जब कोई महत्वपूर्ण विषय या नीति का विषय आता है तो उस पर बहस जरूर होनी चाहिये, किसी रूप में हो। एक तो यह है, जैसा कि आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया, उस रूप में भी बहस हो सकती है और उसमें दो घंटे बहस हो सकती है और दूसरा रास्ता यह कि सरकार अपना वक्तव्य दे कि हमारी स्पष्ट नीति यह है और उसके ऊपर जो टीका-टिप्पणी माननीय सदस्यों को करनी हो, वे करें। इन दोनों में से मैं यह पछना चाहता

[श्री अध्यक्ष]

हूं कि क्या सरकार स्वयं वक्तव्य देने के लिये तैयार है। यदि हां, तब तो कामरोको प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अगर टीका-टिप्पणी हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है अन्यथा मैं इसके ऊपर विचार करूं।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---यदि माननीय अध्यक्ष चाहते हों कि मैं वक्तव्य दूं तो इस समय भी दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---आज ही आप इस विषय की बहस समाप्त करना चाहते हैं?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, वक्तव्य मैं अभी दे सकता हूं और मैं इसे आज ही समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---अच्छा।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा है, इसलिये यदि इसको कल रख दिया जाय तो अधिक सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष---कल का समय वह देना नहीं चाहते हैं। अब अगर सब की राय हो तो तीन बजे से पांच बजे तक बहस हो जाय। मैं उनसे एक वक्तव्य मांग लूंगा। सर्वसम्मति हो तो बताएं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---गन्ने वाली बहस भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। साढ़े बारह बज गये हैं। इसलिये दो घंटे सदन का समय बढ़ा दिया जाय---५ से ७ तक।

श्री अध्यक्ष---समय नहीं बढ़ेगा। पांच बजे के बाद दूसरा कार्यक्रम है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अलमोड़ा)---माननीय मुख्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि कल का दिन शनिश्चर है। हम लोग अपनी तरफ से शनिश्चर दे रहे हैं। अगर एक दिन बढ़ जाय तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। आखिरी दिन है और आखिरी मांग है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद ही बहुत शनिश्चर लिये हैं। एक और सही।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह असेम्बली का आखिरी सत्र है। शनिश्चर को काम न करना चाहिए। शनिश्चर को काम करके जायेंगे तो पता नहीं कब तक शनिश्चर दिमाग में रहे!

श्री अध्यक्ष---तो सब की इच्छा यह है कि इस पर बहस हो। तो तीन बजे से मैं शुरू कर देता हूं, सब की सम्मति से। लेकिन शिक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को आप देख लें। कहीं ऐसा न हो कि एक घंटा तक माननीय मंत्री का वक्तव्य होता रहे।

श्री अध्यक्ष---मैं वक्तव्य का समय निर्धारित कर देता हूं। जैसे आप रेडियो पर व्याख्यान देते हैं, दस-पंद्रह मिनट में दे देते हैं, तो आप दस मिनट में वक्तव्य दे दें।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं तीन मिनट में ही दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष---तीन बजे आप वक्तव्य देंगे और उसके बाद बहस होगी।

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---आज विदाई का समय है, आखिरी दिन है। मैं चाहता हूं कि पांच बजे के स्थान पर चार बजे कर दें ताकि आपस में एक दूसरे को विदाई दे सकें और कुछ राजनारायण जी और दूसरे लोगों के बारे में कह सकें और शाम को पार्टी भी है। तो एक घंटा काफी होगा।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। अब तो वह निर्णय हो चुका है। अगर विदाई देनी है तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर बिलकुल संक्षेप में और मीठे शब्दों में बोलना चाहें तो पांच से साढ़े पांच बजे तक इस कार्य के लिये समय दे दूंगा।

श्री राजनारायण---अमीनाबाद में एक आम सभा बुला लें। वहां सरकार भी अपनी भाषा नीति पर विचार व्यक्त करे और हम भी व्यक्त करें। जनता जिसको बिदाई दे वह चला जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---कल आखिरी शनिश्चर है। हमारी सरकार पर पांचों वर्ष शनि की दृष्टि रही है। अगर कल सदन कर लें तो शायद पूरे सदन की कोशिश से शनि सदैव के लिये भाग जाय!

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद---यह नियम ५३ में स्वीकार हुआ या १०६ में स्वीकार हुआ?

श्री अध्यक्ष---मैंने अब कह ही दिया कि दो घंटे बहस होगी।

श्री उग्रसेन---जितने प्रस्ताव हमने नियम ५२ में दिये हैं सब को माननीय मंत्रियों को भेज दिया जाय। तीन दिन से मैं गीता प्रेस वाला दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---भेज देंगे हम।

बार्डर-डिवीजन झूलाघाट व जौलजीवी स्थानों से कारतूस, सीमेंट, लोहा, इत्यादि सामान चीन को भेजे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब नियम ५२ के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग बार्डर डिवीजन-झूलाघाट आदि जगहों से जो कुछ चीजें चीन की तरफ चली जा रही हैं, ऐसा प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, उसके ऊपर वक्तव्य आप दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रताप सिंह जी के इस सवाल के उठाने पर इस मामले की तहकीकात कराई गई तो हमको इत्तिला यह मिली, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के सुपरिन्टेंडेन्ट है पुलिस के उनका और जो ऐडीशनल चीफ इंजीनियर पी० डबल्यू० डी० डिवीजन बार्डर के हैं उनका कहना यह है कि कपड़ा, लोहा और सीमेंट या और कोई चीज हमारे पी० डब्ल्यू० डी० डिवीजन से कहीं चोरी नहीं गयी है और न कहीं जा रही है। ऐसी हमारी इत्तिला है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए और यह देखते हुए कि किसी विभाग पर इतना बड़ा आरोप लगाना कोई आसान बात नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा और छानबीन की तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उसको देखते हुए फिर छानबीन करायेंगे? श्रीमन्, ऐसा है कि टनकपुर और झूलाघाट से कपड़ा, लोहा, सीमेंट, कारतूस और डाइनामाइट वगैरह जो है वह आछाम एक जगह है नेपाल में वहां भेजा जा रहा है और वहां से जमाल एक जगह है तिब्बत के पास वहां कंसेंट्रेट करके भेजा जा रहा है जहां से वह तिब्बत और चीन में भेजा जाता है। तो जिस विभाग के ऊपर आरोप है अगर उसी से पूछा जायगा तो तब तो यही पता चलेगा कि नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन मेरा तो आरोप है कि बार्डर डिवीजन के अधिकारी यह सब सामान भेजने का काम कर रहे हैं और उससे चीन में पर्याप्त मात्रा में सड़कें बन रही हैं जबकि वहां कपड़े की कमी थी, लोहे और सीमेंट आदि की कमी थी, तो यह सारा सामान हमारे यहां से जा रहा है, क्या इसकी छानबीन वह करायेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के विचारों को सही प्रकार से समझ नहीं पाया। आपका कहना यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा कपड़ा या और चीजें वहां जा रही हैं; तो मैं नहीं जानता कि क्या पी० डब्ल्यू० डी० कपड़े का भी कार्य करता है ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं बड़ी गंभीरता से आरोप माननीय मुख्य मंत्री जी पर लगाता हूं । थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि पी० डब्ल्यू० डी० कपड़े का कार्य नहीं करता । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज आपके पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों की सांठ-गांठ से लोहा, कारतूस, सीमेंट और डायनेमाइट वगैरह यह सारी चीजें वहां नहीं भेजी जा रही हैं । केवल एक कपड़े का नाम लेकर आप क्वेश्चन को टालना चाहते हैं जो कि नेशनल डिफेंस का सवाल है । मैं जानना चाहता हूं कि उसकी इतनी उपेक्षा क्यों की जा रही है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक नेशनल डिफेंस का प्रश्न है वह प्रश्न तो, सदन भली-भांति जानता है, केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है और जो स्मगलिंग का विषय है, जहां तक दूसरे देशों को चोरी से सामान भेजने का संबंध है वह भी केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है । प्रदेशीय सरकार का उससे संबंध नहीं है । और अभी उपनेता सदन ने बताया कि जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० का संबंध है जितनी इत्तला सरकार के पास है, उस इत्तला की बुनियाद पर हम यह कह सकते हैं कि यह बात, जिसको और माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, बिना सिर पैर की है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न माननीय प्रताप सिंह ने सदन में उपस्थित किया है उसके साथ, केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करेंगे कि सदन में इस तरह के प्रश्न उठाये गए हैं, अतः इसकी रोकथाम के लिये कुछ सक्रिय कदम उठाये जायं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह प्रश्न है ही नहीं, और सरकार के ध्यान में चीज लायी नहीं गई । जब कोई बाकया सरकार के सामने आया नहीं तो सरकार केन्द्रीय सरकार से इसके बारे में चर्चा क्यों करे ? और यह तो जैसा मैंने बताया, कस्टम्स बैरियर और स्मगलिंग इत्यादि का प्रश्न संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के विषयों में है ।

श्री अध्यक्ष---यानी कस्टम्स आफिसर्स जब केन्द्र के रखे जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---येस ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---सरकार ने जो प्रश्न पूछा है उससे संबंधित कि क्या पी० डब्ल्यू० डी० का संबंध कपड़े से भी होता है, तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० का संबंध कपड़े से भी हो सकता है, सन से भी हो सकता है, सीमेंट से भी हो सकता है क्योंकि जहां कपड़े की जरूरत पड़ेगी वह कपड़ा खरीदेंगे, जहां सन की जरूरत पड़ेगी, वहां सन खरीदेंगे । तो अब इस बात को सही मानकर कि पी० डब्ल्यू० डी० कपड़े का भी इस्तेमाल करता है, जहां उसको पंखा बनाना होता है, सन का भी इस्तेमाल करता है, मूंज का भी इस्तेमाल करता है ।

श्री अध्यक्ष---वह इस बात को नहीं मानते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार जो सामान्य व्यापार भोटियों का तिब्बत की मंडियों में होता है उसका ध्यान रखते हुए इस बात का आश्वासन भविष्य के लिये देने की कृपा करेगी कि ऐसे सामान का स्मगलिंग न हो जिसका प्रयोग कोई भी मामलों में तिब्बत में हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--स्मगलिंग रोकना और उस पर प्रतिबंध लगाना और इसी प्रकार के जहां तक विदेशी मामलों का संबंध है केन्द्रीय सरकार का कार्य है । जब केन्द्रीय सरकार का कार्य है तो यह सदन न तो उस पर विचार कर सकता है और न निर्णय ही ले सकता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो यह कहा जाता है कि सामान उधर जाता है तो इस मामले में पी० डब्लू० डी० या इसी प्रकार से विशेष रूप से पी० डब्लू० डी० वर्कर्स यूनियन का किसी साधन के तरीके पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमारी यह सूचना नहीं है और जब सूचना नहीं है तो उसके प्रति कोई और कार्यवाही की जाय यह ठीक नहीं होगा ।

श्री प्रतापसिंह--इस बात को देखते हुए कि यह सवाल यहां पर जिम्मेदार तरीके से रखा है माननीय मुख्य मंत्री जी, जो वहां पर पी० डब्लू० डी० का बार्डर डिवीजन खोला गया है वह प्रदेशीय सरकार की तरफ से खोला गया है, उसकी जानकारी में यह सामान उधर जाता है, इसकी सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इन्टेलिजेन्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से हमको इत्तला मिली है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी हाल ही में अल्मोड़ा में २,५०० सीमेन्ट के बोरे चोरी हो गये तो क्या यह पता लगा कि वह सीमेंट कहां गया ? वह तिब्बत तो नहीं पहुंचा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

यू० पी० जेल्स के सितारगंज फार्म का गन्ना सस्ते दाम पर बेचे जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)--अध्यक्ष महोदय, श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने मुझे दो दफा चिट्ठी लिखने की कोशिश की । उन्होंने कल भी दफा ५२ के अन्तर्गत जो सूचना मुझे दी है उसके मुताबिक आपकी आज्ञा से इस सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

फरवरी, १९६१ में जिला नैनीताल के तहसील सितारगंज में बन्दियों का एक शिविर मुख्यतः इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि बन्दियों को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से कृषि में प्रशिक्षण दिया जा सकें ताकि वे जेल से मुक्त होने पर अपनी जीविका ईमानदारी से कमा सकें और अच्छे नागरिक बन सकें । इस शिविर में लगभग ८०० बंदी काम करते हैं । इस फार्म से कोई व्यापार करने का उद्देश्य नहीं था किन्तु यह आशा थी कि शिविर में खेती से बन्दियों के खाने के लिये अन्न पैदा किया जाय जिससे जेल अन्न के संबंध में स्वावलम्बी हो जाय । इस उद्देश्य से सितारगंज में ६ हजार एकड़ जंगल तथा खेती योग्य भूमि प्राप्त की गई । इसी उद्देश्य से इसको खोला गया । लेकिन वहां जेल के लिये केवल ३ हजार एकड़ ही भूमि खेती के लिये उपलब्ध हो सकी । यह तीन हजार एकड़ का फार्म है, जिसमें खेती होती है । साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यह तखमीना है कि करीब ४ लाख मन गन्ना इस फार्म से पैदा होगा । इसके पश्चात् केन कमिश्नर से सम्पर्क स्थापित किया गया और केन कमिश्नर ने जिन कारणों के आधार पर इस गन्ने को फैक्टरियों में भेजने से इन्कार कर दिया उनको मैं बतलाना चाहता हूं । पहला कारण यह है कि सितारगंज फार्म किसी फैक्टरी के क्षेत्र में नहीं आता । दूसरे वहां से गन्ना बाहर भेजने के लिये उनके यहां कोई ठीक सड़क

[डाक्टर सीताराम

या पुल नहीं है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने चीनी बनाने पर १० प्रतिशत कटौती कर दी है । चौथे चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन १० प्रतिशत बढ़ गया है । इसलिये प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक गन्ना हो गया है । इन्हीं कारणों से केन कमिश्नर ने शासन को सूचित किया कि जेल फार्म पर जो गन्ना पैदा हुआ है उसे वे चीनी मिलों को देने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं । ला और फाइनेंस विभाग से सलाह लेने के बाद डिपार्टमेंट अधिकारियों ने टेण्डर काल किये । बरेली में जब टेण्डर खोले गये । उस समय श्री चतुर्वेदी, अधीक्षक, सितारगंज फार्म, आई० जी०, डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकल्चर, केन कोआर्डिनेशन अफसर आदि मौजूद थे और उन पांच अफसरों के दस्तखत उस टेण्डर पर मौजूद है । टेण्डर काल करने के पहले उसकी वाइड पब्लिसिटी की गयी थी.....

श्री अध्यक्ष---टेण्डर किस भाव का निकला ?

डाक्टर सीताराम---६५ नये पैसे । मैं पूर्ण सूचना दे देना चाहता हूं ताकि सदन को मालूम हो जाय कि क्या कार्यवाही आई० जी० ने की है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तमाम जानकारी आप प्रश्नों के उत्तर में दे सकते हैं । उन्होंने टेण्डर काल किये और हाईएस्ट एक्सेप्ट किया ।

डाक्टर सीताराम---जी हां । उसके बाद उन्होंने ६ सप्ताह का समय मांगा केन क्शर इस्टैब्लिश करने के लिये । यह कहना कि सरकार को काफी क्षति हुई, ठीक नहीं है । ६०० एकड़ में अगर हम गेहूं बोते तो तराई के क्षेत्र में १५ मन फी एकड़ के हिसाब से.....

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस करने लगे । फैक्ट्स हो गये । अब आप लोग प्रश्न पूछें ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सज्जनों को यह ६५ नये पैसे मन गन्ना दिया गया उनमें क्या यह सही है कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के श्री दरबारीलाल जी शर्मा भी हैं जब कि बाजार भाव गन्ने का १ रुपये १० आने मन है ?

श्री अध्यक्ष---क्या अकेले उनको ही दिया गया ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---नहीं, दो तीन और हैं ।

श्री अध्यक्ष---तो आप सब के बारे में पूछिए ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या उसमें एक यू० पी० सी० सी० के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं ?

डाक्टर सीताराम---श्री दरबारीलाल शर्मा तो हैं, उनका नाम है, लेकिन यह नहीं पता कि वह वही दरबारीलाल शर्मा हैं या कोई दूसरे ।

श्री अध्यक्ष---कौन-कौन हैं यह भी बता दीजिये ।

डाक्टर सीताराम---६ लोगों ने अपने टेण्डर दिये थे उनके नाम इस प्रकार हैं---सर्वश्री बाबूराम रतन लाल, सम्मन लाल, शिवशंकर लाल, श्री गोपाल, ओम प्रकाश, बरेली, दरबारीलाल शर्मा, बरेली; न्यू लाइट इंजीनियरिंग ऐण्ड फाउन्ड्री वर्क्स, बरेली और राधाकृष्ण अग्रवाल वर्क्स, बरेली ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को जो मैंने एक पत्र ३---११---६१ को लिखा था कि इस केस में बड़ी गड़बड़ी हो रही है आप इसकी सैंक्शन न दें वह मिला था और यह सक्शन उसके बाद दी गयी ?

श्री अध्यक्ष---आपने भी क्या कोई टेण्डर भेजा था ? आपकी बात तो वे मानेंगे नहीं । आपने क्या कोई आफर ऐसा भेजा था कि आप उसको १२ आने मन लेने को तैयार हैं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं कोई व्यापार नहीं करता । मैंने तो शिकायत की थी कि बहुत सस्ते भाव पर गन्ना जा रहा है । इसको फाइनलाइज न किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता । दूसरा प्रश्न पूछिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी व्यापारी ने, भोलानाथ ने या किसी दूसरे ने, थ्रू जेल सुपरिन्टेन्डेंट यह आफर भेजा था कि वह एक लाख मन गन्ना १४ आने के रेट से खरीदने को तैयार हैं ?

डाक्टर सीताराम---यह सूचना निराधार है इसलिये कि जब टेण्डर्स मांगे गये थे तो उस समय उसने एप्लाई क्यों नहीं किया । बाद को कोई जो भी दाम दे वह बात असंगत होती है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार के अधिकारियों ने, साढ़े १० आने मन के टेण्डर के बाद, इस तरह की कोई कोशिश की या कोई ऐसा प्रयास किया जिससे अधिक पैसा गन्ने का मिल सके ?

डाक्टर सीताराम---टेण्डर का हमेशा एक तरीका हुआ करता है .....

श्री अध्यक्ष---आप तो बहस कर रहे हैं । वह यह जानना चाहते हैं कि यह जानकर कि यह टेण्डर कम कीमत पर हैं, आपके अधिकारियों ने दोबारा टेण्डर मांगने का प्रयास किया ?

डाक्टर सीताराम---उसके लिये बिल्कुल टाइम नहीं रहा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि इस गन्ने का उपयोग करने के लिये सितारगंज में एक ओपेन पैन फैक्टरी खोलने की योजना थी और जिसे यह सदन स्वीकार भी कर चुका है ? यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सीताराम---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---तो वह क्यों नहीं खोली गयी, यह भी तो आप बतायें ।

डाक्टर सीताराम---बात यह है कि उसकी कैपैसिटी केवल एक लाख मन गन्ना पेरने की ही है, जबकि गन्ने की पैदावार ४ लाख मन है । वह तो एक लाख मन ही पेरेगी और उसकी बातचीत प्लानिंग विभाग से चल रही है ।

श्री गौरी शंकर राय---क्या सरकार को इस तरह की कोई शिकायत मिली है कि कम टेण्डर दे करके ४ लाख मन गन्ने को जो खरीदा गया है उससे एक लाख रुपया जो बचा है उसको कांग्रेस चुनाव फंड के लिये रख दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय जेल मंत्री जी का ध्यान उद्योग मंत्री, श्री रऊफ जाफरी, के उस बयान की ओर गया है जो उन्होंने अभी दिया है कि किछा मिल इसी सीजन में दिसम्बर या जनवरी में चल जायेगी और सितारगंज का वह गन्ना किछा फैक्टरी के लिये सुरक्षित रख लिया जायेगा ताकि उनको नुकसान भी न हो और गन्ना भी पिर जाय ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---मैंने यह कहा था कि किछा की फैक्टरी को जल्दी चलाने की चेष्टा की जा रही है, यह नहीं कहा या कि चल जायेगी ।

श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि यह सब टेण्डर्स एक साथ आये या अलग-अलग और इनमें सबसे कम और अधिक टेण्डर्स किस दर के आये ?

डाक्टर सीताराम---टेण्डर्स अलग ही हुआ करते हैं । इसमें मैक्सीमम ६५ नये पैसे थे और कम से कम ३७ नये पैसे का था ।

श्री अध्यक्ष---आपने आखिर में क्या बताया ?

डाक्टर सीताराम---मैक्सिमम ६५ नये पैसे था और मिनिमम ३७ नये पैसे था ।

श्री अध्यक्ष---सभी को ६५ नये पैसे में दिया ?

डाक्टर सीताराम---दो को ६५ पर और एक को ६३ पर दिया ।

श्री अध्यक्ष---तादाद भी उन्होंने दे दी थी कि गन्ना इतना लेंगे ?

डाक्टर सीताराम---तीनों एक एक लाख मन लेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सब डिवीजन से साल गन्ना विभाग द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया था कि तराई इलाके में नये खेतों में गन्ना न लगाया जाय क्योंकि उसको क्रश करने की क्षमता नहीं है तो उस सर्कुलर के बावजूद मेरा फार्म में क्यों गन्ना लगाया गया ?

डाक्टर सीताराम---वहां पर गन्ना इसलिये लगाया गया कि जो कंडी है वह उसकी खेती सीख सकें और बाद में उससे लाभ उठा सकें । साथ ही साथ एक टेक्निकल चीज शायद तराई के महाशय जानते होंगे कि वहां पर खेतों में कांस ज्यादा पैदा होती है जिसको इरैडिकेट करने के लिये गन्ना ही एक ऐसी फसल है जो जल्दी लाभकारी हो सकती है । तो इस प्वाइंट आफ व्यू से भी गन्ने की खेती कराई गई ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया कि दो टेंडर ६५ नये पैसे के थे और एक ६३ का, तो वह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरदारीलाल जी का टेंडर कितने रेट का था और कितने मन का था ?

डाक्टर सीताराम---एक लाख मन का उनका भी है । उनका टेण्डर ६३ का था या ६५ का, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---गन्ने के तखमीने के सिलसिले में मैंने अपने पत्र में मंत्री जी को लिखा था कि पटवारी कहीं पर सात इंदराज नहीं करता है और यह तखमीना गलत है, तो क्या केन डिपार्टमेंट द्वारा गन्ने का सही तखमीना लगाने की कोशिश की गई ?

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब है कि गन्ने का वजन कितना है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जी हां ।

डाक्टर सीताराम---पटवारी टेक्निकल आदमी नहीं होता । डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर और केन कोआर्डिनेशन आफिसर टेक्निकल आदमी हैं; उनका अन्दाजा है कि ६०० मन फी एकड़ के हिसाब से चार लाख मन गन्ना पैदा होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि गन्ना बोने के सम्बन्ध में कहा गया था कि गुड़ बनायेंगे और जब लास्ट ईयर गुड़ बनाया गया था और विभिन्न जेलों को सप्लाई किया गया था तो आडिट आब्जेक्शन लगा था कि इसमें लास हुआ, ऐसा न किया जाय, लेकिन फिर उसी बात को रिपीट किया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह कोई महत्व की बात नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि टेण्डर के बारे में आम जनता को न बताकर कुछ लिमिटेड आदमियों को ही बताया गया जिसके कारण गन्ना १ रुपया १० आने मन के बजाय ६५ नये पैसे में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---यह बात बिलकुल निराधार है क्योंकि पांच अखबारों में इसकी घोषणा की गई थी और १३ अधिकारियों से इस सम्बन्ध में कहा गया था जैसे जिलाधीश बरेली, जिलाधीश नैनीताल, गन्ना आयुक्त लखनऊ, केन यूनियन फेडरेशन, बरेली. . . . . .

श्री अध्यक्ष---इनके जरिये से घोषणा कराई गई ?

डाक्टर सीताराम---दस-बारह तारीख को ५ अखबारों में घोषणा हुई थी । साथ ही साथ १३ कैटेगरी के अधिकारियों के द्वारा भी जो बरेली के थे, प्रचार कराया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि उस फैक्ट्री की क्रशिंग कैपेसिटी १ लाख मन थी । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वह फैक्टरी थी भी ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अगर इजाजत हो तो मैं इस बारे में कुछ सूचना दे दूं । गन्ने का प्रश्न मेरे सामने भी आया था और आज यह प्रश्न एक काफी अहमियत का प्रश्न बन गया है । जेल विभाग के गन्ने का भी प्रश्न जब मेरे सामने आया तो मैंने भी विभाग से यह जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की कि जब गन्ना उत्तरोत्तर वैसे ही ज्यादा हो रहा है तो विभाग ने फिर क्यों उसको पैदा करना प्रारम्भ किया । मुझे यह बताया गया कि चूंकि पिछले वर्ष किछा में फैक्टरी खुल जाने की चेष्टा हो रही थी और उस वक्त आशा थी कि वह जल्दी ही खुल जायगी और जो मिल मालिक उस फैक्टरी को लगवा रहा था वह उसको लगवा देगा, इसलिये विभाग ने उस गन्ने को वहां बुआया ।

जहां तक साढ़े दस आने मन की कीमत का सवाल है, उसके विषय में मेरा निवेदन यह है कि जो लोग वहां फार्म किये हुए हैं और जिनका गन्ना फैक्टरी को नहीं जा पाता है और उनको किसी दूर की फैक्टरी में भेजना पड़ता है, उनको १०,११ या १२ आने मन ट्रान्सपोर्ट के चार्जेज देने पड़ते हैं । यह फैसला हमें इसलिये भी लेना पड़ा चूंकि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष से एक योजना बनाई है जिसके मातहत १० प्रतिशत गन्ना तो वैसे ही घट जायगा और उस योजना की वजह से हमारा गन्ना उसमें आने वाला नहीं है । इसलिये उसको डिसपोज आफ करने का सब से अच्छा तरीका यही हो सकता था कि टेंडर मांगे जाते और वह गन्ना उन लोगों को बेच दिया जाता जो गुड़ और खांडसारी का काम करते हैं । सरकार यह तो बरदाश्त नहीं कर सकती थी कि उस गन्ने को खेतों में ही सुखा दिया जाता । टेंडर ही एक ऐसा तरीका था जिसके जरिये से हमें ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल सकती थी । इसलिये उसको बेचने का यही तरीका अपनाया गया ।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मेरे प्रश्न का तो उत्तर आया नहीं कि वह फैक्टरी भी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो नहीं कहा कि वह फैक्टरी है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जब चार लाख मन गन्ने का सवाल मेरे सामने आया तो मैंने क्रशर के लिये भी कहा । लेकिन मुझे बताया गया कि क्रशर उपलब्ध नहीं है । क्योंकि जो फैक्टरी क्रशर तैयार करती हैं उनके पास पहले से ही बहुत से आर्डर पहुंच गये थे, लेकिन हमने पहले आर्डर भेजा नहीं था, इसलिये हमें क्रशर मिल नहीं सका, वरना क्रशर के जरिये से उसको वहां पेरा जाता ।

श्री गौदासिंह (जिला देवरिया)---अगर क्शार लगाना असम्भव था तो वहां कोल्हुओं के जरिये गुड़ बनाने के बजाय १० आने मन गन्ना क्यों बेचा गया ?

श्री अध्यक्ष---अभी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने गुड़ के बारे में बतला दिया। श्री गोविन्द सिंह विष्ट ने गुड़ के बारे में प्रश्न पूछा था; उन्होंने बतलाया कि आडिटर जनरल करता कि इसमें नकसान होता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नही दिया है।

श्री अध्यक्ष---मैं उसको रिपीट नहीं कराना चाहता हूं, यह एक सुझाव है कि उसमें नुकसान होता है ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी सदन के तमाम सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुये इस बात पर विचार करेंगे कि फिर टेंडर मंगवाया जाय और जो हाइएस्ट टेंडर आवे उसको दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे पता नहीं है कि टेंडर मंजूर कर लिया गया है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अधिक का टेंडर देकर गन्ना लेना चाहता है और यदि उस व्यक्ति की नोटिस में वह टेंडर नहीं आया है तो सरकार उस व्यक्ति को गन्ना देने को उद्यत है और पहले के टेंडर को वह काट देगी ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, सरकारी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वहां के खेतों में कांस की बहुतायत थी इसी वजह से वहां गन्ना लगाया गया, जबकि उस फार्म में हजारों काश्तकार थे. . . . . .

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं । प्रश्न पूछें ।

श्री प्रतापसिंह---मेरा कहना यह है कि पहले वहां गेहूं और धान की पैदावार होती थी और वहां के खेत कोई बंजर नहीं थे, तो फिर यहां कांस का सवाल उठा कर इस हाउस को कन्फ्यूज क्यों किया जाता है ।

डाक्टर सीताराम---६५ नये पैसे का टेंडर है और अगर बहेड़ी की फैक्टरी तक गन्ने को ले जायं तो इस, बारह आने भाड़ा लग जाता है । तो ६५ और ७५ नये पैसे मिला कर १.४० नये पैसे होते हैं जब कि फैक्टरी रेट १.६२ नये पैसे है । इस तरह से २२ नये पैसे का फर्क पड़ता है । लेकिन अगर इस २२ नये पैसे के पीछे पड़ें तो मालूम नहीं कि डिपार्टमेंट को कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उत्तर दे दिया गया है, उसके बाद कोई बात नहीं रहती है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि वहां कोई बंजर जमीन नहीं थी और वहां कांस का भी कोई प्रश्न नहीं था ? यदि हां, तो सरकारी आदेश की अवहलना क्यों की गई और खेती करने के बजाय वहां गन्ना क्यों बोया गया ?

डाक्टर सीताराम---मैं पहले ही बतला चुका हूं कि इस साल किच्छा फैक्टरी लग जाने की सम्भावना थी, लेकिन वह नहीं चल पाई, इसी उम्मीद में गन्ना बो दिया गया था ।

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, फाइनेंशल हैंडबुक में यह है कि अगर टेंडर की दर सन्तोषजनक न हो तो फिर दोबारा टेंडर मांगते हैं । दूसरी बात यह है कि फाइनेंशल हैंडबुक में यह भी नियम है कि उसे अखबारों के जरिये एक महीने तक प्रचारित किया जाय, लेकिन इस केस में सिर्फ दो दिन ही यह अखबारों में प्रचारित किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि टेंडर मांगने में फाइनेंशल हैंडबुक के अनुसार जो पूरे रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा क्यों नहीं किया गया ।

डाक्टर सीताराम--फाइनेंस डिपार्टमेंन्ट तथा ला डिपार्टमेन्ट की राय ली गई, उसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)--माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ला डिपार्टमेंट की तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट की राय ली गई, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फाइनेंशियल हैंड बुक के मुताबिक टेंडर की पूरी शर्तें अख्तियार की गई थीं, जैसे प्रचारित करने का पूरा तरीका इत्यादि ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की क्योंकि अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं उन से ज्ञात हुआ है कि वहां कुल गन्ना ४ लाख मन था, जिस में से ३ लाख मन के आर्डर तो कम्युनिकेट हो चुके हैं, लेकिन अभी १ लाख मन के नहीं हुए हैं, यदि कोई उस १ लाख मन गन्ने को अधिक दाम पर लेना चाहता है तो उस के टेंडर को अभी नामंजूर कराया जा सकता है और इतना माल सरकार उसको दे सकती है जो ज्यादा दाम दे ।

श्री उग्रसेन--इस बात को देखते हुए कि सरकारी सम्पत्ति का नुकसान है, माननीय मुख्य मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सरकारी ओपिन पैन फैक्टरी में वह गन्ना पेरा जा सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कह तो दिया कि फैक्टरी नहीं लग सकती, वह नहीं मिल रही है, आये कहां से ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--जब ४ लाख मन पर २२ पैसे प्रति मन के हिसाब से २८ हजार रुपया बच सकता है तो क्यों नहीं मिल को देने की व्यवस्था की गई और जब केन कमिश्नर को पावर है कि वह किसी मिल को १ मास अधिक चलाने का आदेश दे दें तो क्यों यह सरकारी गन्ना किसी मिल को ज्यादा समय देकर नहीं पिरवाया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--शायद माननीय सदयों को ज्ञात नहीं है कि फैक्टरियों को कितना गन्ना इस साल पेरना है, सब का कोटा निर्धारित कर दिया गया है, कोई फैक्टरी अधिक गन्ना नहीं पेर सकती और अगर पेरेगी तो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट आफ इंडिया ज्यादा लेगी । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ३ साल का एवरेज निकाल कर केन्द्रीय सरकार ने क्रशिंग कोटा तय किया है और वह अधिक गन्ना नहीं पेर सकतीं ।

श्री अध्यक्ष--अब इसको समाप्त किया जाता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--केवल एक प्रश्न और पूछने दिया जाय, केवल एक ।

श्री अध्यक्ष--अच्छा, पूछिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह--जैसा कि उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि किछा फैक्टरी चल जायगी और वह इस गन्ने को पेर लेगी, इसलिये वहां ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोया गया और डेफिसिट के कारण दिल्ली से और यहां से भी रिफ्यूजल हो गया तो फिर किस आधार पर यह आशा थी और सम्भावना थी कि वह फैक्टरी चल जायगी और गन्ना बो दिया गया और जबकि कर्जा भी आप ही देने वाले थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हम कर्जा देने वाले नहीं थे बल्कि वह केन्द्रीय फाइनेंशियल कारपोरेशन कर्जा देने वाला था और जो गन्ना फैक्टरी को चलाने वाले थे उन्होंने भी कई दिशाओं में अपनी असमर्थता प्रकट की, सरकार ने कुछ मदद भी करनी चाही, लेकिन जिसके कालेबोरेशन से वह फैक्टरी चलाने वाले थे उन से भी कालेबोरेशन ठीक से नहीं होने पाया । इस कारण से जो व्यक्ति फैक्टरी चलाना चाहते थे उन्होंने अपनी इनएफिशियेंसी दिखाई या कहिये कि अयोग्यता दिखाई, वही फैक्टरी के न लगाने के जिम्मेदार हैं ।

श्री शिव प्रसाद नागर---मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठें ।

श्री सुरथ बहादुर शाह---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि यहां के माननीय सदस्यों को यह ज्ञान नहीं है कि फैक्टरियों में कितना गन्ना पेरा जायगा, मैं कहना चाहता हूं कि अपने-अपने क्षेत्र के बारे में सब माननीय सदस्य जानते हैं, मैं अपने यहां की मिल के बारे में जानता हूं और केवल यह ही नहीं, शुगर के बारे में टेक्निकल डिटेल्स भी जानता हूं । यदि वे चाहें तो वह भी बता सकता हूं । सवाल पेरे जाने का नहीं था । मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला । मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार के फाइनेंशियल हैंड बुक के हिसाब से जो रूल्स हैं उनका पूरा पालन हुआ । उसका उत्तर नहीं दिया गया । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह भी है कि उनको क्या अपनी जानकारी नहीं है तो विभाग के द्वारा उनको क्यों नहीं ठीक समझा दिया जाता है । यहां हमें अपनी जानकारी है ।

श्री अध्यक्ष---मालूम है तो ठीक है ।

श्री उल्फतसिंह द्वारा जनसंघ दल की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि श्री उल्फतसिंह (बदायूं) ने सूचना दी है कि मैं सदन को सूचना दे दूं कि उन्होंने जनसंघ को ज्वाइन कर लिया है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---आपकी छत्रछाया में जनसंघ आखिरी दिन भी डूब गया ।

वोट आन एकाउन्ट से संबंधित श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये प्रश्न के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---दूसरी सूचना यह है कि नारायणदत्त जी ने एक प्रश्न उठाया था कि १९६१-६२ के बजट में वोट आन एकाउन्ट की धनराशि शामिल नहीं की गई, उसे छोड़कर रान्ट पेश की गई । मैंने कहा था कि पिछली जो प्रथा थी उसको छोड़ कर अब इस वर्ष जो यह प्रथा शुरू की गई है वह वैध है या नहीं, इसके बारे में मैं एडवोकेट जनरल से सलाह ले लूंगा । एडवोकेट जनरल ने राय दी है कि इस साल जो प्रथा चलाई है वोट आन एकाउन्ट की धनराशि न शामिल करने की वह उचित है और इसके कई कारण उन्होंने दिये हैं । उसमें यह है कि दोबारा वोटिंग न हो जाय उसके लिये अगर दोबारा वोटिंग हो और कुछ हिस्सा खर्च हो गया हो और उसके बाद अगर आप सही वोट डाउन करते हैं तो एक विलक्षण परिस्थिति पैदा हो सकती है । उन्होंने कई अन्य कारण भी दिये हैं । जो उनकी राय है, उसके आधार पर मैंने जो निर्णय लिया है, वह मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं उसको बंटवा दूंगा । मैंने उनका सार बतला दिया कि यह वैधानिक दृष्टि से सही तरीका है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९० पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, एडवोकेट जनरल तो इस सदन में भी विराज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप चाहेंगे तो मैं उनकी राय की नकल आपको दिखा दूंगा ।

२१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न ८–९ से संबद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र शाह द्वारा पूछा गया विधान सभा का तारांकित प्रश्न संख्या ४८ तथा ४९ विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६१) के पांचवें शुक्रवार के लिये निर्धारित था । उक्त प्रश्न निम्नवत् थे :

"४८—क्या यह सही है कि जिला जालौन में कर्नल ईश्वर सिंह इन्टर कालेज, शेखपुर बुजुर्ग, में कोई प्रबन्धक कमेटी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती, इसका कारण तथा भविष्य में कब तक कमेटी बना दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह शोधन वक्तव्य जो है, यह इसमें छपा हुआ है, तो आप इतना ही कह दीजिये कि मैं शोधन वक्तव्य छपा हुआ पेश करता हूं ।

श्री रामस्वरूप यादव—मैं शोधन वक्तव्य, जो छपा हुआ है, उसे पेश करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९१–९२ पर ।)

श्री अध्यक्ष—इसी तरह से आगे वाले भी पेश कर दीजिये ।

२८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न ९–१० के संबंध में श्री मोतीलाल अवस्थी द्वारा पूंछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वशासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं यह छपा हुआ शोधन वक्तव्य पेश करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ९३ पर)

२३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न ६–७ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—मान्यवर, मैं यह छपा हुआ शोधन वक्तव्य पेश करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ९४ पर ।)

२९ अगस्त, १९६१ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४–५ से सम्बद्ध अनुपूर्वक प्रश्न उत्तर का शोधन

गृह उपमंत्री (श्री नवल किशोर)—मान्यवर, मैं यह छपा हुआ शोधन वक्तव्य पेश करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज आगे पृष्ठ ९५ पर) '

१९ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—मान्यवर, मैं यह छपा हुआ शोधन वक्तव्य पेश करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ९६ पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, यह जो आखिरी वक्तव्य अभी पेश किया गया इसमें पहले उत्तर था कि उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई और अब संशोधित उत्तर जो उसमें कहा गया है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई । तो, श्रीमन्, बिलकुल ही झूठे या गलत जवाब दिये जाते हैं । क्या सरकार की तरफ से सदन को इस प्रकार से असत्य उत्तर देने के लिये कोई खेद प्रकट नहीं किया ? क्या यह कार्य सरकार का प्रिविलेज मोशन के अन्तर्गत नहीं आ सकता ?

श्री अध्यक्ष---वह सखेद है, आप ऐसा मान लीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आइन्दा इसका खयाल रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष---मैंने जल्दी करने के लिये कहा है कि यह वह कह दें "जो छपा हुआ है उसे पेश करता हूं ।"

श्री मोतीलाल अवस्थी---खेद का शब्द नहीं है । कर्म से भी तो खेद प्रकट करें ।

[* * *]

प्रदेश में गन्ने की पेराई की समस्या के संबंध में विवाद (समाप्त)†---

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १०१ के अन्तर्गत सर्वश्री मदन पांडेय, टम्बरेश्वर प्रसाद, बलदेव सिंह तथा चन्द्रजीत यादव की सूचना पर प्रदेश में गन्ने की पेराई की समस्या के सम्बन्ध में विवाद चलेगा ।

श्री ब्रंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। हमने नियम ५४ के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया . . . ।

श्री अध्यक्ष---जितने प्रस्ताव थे मैंने सब को सरकार के पास भेज दिया है ।

श्री ब्रंशीधर शुक्ल---सरकार कुछ नहीं करेगी ।

श्री अध्यक्ष---सरकार जो करेगी उसकी सूचना मुझको देगी ।

श्री ब्रंशीधर शुक्ल---श्रीमन्, पुलिस जितना अब अत्याचार कर रही है उतना कभी नहीं किये है । माननीय चरण सिंह जी पुलिस के गुलाम हो गये हैं, पुलिस रिश्वत ले रही है, अत्याचार कर रही है . . . . . ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---परसों जब विवाद आरम्भ किया था तो मैंने दो बातों का जिक्र किया था । एक जो मौजूदा क्राइसिस पैदा होने का कारण है, सरकार की जो पिछले १२ वर्ष से गन्ने के सम्बन्ध में गलत नीति चल रही है और दूसरी आम तौर से जो दाम नीति का अभाव सरकारी नीति है उसके कारण यह क्राइसिस पैदा हुई है ।

दूसरी बात जो मैंने उस दिन कही थी, आज थोड़ा सा उसका संकेत कर देना चाहता हूं । जो मौजूदा प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित हुआ है वह दो आदेशों की वजह से हुआ है जिनमें एक केन्द्रीय सरकार का है और दूसरा प्रान्तीय सरकार का है । केन्द्रीय सरकार के आदेश के द्वारा मिलों पर यह पाबन्दी लगा दी गई है कि उन्होंने पिछले वर्ष जितनी चीनी का उत्पादन किया था उससे १० प्रतिशत कम चीनी का उत्पादन वे इस वर्ष करें और अगर उन्होंने अधिक किया तो उस पर उनको उत्पादन शुल्क दूना देना पड़ेगा ।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह पीठासीन हुये ।)

***---यह अंश माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

†१५ नवम्बर, १९६१ की कार्यवाही से ।

इसके परिणामस्वरूप जहां पिछले वर्ष नवम्बर के प्रथम सप्ताह में या अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में बहुत-सी मिलें चल गई थीं, अब तक इस वर्ष इस प्रदेश की एक आध मिल चली हों तो चली हों नहीं तो मिलें नहीं चल रही हैं और इस तरह से एक महीना लेट चल रही हैं ।

दूसरा आदेश जो प्रान्तीय सरकार का है वह यह है कि जो केन डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है और केन यूनियन्स को आदेश दिया गया है कि इस वर्ष मिलों को गन्ने की सप्लाई का कोटा, पिछले तीन वर्ष में जो औसत सप्लाई रही है, वही रहेगा। इन दोनों आदेशों की वजह से हमारे प्रदेश के ३० लाख गन्ने के किसान और इस देश के करोड़ों किसानों के अन्दर एम कशमकश व आतंक की भावना पैदा हो गई है और उनको यह अहसास हो रहा है कि उनका गन्ना खड़ा रह जायगा ।

जहां तक इस प्रदेश का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य मन्त्री जी से शिब्बनलाल सक्सेना, मैं और मेरे अन्य सोशलिस्ट पार्टी के साथियों ने मिल कर १३ तारीख को बातचीत की थी। यह आशंका हो रही थी कि ५ करोड़ मन गन्ना रह जायगा क्योंकि पिछले साल से बेशी गन्ना इस साल है। उनका कहना यह था कि जब दोहरा कर तखमीना लगाया गया तो मालूम यह हुआ कि पिछले साल का जो तखमीना था करीब-करीब वही है, मुमकिन है कुछ कमोबेशी हो जाय। मुख्य मन्त्री जी चले जा रहे हैं और जाफरी साहब बैठे हुये हैं। लिहाजा माननीय मुख्य मन्त्री के कथनानुसार कोई आवश्यकता नहीं रह गई है कि १० प्रतिशत की कटौती मिलों के प्रोडक्शन में की जाय या तीन साल का औसत निकाल कर गन्ना मिलों को सप्लाई किया जाय। लेकिन फर्ज कर लीजिये कि सरकार के कहने के मुताबिक ही परिस्थिति है, तो जो समस्या है उसको हल करने का तरीका जो अख्तियार किया जा रहा है वास्तव में वह तरीका नहीं होना चाहिये। जिन-जिन तत्वों की जिम्मेदारी है इस क्राइसिस के पैदा करने में उन सभी को सरकार द्वारा इसके परिणाम को भुगतवाना चाहिये तभी यह सरकार अपना फर्ज पूरा करेगी।

माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े होंगे तो वह हमसे कहेंगे कि गन्ना उत्पादकों ने जो ज्यादा एकरेज बढ़ा लिया है उससे हम खुश नहीं हैं, वह प्रति एकड़ उपज बढ़ाते तो हम ज्यादा खुश होते। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले २२ वर्ष से गन्ना विभाग इस प्रदेश में कायम है और इस २२ वर्ष में गन्ना विभाग ने जो उन्नति गन्ने की की है वह आंकड़ों से जाहिर है। जितनी आमदनी सरकार को इस गन्ने के फलस्वरूप हुई है एक्सा-सइज में या सेस लगा कर वह भी हमारे सामने है । जिस समय सेस लगाया गया था तो उस समय स्पष्ट कहा गया था कि जो पैसा उस सेस से आयेगा वह पैसा गन्ने की तरक्की के लिये लगाया जायगा। आज मैं उनकी जानकारी के लिये बतला दूं कि दक्षिण भारत में जितना गन्ना पैदा होता है उस सब के लिये सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन उत्तरी भारत में पंजाब को छोड़ कर सब से कम सिंचाई की व्यवस्था है और यह सरकार की तरफ से जो गलत नीति बरती गई है कि सेस का पैसा दूसरी मदों में व्यय किया गया है उसी का नतीजा है कि आज प्रति एकड़ उपज में वृद्धि नहीं हुई है। इसकी जिम्मेदारी किसानों पर नहीं है बल्कि सरकार की है।

खाद पर जो खर्च दक्षिण भारत में होता है....

(लाल बत्ती जलने पर)

यह क्या बात है ? मुझे १७ मिनट मिलने चाहिये थे। कल माननीय उपाध्यक्ष ने रूलिंग दी थी ।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन आज आदरणीय अध्यक्ष जी ने समय की कमी के कारण डिबेट को कुछ कम कर दिया है । आप एकाध मिनट और ले लीजियेगा ।

श्री मदन पाण्डेय--आप पहले इस लाल बत्ती को तो हटाइये।

(लाल बत्ती के बुझने पर ।)

[श्री मदन पाण्डेय]

मैं खाद के बारे में कह रहा था कि दक्षिण भारत में १३५ रुपया प्रति एकड़ खाद पर खर्च होता है और हम ४१ रुपया प्रति एकड़ करते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे जरा इस तरफ ध्यान दें।

बीज पर जितना खर्च होता है उसे देखिये। यहां पर ४१ मन प्रति एकड़ खर्च होता है वहां पर ८४ मन प्रति एकड़ होता है।

जहां तक रकबे का सवाल है, मेरे पास उसके कुछ आंकड़े हैं। वे हेक्टर्स में हैं, एकड़ में नहीं हैं। मैं उनको पढ़ता हूं। सन् १९५८-५९ में हमारे यहां १९४४ हजार हेक्टर्स भूमि पर गन्ना पैदा किया गया था सारे हिन्दुस्तान में और १९५९-६० में जिसकी चीनी १९६०-६१ में बनकर तैयार हो रही है २,०९५ हजार हेक्टर्स पर गन्ने की खेती की गई थी। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूं कि जिस हिसाब से चीनी की पैदावार बढ़ी है, यानी २२ लाख टन से वह बढ़कर इस वक्त ३० लाख टन यानी लगभग डेढ़ गुना जो पैदावार हुई है १९६०-६१ में और अगर इसी हिसाब से रकबे की वृद्धि को देखा जाय तो १,९४४ हजार हेक्टर्स और २,०९५ हजार हेक्टर्स हो रही है जिसका इस अनुपात से कोई मेल नहीं खाता। तो इस तरह से देखा जाय तो चीनी में जो पैदावार में वृद्धि हुई है और रकबे में जो वृद्धि हुई है उसमें कोई बराबरी नहीं है। इसलिये यह बहुत स्पष्ट है कि जो हमारा सेफ्टी बल्ब था, जो हमारी सुरक्षा भित्ति थी इस गन्ने के उद्योग में खांडसारी और गुड़ का उद्योग, उसका गला घोंट दिया गया है और यक-ब-यक सरकार अब क्या करने जा रही है? सरकार खुद कह रही है कि हम क्रशर्स खोज रहे हैं। क्रशर्स व कोल्हू जिसको विनष्ट करने में २२ वर्ष लगे हैं आज वह क्रशर या कोल्हू से उस सारी जरूरत को एक मिनट में पूरा करना चाहते हैं। न आपको इतने कोल्हू मिल सकते हैं, न इतने क्रशर्स मिल सकते हैं और न इतने बैल मिल सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि यह स्पष्ट बात है कि अगर किसानों को गन्ना जलाना पड़ा तो यह सरकार भी जलेगी। इस देश के गरीब किसानों को दबना पड़ा है। उत्तर भारत का चीनी उद्योग दबाया जा रहा है। दक्षिण के मिल मालिकों को १० करोड़ रुपये १० लाख टन पर रेल किराये का मुफ्त दिया जाता है क्योंकि उत्तर भारत की चीनी भी १०० रुपये टन किराया देकर बम्बई और मद्रास में उसी भाव पर बिकती है। दक्षिण में जो चीनी के सौदागर हैं, जो चीनी के मैगनेटस् हैं, उनको सौ रुपये फी टन बम्बई के मार्केट में फ्रेट्स नहीं देना पड़ता है और इस कारण १० लाख टन चीनी पर सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से उसमें १० करोड़ रुपये की बचत है। इस वर्ष चीनी ३ लाख टन एक्सपोर्ट की गई है, और भी की जा सकती है। इस कारण जो घाटा पड़ता है वह दक्षिण भारत के मिल मालिकों से पूरा किया जाय। इस वक्त यही करना चाहिये। जिस तरह से यह सरकार गन्ने के काश्तकारों की समस्याओं को हल करती है और मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार आर्थिक व्यवस्था को कैसे कायम रख सकती है और कैसे यह सरकार तब अपने को भी कायम रख सकती है। यह सरकार तभी अपनी जगह पर बैठने का हक रखती है अब वह इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य को समझे और अगर वह ऐसा नहीं कर सकती है और किसानों का गला घोंटने वाली नीति को बरतती है जिसके कारण आज वहां पूरे उत्तर प्रदेश के किसान बाढ़ और सूखे की वजह से परेशान हैं, तबाह हैं, २५,३० लाख किसान आज तबाह हैं और अगर सरकार उनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिये सही कदम नहीं उठा सकती है तो एक मिनट भी उसे यहां बैठने का हक नहीं है। उसे अपनी इस नीति पर फौरन इस्तीफा देना चाहिये, वह अविलम्ब अपने आदेश को वापस ले और अगर आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार से भी वापस लेने को कहे कि गन्ने का जो उत्पादन है उसकी खपत की जाय और जो माल किसानों का पड़ा हुआ है उसको पेरने के लिये फौरन मिलें चालू की जायं और मिल मालिकों से कहा जाय कि जब तक वह गन्ना पूरा न पिर जाय तब तक मिलें बन्द न हों।

इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि अगर इलेक्शन के दृष्टिकोण से भी सोचें तब भी इनके भले की बात है और उन्हें चाहिये कि इस बात का अब एलान करें।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो आज प्रदेश के लगभग ४ लाख परिवारों के ऊपर विवाद उपस्थित हुआ है, गन्ने को ले कर इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह प्रदेश पूरे देश की लगभग आधी चीनी का उत्पादन करता है। पिछले वर्षों में सरकार की ओर से तमाम प्रकार के प्रोत्साहन दे कर गन्ने की पैदावार की वृद्धि की गई। परसाल मिल वालों को यह छूट दी गई कि अगर वे समय से पहले सीजन शुरू करें तो एक्साइज ड्यूटी में कुछ छूट दी जायगी और अन्त तक चलायें तो उसके लिये भी उनको छूट दी जायगी। कहा यह जाता है कि चूंकि विदेशो का मार्केट अब बन्द हो गया है इसलिये अब अधिक चीनी के उत्पादन की जरूरत नहीं है। आज सारे संसार के पूंजीपतियों का मार्केट सिकुड़ रहा है। इसके अलावा यहां घटिया किस्म की चीनी का उत्पादन होता है। इसके लिये सरकार ने मिल मालिकों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि वे ऐसी चीनी तैयार करें जो विदेशों के मार्केट में ठहर सके। अभी चन्द दिन पहले थोड़ी-सी चीनी पाकिस्तान भेजी गई और उसने उसको बुरा समझ कर इन्कार कर दिया और क्यूबा से चीनी मंगा ली। श्रीमन्, आत्मनिर्भर कोई मुल्क तभी बन सकता है जब उस मुल्क की पैदावार बढ़े। हमारे देश में और विशेषकर इस प्रदेश में गन्ने की पैदावार आर्थिक विकास की रीढ़ है और जिस जिले से मैं आता हूं वहां के करीब-करीब ९० फीसदी लोगों का जीवन गन्ने की फसल पर निर्भर रहता है। बाकी १० फीसदी लोगों के पास या तो खेत नहीं हैं या खेत रहते हुये वे गन्ना बोते नहीं हैं। तो जिस प्रदेश की ५० फीसदी जनसंख्या केवल गन्ने की फसल से अपनी जीविका चलाती हो उसके साथ यह खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है।

परसाल से इस साल १० फी सदी गन्ने की उपज अधिक है और परसाल से इस साल १० फीसदी चीनी कम बनेगी। इसका मतलब यह है कि करीब २० फीसदी गन्ना बाकी रह जायगा जिसके पेरने का कोई प्रबन्ध इस सरकार के सामने नहीं है। मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि आज जो उदारता यह सरकार बरत रही है और केन कमिश्नर का यह आदेश प्रसारित किया गया है कि जो चाहे क्रशर लगा ले और उसके लिये लाइसेंस फ्री कर रहे हैं, कोई अवधि की पाबन्दी नहीं है, लेकिन अभी कल जो इसी सदन ने पास किया गन्ने के ऊपर टैक्स उसको यह सरकार बदस्तूर रख रही है। केन कमिश्नर की डिस्क्रिशनरी पावर आज भी उस ऐक्ट के जरिये मौजूद है जो गन्ना उत्पादकों के ऊपर तलवार की तरह से लटक रही है। अगर यह सरकार चाहती है कि गन्ना और चीनी के उत्पादन को रेगुलराइज करे तो वह इस ऐक्ट को वापिस ले। आज केन कमिश्नर जब चाहे तब खांडसारी लगाने वालों को बन्द कर सकता है। मैं आपके जरिये उसी ऐक्ट का उद्धरण पढ़ कर सामने रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि:—

"An application for the grant of a licence under sub-section (2) or for renewal thereof, shall be disposed of by the Sugar Commissioner expeditiously and shall not be rejected, except where the Sugar Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient to do in the public interest, and in particular when the grant or renewal of the licence is likely to prejudice regulation of the supply of sugarcane to any factory or effect development of sugarcane in any area."

अधिष्ठाता महोदय, इसका साफ मतलब यह हुआ कि जब केन कमिश्नर को यह विश्वास हो कि इस क्रशर के लगाने से फैक्टरी को गन्ने की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी तब तो वह लाइसेंस दे सकता है या रिन्यूअल के लिये इजाजत दे सकता है। लेकिन अगर उसको विश्वास हो जाय कि इसके लगाने से फैक्टरी को गन्ना कम मिलेगा तो वह उसको बन्द कर देगा। तो किसकी हिम्मत हो सकती है कि २५–३० हजार रुपया लगाकर कोई क्रशर लगाये और दूसरे साल ही केन कमिश्नर उसको उखड़वा कर फिकवा दे ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजनारायण तिवारी]

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह देखकर हैरान हो गया कि सरकारी फार्म का गन्ना जलाया जा रहा है। सरकार तो ४ लाख का नुकसान उठा सकती है, लेकिन किसान अपने गन्ने को सुखाकर या जला कर तबाही नहीं ले सकता है। यह सरकार के लिये तो सम्भव है, लेकिन किसान अपनी जिन्दगी कायम नहीं रख सकता है। पहले पांच साल के एवरेज के ऊपर कोटा बनाया गया लेकिन बड़ी मुश्किल से तीन साल का कर दिया गया और इस तरह से कर दिया गया कि पिछले तीन साल में जितना गन्ना सप्लाई हुआ है उसके प्रोन्त से कोटा बनाया जायगा। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकार चाहती नहीं है कि प्रदेश का विकास हो। मैं निवेदन कर चुका हूं कि विकास उसी मुल्क का हो सकता है जिसका उत्पादन बढ़ेगा। आज हमारे यहां की जनता की क्रय शक्ति घट रही है और आज दुनिया में सारे देश आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी हालत में सरकार की यह नीति बड़ी घातक नीति है और किसानों के लिये बड़ी कष्टदायक और दुखदायी है। इस संकट का मुकाबिला न सरकार कर सकती है, न कोई दल कर सकता है और न जनता ही कर सकती है।

अधिष्ठाता महोदय, पहले तो सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया था कि गन्ना कम बोया जाय बल्कि इनाम देकर किसानों को गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया था। अब जब कि फसल तैयार हो गई तो सरकार कहती है कि गन्ने की पेराई की कोई व्यवस्था नहीं है। तुम अपने गन्ने की स्वयं व्यवस्था करो। अब वह बेचारा क्या करे? जब माल अधिक होता है तो सस्ता बिकता है, लेकिन आज चीनी का वही दाम है। आज सरकार १० प्रतिशत ड्यूटी कम लेने के लिये तैयार है। यह नुकसान सरकार उठा सकती है, लेकिन किसानों की भलाई की बात नहीं सोच सकती है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि आज सरकार अपना गन्ना साढ़े दस आने मन तक बेचने के लिये तैयार है। आजकल किसानों को सरकार और मिल मालिक दोनों लूटते हैं। एक मन गन्ने पर सरकार ३१ पैसे टैक्स लेती है। किसान को गेट पर भाड़ा छोड़ कर १ रुपया ६ आना मन और परचेजिंग सेंटर पर १ रुपया ४ आना मन मिलता है। १३ पाता है इस प्रदेश का किसान। कैसे उसका भला हो सकता है? अगर हम अपने खेत को बटाई पर दे दें तो भी हम को आधा मिलता है। लेकिन गन्ने की कृषि करने के बाद १/३ मिलता है। जब अंग्रेजों शासन था तो हमको ६२ फी सदी मिलता था। वह घटते-घटते ३५ फी सदी रह गया है। सरकार के पास साधन हैं, गोदाम हैं, चीनी बरबाद नहीं हो सकती। कोई जरूरत नहीं है बाहर भेजने की। हमारे देश में चीनी खाने वाले हैं। एक रुपये दस आने मन पर एक-एक गन्ना इस साल मिलों द्वारा पेरवाना पड़ेगा चाहे वह चीनी एक साल तक बिके या दो साल तक। लेकिन किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिये। यही हमारा आपसे निवेदन है। जब तक चीनी न बिके तब कुछ कम कीमत दे। आगे चल कर आदेश दे दिया जाय, सरकार के पास आंकड़े हैं, सब मशीनरी है, जांच-पड़ताल करके कह दें कि इस अनुपात से गन्ना बोओ। उसके बाद अपने गन्ने का प्रबन्ध कर लेना।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अपने प्रान्त में गन्ने का बड़ा जटिल प्रश्न है। अपने प्रान्त में साढ़े ६६ प्रतिशत भूमि पर गन्ना उपजाया जाता है और शेष भाग पर दूसरी खेती की जाती है। आंकड़ों को देखते हुए १९५८-५९ में जो गन्ना पैदा हुआ उससे अधिक १९५९-६० में पैदा हुआ और उससे अधिक १९६०-६१ में पैदा हुआ। सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया है कि काश्तकारों से दस प्रतिशत गन्ना कम लिया जाय और बाकी गन्ना वह कोल्हू और क्रशर से पेरने का प्रबन्ध करें जबकि क्रशर पर टैक्स लगाया गया और लाइसेंस लेने में अब भी काफी परेशानी है। जहां कहीं क्रशर को चलाने के लिये बिजली मांगी जाती है, बिजली नहीं दी जाती। इसलिये काश्तकार को यह परेशानी है कि वह अपना गन्ना कहां पेरे। जहां सुरक्षित एरिया है वहां का गन्ना लिखा गया है, लेकिन पिछले वर्ष असुरक्षित एरिया के गन्ने को भी लिखा गया था। इस वर्ष नहीं लिखा गया है। जिस क्षेत्र वालों का गन्ना

नहीं लिखा गया है, वह इस परेशानी में हैं कि यह गन्ना भी लिखा जाय। हमारा गन्ना भी जिस प्रकार पिछले वर्ष गया था इस वर्ष भी लिया जाय। किसानों ने कई वर्ष से अपने कोल्हू बन्द कर दिये। नये कोल्हू चलायें तो बड़ी दिक्कत होती है। कुछ ऐसे बड़े काश्तकार हैं जो अपनी खेती ट्रैक्टरों से करते हैं। उनके पास बैल नहीं हैं जिससे वे अपने गन्ने को कोल्हू से पेर सकें। इसलिये उनको बड़ी परेशानी है। जो सुरक्षित एरिया में हैं उनका गन्ना पहुंच ही जायगा, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से ट्रक से गन्ना मंगाया जाता था। बिजनौर जिले में रामगंगा पार का अफजलगढ़ क्षेत्र है जहां पर गन्ना काफी पैदा किया जाता है। उस क्षेत्र का गन्ना लाने में बड़ी कठिनाई होती है। गत वर्ष वहां काश्तकारों को बड़ी परेशानी रही, पुल के टूट जाने से। तीस दिन तक पुल टूटा पड़ा रहा और गन्ना नहीं लिया गया। इस कारण उनको बहुत सस्ते भाव पर अपना गन्ना बेचना पड़ा। अभी तक वह पक्का पुल जो राम गंगा पर बना है खोला नहीं गया है और काश्तकारों को फिर वही परेशानी सामने आयेगी....

श्री अधिष्ठाता--माननीय शिवराम जी, जरा आहिस्ता बोलें और कुछ माइक से हट कर बोलें।

श्री शिवराम--तो मिल खुलने से पूर्व ही वह पुल खुल जाना चाहिये जिससे कि गन्ना ठीक प्रकार से सप्लाई हो सके।

श्री अधिष्ठाता--आप जरा माइक से हट कर बोलें।

श्री शिवराम--हमारे यहां जिला बिजनौर में अफजलगढ़ एक स्थान है जहां पहली पंचवर्षीय योजना में बिजली लगाने का आयोजन किया गया था, लेकिन अभी तक वहां बिजली नहीं लगाई गई जबकि बिजली बहुत समीप ही है। वहां के गांव वाले इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें बिजली मिल जानी चाहिये जिससे कि हम अपने गन्ने को क्रश कर सकें। अगर सुरक्षित एरिया में हमारा गन्ना नहीं आता है तो हम अपने गन्ने को अपने आप क्रश करने के लिये तैयार हैं। लेकिन सरकार उनको यह भी सुविधा देने के लिये तैयार नहीं है। सरकार ने यह सिद्ध किया है कि ३३ प्रतिशत गन्ना कोल्हू में बेकार चला जाता है, इसलिये वह मिलों में अपना गन्ना दें और मिलों को यह कहा गया है कि मिलें अच्छी चीनी नहीं पैदा करतीं और उनकी मशीनरी पुरानी हो गई है। तो एक तरफ तो मिल वालों को यह कहा जाता है और जो कोल्हू और खांडसारी में काम करने वाले लोग हैं उनके लिये यह कहा जाता है कि ३३ प्रतिशत गन्ना खराब होता है। तो यह समस्या एक है। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि जो गन्ना कोल्हुओं में पेरा जाता है उसको बिलकुल ही खत्म कर दिया जाय। उसका असर यह पड़ेगा कि गांव के काश्तकार और मजदूर जो मिलकर के अपना गन्ना वगैरह क्रश किया करते थे और उससे जो कोई उनको रोजगार और गुड़ वगैरह मिल जाया करता था, वह अब नहीं मिल सकेगा। जब कभी मेहमान वहां पहुंचता था तो वह उस गुड़ की मिठाई से उसका सत्कार कर दिया करते; थे और मिठाई तो उसको मयस्सर नहीं हो पाती, इसी से वह उनका सत्कार कर देते थे। लेकिन अब वह यह भी नहीं कर पायेंगे। सरकार यह कहती है कि चीनी बाहर नहीं बिक रही है और तीन सौ, साढ़े चार सौ रुपया प्रति टन के नुकसान पर उसे बेचना पड़ रहा है।

तो आज सरकार को और जनता को यह सोचना पड़ेगा कि जब इस प्रकार की कठिनाई है तो इसको दूर करने के लिये जो हमारा गुड़ और खांडसारी का व्यवसाय है उसको चालू करें जिससे अपने देश के लोगों को पौष्टिक मिठाई तो खाने को मिल सके। यह चीनी देश के सभी लोगों को तो मिल नहीं पाती। खासकर गांव के काश्तकारों को तो चीनी मिल नहीं पाती। शहरों में तो उसकी दूकानें सरकार की तरफ से खुली हुई हैं। लेकिन गांवों में सरकार की तरफ से ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है कि वहां पर जो लोग चीनी लेना चाहें वह ले सकें। अगर कभी बहुत मांग की तो खास-खास त्योहार वगैरह के मौकों पर चीनी मिलने की व्यवस्था हो जाती है। आज सरकार इसका प्रबन्ध करे कि जो मिलों में कई लाख रुपया काश्तकारों का पड़ा है उसका भुगतान शीघ्र कराये। आज साथ-साथ काश्तकार से यह भी कहा जाता है कि अगर उनका

[श्री शिवराम]

कुछ रुपया बाकी पड़ा है तो उसकी जगह चीनी ले लीजिये। यह बात ठीक नहीं है। जब उनका बैलेंस शीट मुनाफे का बनता है तो उनसे काश्तकारों का पैसा पूरा-पूरा दिलाया जाना चाहिये। काश्तकार क्यों इन परेशानियों में पड़ा रहे कि वह अपना गन्ना भी दे और उसका पेमेंट भी ठीक प्रकार से न हो सके।

काश्तकार को केवल यही परेशानी नहीं है। काश्तकार को गन्ने के सिलसिले में बाज दफा मिल वाले भी काफी परेशान करते हैं। कहीं कहते हैं कि तुम्हारा गन्ना सूखा है, कहीं कहते हैं कि खराब हो गया है, कीड़े लग गये हैं, तो उसकी इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि जो मौजूदा समय में उसने गन्ना बोया है यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सारे का सारा गन्ना उसका ले लिया जाय और ठीक समय पर उसका भुगतान कर दिया जाय। कुछ भी गन्ना बाकी नहीं रहना चाहिये। सरकार मिल वालों से कह सकती है कि वह चीनी बनायें और उसे बनाकर रखें और यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि जो चीनी बनी है उसको वह अपने देश में या अन्य दूसरे देशों में बेचने का प्रबन्ध करे। मैं चाहता हूं कि यह दस प्रतिशत की बन्दिश जो लगाई है इस बन्दिश को खत्म कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर गौर करेगी और गन्ने वालों की समस्या को एक गम्भीर समस्या समझकर उसको हल करने की कोशिश करेगी।

*श्री बाबू राम (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, हमारे जिले में गन्ने और धान की पैदावार अधिक होती है। इस साल हमारी सरकार जो कहती है कि गन्ने की पैदावार अधिक है, तो वाकई गन्ने की पैदावार इस साल अधिक है और वह क्यों है? बात यह है कि चूंकि गन्ने की तो कीमत निश्चित हैं, हर काश्तकार बोने से पहले समझ लेता है कि अगर हम ज्यादा गन्ना पैदा करेंगे तो उसकी उतनी कीमत उसको मिल जायगी। दूसरी फसल गेहूं या धान या और दूसरी फसलों के विषय में यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि वह किस भाव पर बिकेंगी और कितना पैसा उसके पास आयेगा। उसको यह भी पता नहीं रहता है कि जब तक फसल पैदा होगी वह किस भाव पर बिकेगी। इसलिये काश्तकार वही फसल ज्यादा बोता है जिस पर उसको ज्यादा मुनाफा मिलता है।

१० फीसदी कम गन्ना लेने की जो बात इस बार कही गई है उसको पिछले साल ही कहना चाहिये था कि सरकार आइन्दा साल में इतना कम गन्ना लेगी जिससे काश्तकार अपना गन्ना कम बोते। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक हमारी सरकार ने करीब १८-१९ अरब का गल्ला दूसरे देशों से खरीदा है। मैं इस राय का हूं कि जो गल्ला हम दूसरे देशों से खरीदते हैं अगर हम वही गल्ला दूसरे देशों से न खरीदकर अपने देश के ऊपर ही निर्भर रहें तो यह समस्या सुलझ सकती है। यह जरूर है कि कुछ दिनों तक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और गल्ले की कीमत भी ऊपर जायगी। जब गल्ले की कीमत ऊपर जायगी तो काश्तकार ज्यादा गल्ला पैदा करेंगे बनिस्बत गन्ने के। यह मेरा सुझाव है और इस तरफ सरकार को अपना ध्यान देना चाहिये।

इस वर्ष हमारे यहां जो केन्द्रों पर सोसाइटीज हैं उनको तीन साल के बेसिक कोटे की हैसियत से गन्ना सप्लाई करने के आदेश गये हैं। तो जितना बेसिक कोटा होता है उतना गन्ना कोई पूरे समय में सप्लाई नहीं कर पाता। इसलिये बेसिक को टेको हटाकर ज्यादा से ज्यादा गन्ना सप्लाई होना चाहिये। इसके साथ ही मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सन् १९४७-४८ में जब गन्ने का भाव दो रुपये मन था उस समय चीनी का क्या भाव था। मुझे यह कहना पड़ता है कि आज चीनी का भाव बहुत ज्यादा है। दूसरे देशों में जब भेजते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। मिल वालों ने इस वर्ष भी यह कोशिश की कि किसी तरीके से गन्ने की कीमत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कम करें, लेकिन चीनी बहुत तैयार होने पर भी चीनी का दाम कम नहीं किया गया। इस साल फैक्ट्री देर तक चली वह इस वजह से कि गन्ने की पैदावार ज्यादा है। पैदावार इस साल उससे भी ज्यादा है। इस कारण काश्तकार बेचैन है और उसको यह परेशानी है कि उसका गन्ना मिल में नहीं जा सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि मिल जल्द से जल्द चलाने की कोशिश करनी चाहिये। काश्तकार को ज्यादा गन्ने की कीमत मिलने से लाभ उतना नहीं है जितना उसको इससे लाभ है कि उसका गन्ना जल्द से जल्द पेरा जाय और गर्मी आने के पहले ही खत्म हो जाय। वह इस वजह से कि उसको दूसरी फसल भी बोना रहता है और पानी, खाद वगैरह का काम उसके सामने दूसरी फसल के लिये रहता है। इसी वजह से जल्द गन्ना पेरा जाय, यही उसका मतलब है। इसी कारण मैंने निवेदन किया कि मिल जल्दी से चलान की कोशिश होनी चाहिये ताकि मई, जून के आरम्भ होने से पहले ही गन्ना पेरा जा सके।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश में मिल गेट पर और सेन्टर पर कुछ दिन पहले तक एक ही रेट था। लेकिन अब मिल गेट पर और सेन्टर पर गन्ने का रेट अलग-अलग कर दिया गया है। इस बात की सुविधा मिल वालों को दी गई है कि मिल गेट पर दूसरा रेट हो और सेन्टर पर दूसरा रेट हो। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके लिये कुछ सुविधा निकालें जिससे काश्तकारों का गन्ना पेरा जा सके। पिछले साल यह बात कही गई थी कि यह शक्ल अगले साल पैदा नहीं होगी। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था।

*श्री प्रतापसिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस असेम्बली का इतिहास रहा है कि जब-जब किसानों के मसले आये हैं तब-तब ट्रेजरी बेंचेज बिलकुल खाली रही हैं। एक को छोड़ कर इस समय भी कोई मिनिस्टर यहां नहीं है और कुल सात सदस्य यहां बैठे हैं...

श्री अधिष्ठाता---इस समय तो गन्ना पेरने का सवाल है।

श्री प्रतापसिंह---जी हां। मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सदन को यह अवसर दिलाया है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को फख्र हासिल है कि इस गन्ने के मसले पर श्री गेंदासिंह जी १९३६ से बराबर संघर्ष करते चले आ रहे हैं। मैं तो उस समय ६ वर्ष का होऊंगा, लेकिन उस समय उन्होंने पं. जवाहरलाल नेहरू को गोरखपुर और देवरिया ले जा कर बतलाया था कि किस प्रकार गन्ने के उत्पादन द्वारा वहां की आर्थिक हालत सुधर सकती है। यहां के मंत्रियों ने ही वहां जाकर लोगों को कहा था कि तुम गन्ना लगाओ, इससे तुम्हारी आमदनी बढ़ेगी।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं नहीं गया था।

श्री प्रतापसिंह---तो किसानों की उनकी खुशहाली की बात कही गयी और इस आधार पर उन्होंने गन्ने का उत्पादन बढ़ाया और दूसरी ओर आर्डिनेन्स के जरिये यह कहा गया कि दस फीसदी गन्ना नहीं पेरेगी। हमारे सौभाग्य से मुख्य मन्त्री जी भी यहां आ गये हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर गन्ना बढ़ा कैसे। एक तरफ प्रचार किया गया और दूसरी ओर फैक्ट्रीज की कैपेसिटी कम हो गयी इसलिये कहा गया कि उसे पेरा नहीं जा सकेगा जेल फार्म तो इसलिये लिया गया था कि गेहूं और धान आदि पैदा कर के उन्हें सेल्फ सफीशियेन्ट बना दिया जाय, लेकिन आज यहां जवाब में भुलावे में डाल दिया गया। गुप्ता जी शब्दजाल में फंसाने में बहुत तेज हैं, वह बतलायें। यह कहा गया कि वहां कांस होती थी इसलिये गन्ना पैदा किया गया, लेकिन अगर वह न होता तो कोई समस्या न होती। लखीमपुर, खीरी, काशीपुर आदि इलाके में बड़े-बड़े आदमियों के फार्म हैं और उनमें तमाम गन्ना पैदा होता है। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह]

इस समय प्रदेश में ७५ फी सदी छोटे काश्तकार हैं उनका गन्ना कहां जायगा ? पहले वे लोग कोल्हू लगाते थे, खांडसारी बनाते थे, इस सरकार ने उसे भी बन्द कर दिया। इस प्रदेश में ८२ फी सदी लोग खेती करते हैं, स्विटजरलैंड में २३ फी सदी लोग खेती करते हैं। हमारी एग्रीकल्चरल एकानमी पीछे करती जा रही है। गन्ने से किसान कुछ जिन्दा था इसलिये कि नेचुरल कैलैमिटीज का उस पर असर कम होता था, वह खांडसारी बना कर कुछ पा जाता था, अब उस पर भी टैक्स लगा कर सरकार ने किसान की कमर तोड़ दी है। मैं गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैन साहब किसी जमाने में फूड ऐन्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनसे पूछा जाय कि प्रदेश में गन्ने की उपज बढ़ाने में उनका कितना हाथ रहा है। उन्होंने खुद महसूस किया और पार्लियामेंट में कहा कि किसान को गन्ना अधिक पैदा करना चाहिये ताकि उसकी खुशहाली बढ़े। आज सरकार दस फीसदी गन्ना नहीं पेरना चाहती तो मैं जानना चाहता हूं कि इस ४ करोड़ मन गन्ने का क्या होगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस ४ करोड़ मन गन्ने का क्या होगा। उसको काश्तकार कहां ले जायेगा ? खांडसारी उद्योग को आपने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, तो होगा क्या उस गन्ने का ? किसान का क्या कसूर है ? उसका कसूर क्या यही है कि उसने जाड़े में अपना खून पसीना एक करके, मुसीबत सह कर, गन्ना पैदा किया ? उसको पिरवाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है ? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है।

किच्छा फैक्ट्री की बात कही गयी। श्रीमन्, इस हाउस की कुछ मान्यतायें हैं और उनका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। कल नवल किशोर जी ही कह रहे थे कि इस हाउस की कुछ मान्यतायें हैं और इनको उन्हें निभाना चाहिये। पर इस मंत्रिमंडल ने तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द के मंत्रिमंडल ने जितने काम किये सब उसके उलटे किये। क्या यही मंशा है उन मान्यताओं का ? इसी सरकार ने आश्वासन दिया था कि जनवरी, १९६१ तक किच्छा की फैक्ट्री चल जायेगी। अखबारों तक में यह बयान छपा। उसके अनुसार किसानों ने भारी तादाद में गन्ना बोया। ६ महीने पहले यह बयान सदन में दिया जाता है और उसी के आधार पर किसानों ने अपना गन्ना बोया जो अब बेकार है। कल माननीय मन्त्री जी ने बयान दिया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि किच्छा की फैक्ट्री जनवरी में चालू हो जाये, आज कहा कि हम चेष्टा करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है ? आज हम जा रहे हैं। आज हम मुबारकबाद दें इस सदन को इस सब के लिये, मगर जब काश्तकार ही नहीं रहेंगे वे ही तबाह हो जायेंगे तो मुबारकबाद कौन देगा ? मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमें यह स्पष्ट जवाब दें कि आखिर यह ४ करोड़ मन गन्ना किस तरह से पेरा जा सकेगा।

श्रीमन्, केन्द्र के मन्त्री माननीय जैन साहब ने जो आश्वासन दिया था उसके आधार पर ही गन्ने की खेती बढ़ाई गयी। प्रजातन्त्र क्या है ? उसमें अगर अधिक से अधिक लोग असंतुष्ट रहेंगे तो प्रजातन्त्र कैसे सफल हो सकता है ? कोई भी जनतन्त्र को समाप्त करना नहीं चाहता। जनतन्त्र तभी पनपेगा जबकि किसान खुशहाल होगा। मैं निवेदन करूंगा कि वह इस हाउस में इस बात को पास करें और फिर केन्द्रीय सरकार को लिखें कि वह अपने आर्डिनेंस को वापस ले और जिस तरह से फैक्ट्रीज गन्ने को पेरती चली आ रही हैं और जहां तक इस सम्बन्ध में दृष्टिकोण रहा है वही आगे भी रहे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपके द्वारा अपने साथी का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना। माननीय प्रतापसिंह जी ने कहा कि जब इस सदन में किसान मजदूरी का प्रश्न उठता है तो बहुमत दल के अधिकतर सदस्य और मंत्रीगण यहां नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहते । मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसान और मजदूरों के सच्चे सेवक इधर ही हैं, उधर नहीं, जिनके मन में उनकी उन्नति और उत्थान की लगन है । परन्तु दुख की बात है कि जो खेती के बारे में कुछ नहीं जानते वह किसानों की बात करने लगते हैं । यदि मैं पूछूं तो क्या माननीय प्रतापसिंह जी बतायेंगे कि उनके पास कितनी खेती है और वह कितना गन्ना बोते हैं जो यहां पर किसान और मजदूरों की बात कर रहे हैं । लेकिन चूंकि वोट का समय आ रहा है इसलिये वह भी ऐसी बातें करने लगे हैं ? हर एक पार्टी का यही धंधा है कि वोट के समय किसान मजदूर की बात करने लगते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं । माननीय गेंदासिंह जी की बात दूसरी है, उनकी बात मैं मानता हूं लेकिन वह इस ढंग से बात नहीं करते जैसे कि और लोग कहने लगते हैं ।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में झगड़ा है.....

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस सदन की आखिरी बैठक में विषय पर ही रहें ।

श्री हरीसिंह--मैं विषय पर ही हूं । लेकिन चूंकि माननीय प्रतापसिंह जी ने एक बात कही, उस समय आपने टोका नहीं इसलिये उसका जवाब दे रहा था । तो जहां तक किसानों की बात है, कांग्रेस ने सदा ही किसानों के हित की बात सोची है और सदा सोचते रहेंगे । जहां तक गन्ने की बात है हमारे प्रदेश में इतना गन्ना पैदा हुआ कि मिल में भेजने के बाद भी बच जाता था, परन्तु हमारी सरकार ने जब यह देखा कि हमारी मिलें सारा गन्ना नहीं क्रश कर पातीं तो कोल्हू चलाने का आदेश दिया, क्रशर्स लगवाये, क्रशर्स के लिये लोन दिया और यह कोशिश की कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा गन्ना पेरा जाय । इसके अतिरिक्त गुड़ बनाने की भी चेष्टा की क्योंकि पूज्य बापू जी कहा करते थे कि प्रत्येक प्राणी को गुड़ खाना चाहिये, वह स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है । परन्तु खेद की बात है कि फिर भी सरकार को दोषी ठहराया जाता है; कारण यह है कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और उनको कुछ करना नहीं है । जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है वह हर चीज को भली भांति समझती है ।

हां, कुछ त्रुटियां अवश्य हैं जिनको दूर कराने के लिये सरकार को सहायक के रूप में सुझाव देने चाहियें । मेरे क्षेत्र का ही जैसा किस्सा है खानपुर, रघुनाथपुर और दुराली गांवों का, जो गन्ने का सेन्टर है, वह मलयाना मिल में था, लेकिन अब बागपत मिल में मिला दिया गया जो नहीं होना चाहिये था । वहां पर ४-५ हजार मन गन्ना छिला पड़ा हुआ है, वह अब बागपत में जायगा, मलयाना में नहीं जायगा । लेकिन इसके माने यह नहीं कि सरकार यह चाहती है कि किसानों का नुकसान हो, बल्कि सरकार यह चाहती है कि किसान मजदूरों का अधिक से अधिक लाभ हो क्योंकि जब उनको लाभ होगा तो उससे देश और प्रान्त का भी लाभ होगा और सारे देश की उन्नति होगी.....

श्री बंशीधर शुक्ल--सरकार तो अपना लाभ चाहती है, किसान मजदूरों का नहीं....

श्री हरीसिंह--आप ही किसानों और मजदूरों का लाभ नहीं चाहते, सरकार तो हमेशा से चाहती रही है और आगे भी चाहेगी । विरोधी दल के सदस्य हों, जो कि इने गिने चुन कर आते हैं, किसान मजदूरों का नाम लेकर उनको धोखे में डालना चाहते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--मैं निवेदन कर दूं कि भाषण विषय पर ही सीमित रहें ।

श्री हरीसिंह--जहां तक गन्ने का सवाल है, सरकार ने गन्ने पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाया कि बड़े-बड़े फार्म वाले लोग अधिक संख्या में गन्ना बो रहे थे और अन्न पैदा नहीं करते थे । उन पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया, लेकिन फिर भी उसको दोषी ठहराया जाता है । सरकार को तो इसके लिये सराहना करनी चाहिये थी । छोटा किसान तो इतना कम गन्ना बोता है

[श्री हरीसिंह]

और इतना कम उत्पादन कर पाता है कि उसके पास अधिक गन्ना है ही नहीं। इसलिये यह प्रतिबन्ध बड़े-बड़े फार्मों पर लगाया गया है। लेकिन फिर अगर सरकार के किसी आर्डर से किसानों और मजदूरों को कुछ दिक्कतें हैं तो उनको सरकार को बताया जाना चाहिये और सबको मिल कर उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री गेंदासिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ बातों की तरफ खास तौर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं उन सारी रुकावटों को जो गन्ने के पेरने के सम्बन्ध में, चाहे वे केन्द्रीय सरकार की तरफ से लगायी जाती हों या प्रान्तीय सरकार की तरफ से लगायी जाती हों, उन सब को मैं किसानों के हित का विरोधी समझता हूं, प्रतिक्रियावादी भी समझता हूं, यही नहीं अदूरदर्शितापूर्ण भी मानता हूं। मैं क्यों ऐसा समझता हूं, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि गन्ना अधिक है, चीनी का स्टाक ज्यादा है, इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। गन्ने की अगर वृद्धि हुई तो हमें देखना यह होगा कि सारे भारत में गन्ने की वृद्धि किस प्रकार से हुई है और चीनी का उत्पादन सारे भारत में किस प्रकार से हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस सारे उत्पादन की जिम्मेदारी किस पर है।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री गेंदासिंह--श्रीमन्, मैं गन्ने की वृद्धि के ऊपर आपका ध्यान दिला रहा था। सन् १९३६-३७ से लेकर १९३८-३९ तक सारे भारत में कच्ची चीनी का एवरेज उत्पादन ४४,४९,००० टन रहा और वह सन् १९५८-५९ में बढ़ कर ७५,७९,००० टन हो गया और इसमें से ३२,०३,००० टन कच्ची चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ। जब सारे भारत का एवरेज उत्पादन सन् १९३६ से ३९ तक ४४,४९,००० टन रहा, उसमें २७,८०,००० टन उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा। यानी हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ कर इस बीच में ३२,०३,००० टन हुआ, इस तरह से ५,००,००० टन से कम का ही उत्पादन बढ़ा जब कि सारे भारत का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने कोई खता नहीं की कि १९५९-६० में तथा १९६०-६१ में इसका उत्पादन कुछ और बढ़ गया। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश की फीगर इस सदन को देंगे तो वे सारे भारत के फीगर्स भी अवश्य देंगे ताकि सदन को मालूम हो सके कि सारे भारत के लिहाज से उत्तर प्रदेश ने कोई इतनी लम्बी छलांग नहीं मारी जो कोई बहुत बड़ी बात हो गयी हो।

यह उत्पादन भी किस हालत में बढ़ा? केन्द्र के एग्रीकल्चर ऐंड फूड मिनिस्टर पाटिल साहब ने एक नहीं बल्कि कई मौकों पर इस बात की घोषणा की है कि आज भारतवर्ष में गन्ने की जो पैदावार है वह पैदावार कोई ऐसा महत्व नहीं रखती है कि उसको रोकने की आवश्यकता पड़े। श्रीमन्, मैं आपको तथा आपके द्वारा इस सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ही मैंने नियम ५२ के अनुसार एक प्रश्न उठाया था जब यह प्रश्न उठाया गया था कि हमारे यहां गन्ने की खेती बढ़ रही है। मैंने इसलिये यह प्रश्न उठाया था कि जब तक सरकार अपनी कोई नीति इस सम्बन्ध में निर्धारित नहीं करती, तब तक सरकार को चाहिये कि वह कम से कम अपने फार्मों के लिये हिदायत जारी कर दे कि वे गन्ना कम बोयें क्योंकि सरकार की इच्छा नहीं है कि ज्यादा गन्ना बोया जाय, तत्कालीन कृषि मंत्री गौतम जी ने उस समय कहा था कि सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि गन्ने की खेती कम की जाय। केन्द्र के कृषि मंत्री पाटिल साहब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा, प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा और केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी यही नीति थी कि गन्ने की पैदावार को जितना अभी बढ़ा सकें बढ़ावें। केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का यह भी कहना था कि गन्ने की खेती के लिये लोग खाद ले जायं, उसके लिये कर्जा ले जायं, उसके लिये सबसिडी ले जायं, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिये उनको हर तरह की तरजीह दी जायगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने चीनी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये जो पहले एक्साइज ड्यूटी थी उसको भी आधा कर दिया। करीब ५ रुपये मन की छूट देकर सरकार ने कहा कि मिलें जितनी अधिक से अधिक चीनी पैदा कर सकें, करें। इतना ही नहीं, चीनी अधिक बनाने के लिये जहां उन्होंने टैक्स में छूट दी....

(इस समय २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

वहां उन्होंने इस बात की भी घोषणा कर दी कि अगर सफेद चीनी बनाने के लिये गन्ने की कमी पड़ेगी तो गवर्नमेंट खांडसारी के ऊपर लाइसेंस करेगी और उसके ऊपर टैक्स लगायेगी ताकि खांडसारी में गन्ना न जाने पावे। गुड़ के बाजार को गिराने की हर तरह से कोशिश हुई, गुड़ सस्ता हो जाय और गुड़ में गन्ना न जाय। कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो सीधे-सीधे सरकार की ओर से यह इरादा जाहिर करती हैं कि चीनी की उपज बढ़े और सरकार चाहे उसे एक्सपोर्ट करे या उसका बफर स्टाक बनावे, सीजन लम्बा बनाया गया और इस तरह से गुड़ व खंडसारी को कम किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि जो सीजन अप्रैल तक बन्द हो जाय उसमें किसान का लाभ है या उसमें लाभ है कि जो जून-जुलाई तक चले। सब जानते हैं कि अप्रैल, मई व जून में गन्ने का वजन घट जाता है और जिन खेतों में जून तक गन्ना रह जाता है वे आगे बोये भी नहीं जा सकते और दूसरी फसल उसमें नहीं हो सकती, उसमें हर तरह से किसान का घाटा है, गन्ना भी किसान को खड़ा रखना पड़ा और मजबूर हुआ वह कि मिल को चीनी के लिये आखिर तक गन्ना दे। यह सब वह तरीके थे कि जिनसे गन्ने की खेती और चीनी की प्रोडक्शन बढ़ी। सरकार चीनी एक्सपोर्ट करना चाहती थी, वह फारेन एक्सचेंज चाहती थी। पहले से कोई नोटिस नहीं हुआ कि गन्ने का प्रोडक्शन कम करो, हम गन्ना कम परेंगे, बल्कि इसके विरुद्ध जैसा कि मैंने निवेदन किया इससे किसान को यह विश्वास हुआ, सरकार तरफ से आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हारा एक एक रत्ती गन्ना परेंगे और उस पर जो खेत देर में भी खाली हुये उनको भी उसने गन्ने में रखा और नयों में भी गन्ना बोया।

इसके साथ-साथ हम गन्ने की मिलों के फार्म्स या सरकारी फार्मों में भी देखें कि वहां गन्ने की पिछले साल अधिक बुवाई हुई या कम हुई। अगर उनमें ज्यादा गन्ना बोया गया था तो क्या वह यह मालूम करेंगे कि जो उनके सूबे के चीफ बने हैं उनके फार्म में सहारनपुर में कितना गन्ना बोया गया ? यहां के जो मिनिस्टर साहबान हैं उनके जो निजी फार्म्स हैं उनमें कितना गन्ना बोया गया ? उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा जमीन का हिस्सा गन्ना बोने में रखा है। तो सभी ने ज्यादा गन्ना बोने की कोशिश की। तो फिर यह जो सरकार का हुक्म है यह प्रतिक्रियावादी है या नहीं है ? पांच बरस में बड़े-बड़े फार्म्स में कई गुना गन्ने की पैदावार बढ़ गई है। तराई-भाबर में जिन बड़े अफसरों ने जंगल काट कर १ एकड़ की जगह १० एकड़ गन्ना बोया है उनका भी दस प्रतिशत कम लिया जायगा और जो ५ बिस्वे का छोटा काश्तकार है उसका भी १० प्रतिशत गन्ना कम लिया जायगा। यह कौन-सा न्याय है ? आज यह २० लाख गन्ने का किसान कच्चे धागे में लटका है। मुख्य मंत्री जी सोचें, कौन कोल्हू चला सकता है। ३ लाख कोल्हू चल रहे हैं फिर भी ३०–३५ करोड़ मन गन्ना मिलों को मिलता रहा है। इस साल ५ लाख मन के बाकी रहने का खयाल है। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, थोड़ा-सा समय अधिक दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है, जल्द ही खत्म करने की कोशिश करें।

श्री गेंदासिंह---इस वक्त जो सरकार का हुक्म हुआ है उससे दस लाख मन गन्ने से कम गन्ना खेतों में बाकी नहीं रह जायगा, लेकिन १० प्रतिशत में ४-५ करोड़ मन की बात कही जाती है। पिछले वर्ष से गन्ना ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ५ करोड़ तो पिछले साल के हिसाब से हुआ और १० प्रतिशत और उसमें कम कीजिये.....

श्री रऊफ जाफरी---खड़ा नहीं रह जायगा।

श्री गेंदासिंह---एक बात मैं जरूर कहूंगा, माननीय उद्योग मंत्री जी इशारा कर रहे हैं कि खड़ा नहीं रह जायगा, तो फिर वह कहां जायगा? वह कोल्हू या खंडसारी में जायगा? उस खंडसारी की हालत---मुख्य मंत्री जी ने बताया कि क्रशर नहीं मिल रहे हैं किसी बाजार में...

श्री रऊफ जाफरी---हैं हमारे पास..

श्री गेंदासिंह---कृपया मेरा वक्त न लें, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी, अपने भाषण में जवाब दे दीजियेगा, बीच-बीच में टोकिये नहीं।

श्री गेंदासिंह---तो मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि क्रशर बाजार में नहीं हैं, नहीं मिल रहे हैं। कहां से आप कोल्हू ले आएंगे? आज भी क्रशर और कोल्हू की यह हालत है कि न तो सरकार के द्वारा कर्जे मिल सके---सरकार के द्वारा, हम जानना चाहते हैं कि नये क्रशर कहां खड़े हुए, एक-दो बता दीजिये...

श्री रऊफ जाफरी---आप ही के जिले में ८ हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी, जब सवाल किया जाता है तो उसका उत्तर उस समय ही नहीं दिया जाता है, आप नोट कर लीजिये, बाद में उत्तर दे दीजियेगा।

श्री गेंदासिंह---मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर जरा गम्भीरता से सोचें। मैं दुःखी हूं, मैं समझता हूं कि यह प्राब्लम ऐसा है कि जिस पर बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। तो, श्रीमन्, क्रशर और कोल्हू से यह काम सम्हलने वाला नहीं है और जो २० लाख काश्तकारों के पास गन्ना है, आपने कभी विचार किया कि कितने लोगों के पास बैल हैं, कितने लोगों के पास कोल्हू हैं और कितने लोग कोल्हू लगा सकेंगे? तहसीलों पर २०-२५ रुपये हर कोल्हू की दरख्वास्त पर रिश्वत ली जाती है। मैंने २३ दरख्वास्तें दिलवाईं, सब खारिज हो गईं। लोगों ने कहा कि २५-२५ रुपये रिश्वत मांगी जा रही है। तो यह स्वप्न देखना बहुत भूल है। फरवरी तक, अगर यह बात कही जाती है, गन्ना पिरवा देंगे तो वह बात मेरी समझ में आती है। फरवरी में क्या दिक्कत होने वाली है किसानों को, वह समझकर मैं दहल जाता हूं। फरवरी के बाद इन किस नों से गन्ने के लिये कहा जायगा---जेल का गन्ना जो १० आने मन बिका है---कि हमारे जेलखाने का गन्ना अगर १० आने मन बेचा जा सकता है तो तुम क्यों नहीं बेच सकते हो। तो यह ड्यू नोटिस है, हर किसान को सोच लेना चाहिए कि सरकार का इरादा बहुत साफ है और १० आने मन गन्ना बिकवाने का पक्का है। सरकार यह गलती कर रही है।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को जरा गौर से सुनें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कसूर है कि हमने गन्ना-बो दिया। आपका कसूर नहीं है। आपसे मेरा मतलब मुख्य मंत्री जी से है। आपने कंजम्प्शन क्यों नहीं बढ़ाया? अगर शुगर का कंजम्प्शन इस प्रदेश में घटा तो मानना पड़ेगा कि लोगों की इनकम घटी है और इसलिये शुगर का कंजम्प्शन घटा है। शुगर का कंजम्प्शन समूचे भारत का जो १९५२-५३ में १६ लाख ५३ हजार टन था वह ५९-६० में २० लाख २० हजार टन हो गया जबकि यू० पी० में सन् ५२-५३ में जो शुगर का कंजम्प्शन २ लाख ८१ हजार टन था वह सन् ५८-५९ में घट कर २ लाख ४४ हजार टन ही रह गया। तो यह कंजम्प्शन क्यों घटा? हमने चीनी तो पैदा करवा ली लेकिन हमने कंट्रोल और

स्केयरसिटी का बाजार रखा, कंज्यूमर के ऊपर जुल्म किया। क्या यह सही नहीं है कि इस वक्त चीनी की कीमत में १४ रुपये मन टैक्स है? चौगुना टैक्स इस वक्त ५६-५७ के मुकाबले में है। शगर ज्यादा है और कंजम्प्शन कम हुआ, तो सरकार यह नहीं सोच सकती ह कि कंजम्प्शन बढ़ाने के लिये अपने टक्सों में कमी करे? अपने टैक्सों में कमी करके.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--टैक्स किस के लिये लेते हैं? किसान के लिये ही तो लेते हैं।

श्री गेंदासिह--हमारा गन्ना खड़ा रहे या चीनी पड़ी रहे,आप देखें टैक्स जो लगता ह उसका सब से बड़ा अंश मिल मालिकों के हाथ में जाता है। आज एक्सपोर्ट हो रहा ह उसमें भी नकसान उठाना पड़ रहा है, उसके लिये सरकार ऐक्साइज डच्टी माफ़ करेगी, लेकन खेतों में गन्ना खड़ा रहे उस समय केन सेस या एक्साइज डच्टी माफ़ नहीं होगी। यह कौन सा तरीका ह?

चुनाव से भी बड़ी बात कोई हो सकती है। चुनाव को ताक पर रखा जा सकता है और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वह गन्ना पेरवाने का बन्दोबस्त करे। अगर नहीं करेगी तो कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा।...

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने का सवाल हर साल एक समस्या बन कर आ जाता है। गत वर्ष गन्ने के सवाल पर हमारे यहां के मिल मालिकों ने किसानों से सौदेबाज़ी करनी शुरू की और नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां के खांडसारी उद्योग वाले किसानों को १ रु० १४ आना मन तक देते रहे, लेकिन मिल मालिक १ रु० ७ आना मन दे रहे थे। जब बहुत सरकार पर दबाव पड़ा तो १ रु० १० आना मन के आदेश दिये गये, लेकिन उस पर भी मिल मालिकों ने १ रु० ७ आना मन पर ही गन्ना खरीदा। हमारे सूबे के मिल मालिक नेपाल से सस्ता गन्ना खरीद कर पेरे और यहां के किसानों का गन्ना काफी बड़े पैमाने पर सूख गया जिससे उनको काफी नुकसान हुआ।

गने का सवाल हर साल किसानों के सामने संकट के रूप में आता है। माननीय गेंदा सिंह, श्री मदन पान्डेय तथा और बहुत से सदस्य हमेशा इस सवाल को उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार इस मसले को गंभीरता से नहीं लेती। अगर मिल मालिकों को छूट देनी होगी तो उसके लिये सरकार अच्छी तरह से जागरूक रहती है, फौरन छूट दे देती है। पर जहां किसानों मजदूरों का सवाल आता है सरकार चुप रहती है, उद्योग मंत्री जी ने बताया कि किसानों का दो करोड़ रुपया बकाया है। हर मसले पर जहां किसानों का सवाल आता है सरकार उन्हीं को परेशान करती है। इसलिये मैं चाहता हूं, इस गन्ने के मसले पर सरकार गंभीरता से विचार करे और किसानों को उचित मूल्य गन्ने का दिलाये, उचित मूल्य निर्धारित करे।

आपने देखा, इस विधान सभा ने १ रु० १२ आने मन गन्ने के दाम का प्रस्ताव पास किया, बिहार विधान सभा ने भी पास किया। लेकिन इसी पार्टी की सरकार ने जो केन्द्र में है उसको मानने से इन्कार कर दिया। इसलिये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार जनमत का आदर करना नहीं जानती, बल्कि तानाशाही के भरोसे किसानों और मजदूरों को परेशान करती है। इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस गंभीर समस्या पर विचार करके सरकार गन्ने की पेराई का प्रबन्ध करे और किसानों को उनके गन्ने का उचित मूल्य भी दिलाये।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री टम्बरेश्वरप्रसाद से) आप ५ मिनट ही बोलें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, हम लोगों के तो मोशन ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष--७ मिनट ले लीजियेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामेश्वरप्रसाद--जितनी देर ठीक बात करूं और ऐसी बातें हों जो किसी ने न कही हों तब तक मुझे बोलने का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--इस तरह तो सारा समय ही समाप्त हो जायगा।

श्री रामेश्वरप्रसाद--मान्यवर, आज जो समस्या गन्ने के संबंध में है उसको पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। गन्ना काश्तकारों का कितना अधिक गन्ना मिलों में पेरने की आवश्यकता है यह इसी से समझ सकते हैं कि २३ लाख ३० हजार एकड़ में गन्ना होता है, जो ६० करोड़ मन के करीब उत्तर प्रदेश में होता है---उसमें से ४४ करोड़ मन ऐसे एरिया में है जहां कि सट्टा किया जाता है। उस ४४ करोड़ मन में पिछली साल इस सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार ४० करोड़ मन गन्ना खरीदा और अब उसने सप्लीमेन्टरी बजट में घोषणा की है कि वह ३६ करोड़ मन खरीदेगी। उत्पादन १० फीसदी घटा और गन्ना १६--१७ फीसदी। तो यह कौन सा रेश्यो है?

हमारी सरकार ने सुधार के लिये कुछ प्रयत्न भी दिये हैं। सबसे पहले प्रयत्न में उन्होंने कहा है कि हम १,५०० कोल्हू देंगे और १५० क्रशर। इतना बड़ा प्रयत्न किया जिससे २० लाख मन गन्ना पेरा जायगा। इन दोनों बातों के बीच में औचित्य कितना है? सरकार सिर्फ यह दिखाना चाहती है कि हमने गन्ने के लिये कुछ किया नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन न तो क्रशर और न कोल्हू मिलने वाले हैं। ८ करोड़ मन गन्ना पेरने के लिये कोई भी चीज १५ रोज के अन्दर तैयार नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस सरकार की नीयत पर बिलकुल शुबहा न होता अगर इस मसले पर वह चुप न रहती। २ करोड़ रुपये की उससे हानि होगी जिसमें १५ नये पैसे के हिसाब से बिल में मांगा है और १ करोड़ एक्साइज ड्यूटी में। इस तरह से ३ करोड़ का नुकसान पड़ जायगा, फिर भी सरकार चुप है। चुप इसलिये है कि ज्यादा से ज्यादा ५० लाख रुपया सरकार को फायदा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। कैसे होगा, यह मैं नहीं बतलाना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा याद आता है। एक मकड़ा १० गज चढ़ता था और ९ गज खिसक आता था। इस तरह से एक गज चढ़ता था। ५६-५७ से सरकार ने चढ़ना शुरू किया और अब देखिये कि ५ साल में कितनी चढ़ी? ५६-५७ में चीनी का उत्पादन १० लाख ८० हजार टन हुआ, ५७-५८ में घटकर ९ लाख ४२ हजार टन रह गया और ५८-५९ में ८ लाख ८८ हजार रह गया। गन्ना काश्तकार कम बोने लगा, तो मिल मालिकों को चिन्ता हुई। १० लाख टन की क्षमता थी और ८ लाख टन ही पहुंचने लगा। तो गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये ३१ पैसे छूट दी गयी और ५० परसेंट अतिरिक्त उत्पादन के ऊपर छूट दी गयी एक्साइज ड्यूटी में। शक्कर की सप्लाई के बारे में सवाल पूछे गये तो मिल मालिकों का रिलीज हो गयी और शक्कर के भाव ३, ४ आने सेर बढ़ गये और खाने वालों को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर से स्टोन एज पर आ जाइये। हमने बैलगाड़ी से साइकिल पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन प्रान्तीय सरकार कहती है कि हमेशा बैलगाड़ी पर चढ़ते रहे। गुड़ से अच्छा चीनी बना सकते हो जब तक मिल मालिक को नुकसान न हो और जिस दिन से नुकसान हो तो फिर से गुड़ बनाओ।

गुजरात में प्रायः ८० प्रतिशत शक्कर का उत्पादन बढ़ा है। उसका १० परसेंट कम होने पर भी वह ७५ प्रतिशत बढ़ा रहेगा, और बम्बई में ३८ परसेंट बढ़ा है लेकिन हमारे पास दुधारी तलवार बन रही है। साल भर पहले जब गन्ना बोने की बात थी तो इस सदन में एक बार भी नहीं कहा गया कि गन्ना मत बोओ। उसकी जगह गेहूं होता तो हमारी खाद्य समस्या हल होती।

इसके अलावा एक बात और है, किसान की १० प्रतिशत फसल मारी गयी है। इस बाढ़ के समय में हमारी फसल मारी जा चुकी है उसका क्या हाल होगा यह आप समझ सकते हैं।

काश्तकार के दृष्टिकोण से देखा जाय तो इससे अधिक विश्वासघात और कोई हो नहीं सकता। आज जिन देशों के गीत हमारे नेता लोग गाते हैं अगर वहां आज यह सरकार होती तो सुबह ही उनको इस्तीफा दे देना पड़ता। माननीय कृषि मंत्री जी को इससे ही छुट्टी नहीं है कि अलीगढ़ में जो आपस में दोनों दलों में लड़ाई है उसका क्या होगा, उनको इससे ही छुट्टी नहीं है कि उनके जो चेयरमैन नगरपालिका अलीगढ़ में हैं उनका क्या होगा। इस पूरे बजट में किसानों के लिये और उनके गन्ने की खपत के लिये उनके पास कोई योजना नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि एक होम मिनिस्टर न सही, लेकिन कृषि मंत्री की हैसियत से उन्हें कम से कम एक बात सोचनी चाहिये कि जब रेलें अधिक टक्कर खाने लगीं तो माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा देकर कहा कि हां, यह गलती है, इसी तरह से माननीय कृषि मंत्री जी इस्तीफा आज दे दें तो वे एक अच्छी परम्परा को कायम करेंगे।

आज काश्तकार का करीब ८ करोड़ मन गन्ना गल गया। फरवरी तक आप कहेंगे कि अब लेते हैं, अब लेते हैं, अब लेते हैं। तब तक तो काश्तकार इस उम्मीद में लगा रहा कि शायद अब ले लें, शायद अब ले लें, अब ले लें, और घोषणा यह करेंगे, लेकिन उद्योग मंत्री ने यह घोषित किया और उसी वजह से प्रदेश का यह उद्योग आज रसातल को चला जा रहा है। आज इस प्रदेश की फैक्टरियां हट हट कर दूसरे प्रदेशों में चली जा रही हैं। मठौली में एक फैक्टरी थी, उस फैक्टरी के मालिकों और सरकार के बीच में जो कुछ हुआ है उसका कोई पूछने वाला नहीं है। ६५ रुपये टन गन्ना बेचा यह साजिश हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप खत्म करें। आपको मैं ७ मिनट के स्थान पर १० मिनट दे चुका हूं। आपका समय समाप्त हो गया। (श्री उग्रसेन से) आपके लिये सिर्फ ३ मिनट....। अच्छा आप ५ मिनट ले लीजियेगा।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विवाद इस आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत है वह माननीय मदन पान्डेय जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार को अब इस पर ज्यादा समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिये और इस काले कानून को वापस लेना चाहिये और इस वापस लेने में सरकार का कोई हाथ न हो तो उसे केन्द्रीय सरकार से अविलम्ब इतनी बहस होने के बाद और इतनी चर्चा सुनने के बाद कहना चाहिये कि यह काला कानून वापस लो। यह काला कानून क्यों है उसके बारे में मैं जाफरी साहेब से कहना चाहता हूं कि जो गन्ना विकास विभाग है उसकी तरफ से आप खाद देते हैं, सिंचित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, पूरा नहीं करते हैं लेकिन कुछ भी करते हैं तो जब गन्ना बोया गया था तो यह कहा गया था उस समय कि काफी गन्ना हो। श्रीमन्, ईमानदारी की बात यह है कि जिस पार्टी के पास कोई ध्येय नहीं है वह पार्टी जिन्दा नहीं रह सकती है और जिस सरकार के पास कोई नीति नहीं है वह भी जिन्दा नहीं रह सकती है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। तो सरकार के पास कोई नीति तो है नहीं, अगर कोई नीति होती तो लाउड स्पीकर के जरिये, या सूचना विभाग से या आल इंडिया रेडियो के जरिये साल भर पहले से ही प्रचार करते कि गन्ना मत बोओ। लेकिन यह सरकार ने नहीं किया। तो जब उसने नहीं किया उस वक्त उस काम को तो आज हम करीब किसान क्यों मारे जायं ?

अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां केन ग्रोअर्स की एक कान्फ्रेन्स हुई थी, उसमें एक मेम्बर की हैसियत से मुझे भी जाने का एक मौका मिला था। जब मुझे यह पता चला कि कप्तानगंज, राम कोला, लक्ष्मीगंज, सेवरही माननीय गेंदा सिंह जी के क्षेत्र की मिल पर ३६ लाख रुपया बकाया है, मगर आज यह सरकार बेसिक कोटा की पालिसी लागू करके हमें अलग रखना चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई दाम नीति नहीं है। अगर दाम नीति होती तो ८ आने सेर की चीनी को १ और सवा रुपया सेर के हिसाब से न बिकवाती, १२ आने सेर बिकवाती। हम बार-बार २ रुपये मन गन्ना और ३२ रुपये मन चीनी की मांग करते हैं मगर यह सरकार कोई ध्यान नहीं देती। सरकार ने कभी मिल मालिकों को हुक्म नहीं दिया कि अपनी

[श्री उग्रसेन]

मिलों को वे कोस्लोवाकिया और दूसरे देशों के स्क्रेप बाजार में बेंच दो क्योंकि तुम्हारी मिलें जावा और क्यूबा की चीनी के मुकाबिले की चीनी नहीं पैदा कर पाती हैं।

डम्पिंग भी होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में। जब पैदावार ज्यादा होती है तो पूंजीपति लोग उसको समुद्र में फेंक देते हैं। मैं करोड़ी मलों से और सरकार से आपके जरिये कहना चाहता हूं कि सरकार उनकी चीनी को फुंकवा दे अगर बाजार में उसकी कोई पूछ नहीं है, मगर हमारे गन्ने को न फुंकवायें। अगर गन्ने को फुंकवाया गया तो उसका खमियाजा सरकार को अभी भुगतना पड़ेगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार यह काला कानून नहीं हटाती है तो मैं लाखों गन्ना किसानों की ओर से कहना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने की बात तो दूसरी है, सरकार अविलम्ब इस्तीफा दे और जाकर गन्ना किसानों से औचित्य मांगे कि हम सरकार बना सकते हैं या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार के इस काले कानून का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय उद्योग मंत्री। २० मिनट तक आप ले लें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि सदन में हमेशा हर ६ महीने में गन्ने और शक्कर के विषय में बहस की जाती है और सरकार की नीतियों के विषय में जो उस संबंध में है आपत्तियां उठाई जाती हैं, आलोचनायें की जाती हैं जो निरर्थक होती हैं और जो उस विषय को सदन के सामने रखने नहीं देतीं या आलोचकगण उस विषय को सदन के सामने रखते नहीं जिस विषय को लेकर सरकार गन्ना उत्पादकों की सहायता करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है।

आज इस बात की चर्चा करना कि सरकार गन्ने को सुखवा देना चाती है और पेरवाने नहीं देती, यह आलोचना, जैसा कि मैंने अभी कहा, बिलकुल निरर्थक आलोचना है। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की आलोचना कि गन्ना पेरा नहीं जायगा, सरकार गन्ने को पेरवाने का प्रबन्ध नहीं करती है, की गयी थी। लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि सरकार ने एक-एक मन और एक एक सेर गन्ने को पेरवाने का प्रबन्ध कर लिया और किसी प्रकार गन्ने को सूखने नहीं दिया? और आखिर को क्या यह तथ्य नहीं है कि अपने प्रदेश में ११० करोड़ मन गन्ना पैदा होता है? पिछले वर्ष ४० करोड़ मन गन्ना हमने पेरा। इस साल उस बांडेड एरिया में कहा जाता है कि ४४ करोड़ मन गन्ना होगा और जो मेरी अब आखिरी सूचना है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि वह अब और घट गया है। लेकिन ११० करोड़ मन गन्ने के जो लोग उत्पादक हैं और सिर्फ ४० करोड़ मन गन्ने के उत्पादक अपने गन्ने को फैक्टरीज में पेरवा पाते हैं, तो दूसरे और लोग जिनका गन्ना फैक्टरीज में पेरा नहीं जाता है उनके बारे में इस सदन के सदस्यों ने और खासकर के किसानों के हिमायतियों ने कभी कोई चर्चा की? क्योंकि जो गन्ना फैक्टरी में जाता है उसकी एक बंधी हुई कीमत है जो किसान को मिल जाती है। क्या यह वाकया नहीं है कि इस गन्ने के उत्पादक जिनका गन्ना फैक्टरी में नहीं पिर जाता है वह उतनी कीमत नहीं पा सकते हैं जितनी कि वह पाते हैं जिनका गन्ना फैक्टरी में पिरता है? ७० करोड़ मन गन्ना पैदा करने वाला किसान यदि अपने गन्ने का गुड़ तथा खांडसारी बनाकर उसकी कीमत कमाता है तो क्या हर्ज है? आज एक ऐसी बात हमारी नजर के सामने आई कि शक्कर का उत्पादन बहुत बढ़ गया है और खर्चा बढ़ा नहीं है और विदेशों में शक्कर उतनी मात्रा में बाहर नहीं जा सकती है और हमारे यहां उसकी खपत नहीं हो सकती है। श्रीमन् हमारे सामने यह एक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया है तो इसका निराकरण कैसे हो? क्या हम शक्कर बनाते जायें और गोदामों को भरते चले जायें और शक्कर की कीमत घटा दें और जब शक्कर की कीमत घट जाय तो गन्ना की कीमत जो आज किसान पा रहा है उतनी कीमत क्या वह पा सकता है? जब लाखों टन शक्कर पड़ी रहेगी तो वह कीमत इतनी कैसे पा सकता है?

यह कहना कि शक्कर का उत्पादन हमने नहीं बढ़ाया या कोई प्रयास नहीं किया, यह बातें भी तथ्य के नजदीक नहीं है। श्रीमन्, आज से कुछ साल पहले १० लाख टन से ज्यादा

शक्कर बन नहीं पाती थी और उस समय अपने यहां खर्चा १४ लाख टन था। उत्तरोत्तर गन्ने की पैदावार बढ़ाई गई और आज साढ़े २६ लाख टन गन्ने की पैदावार हो गई है। यह कैसे हो गई, किस ने कार्य किया, क्या सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन नहीं दिया, क्या सरकार ने इसके लिये प्रबन्ध नहीं किया ? यह सही है कि शक्कर का उद्योग उत्तर प्रदेश का एक बड़ा उद्योग धंधा था। देश के अन्दर जो नई नई स्टेट्स पैदा हुई हैं उनके अन्दर रीजनल कांशसनेस बढ़ गई है। आज हर स्टेट की सरकार चाहती है कि उसके यहां जितनी शक्कर खर्च होती है वह उसके स्टेट में ही पैदा होने लगे। इसलिये अब इस देश के अन्दर अन्य प्रदेशों में बहुत सी मिलें स्थापित हो गई हैं। इसने हमारे सामने एक बड़ी भारी समस्या खड़ी कर दी है। जिन प्रदेशों के खाने के लिये हम शक्कर भेजा करते थे आज उनको हमारी शक्कर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे स्वतः पैदा करने लगे हैं।

श्रीमन्, आज इस बात की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश के इस बड़े उद्योग को किसी न किसी प्रकार जीवित रखा जाय और यह उसी समय जीवित रखा जा सकेगा जब हम गन्ने के एकरेज को घटाकर पर एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ायें। लेकिन गन्ने के एकरेज को बढ़ाकर हम उत्तर प्रदेश के इस उद्योग धंधे को कायम नहीं रख सकते हैं। वह लोग किसानों के हिमायती नहीं हैं जो लोग एकरेज बढ़ाना चाहते हैं। (व्यवधान) और बढ़ा कर गन्ने के पेरे जाने के प्रबन्ध के विषय में सारी बातें अपनी नजरों से ओझल कर देते हैं। लेकिन अब नये नये किसानों के हिमायती पैदा हो रहे हैं हमारे बीच में (व्यवधान), मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं जब आप बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––जब मुख्य मंत्री ईल्ड नहीं करते हैं तो आप शान्त रहें।

श्री मदन पाण्डेय––ले किन हम लोगों को मिसकोट न करें। हमने कभी नहीं कहा है कि हम लोग एकरेज बढ़ाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––(सदन में शोर होने पर) आर्डर, आर्डर।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं बोलना नहीं चाहता। यह क्या तरीका है ?

श्री उग्रसेन––हम लोगों का क्या नुकसान है ?

श्री उपाध्यक्ष––आर्डर आर्डर, आप कृपया बैठिये। माननीय मुख्य मंत्री को सुनें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––परम्पराओं की बातें कही जाती हैं लेकिन माननीय सदस्य उन परम्पराओं को भुला देते हैं। जब कभी कोई बात कहता है तो उसको सुनने की क्षमता अपने अन्दर पैदा करनी चाहिये।

श्री राजनारायण––एक वैधानिक प्रश्न है। जब मुख्य मंत्री जी ने "इन दि आई आफ दि हाउस" यह कहा कि अब मैं नहीं बोलना चाहता, यह केवल मौखिक ही नहीं रहा बल्कि कार्य रूप में परिणत हो गया और वह बैठ गये, तो फिर बोलने के लिये कैसे खड़े हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष––इसलिये कि मैंने काल किया। सदन में गड़बड़ी हो गयी थी, उसके शान्त होने के बाद यदि मैंने उनको काल किया तो यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने व्यवस्था दी और वह बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त––मैं यह निवेदन कर रहा था कि अपने प्रदेश में और सारे देश में चीनी अधिक मात्रा में पैदा हो गयी और उसका स्टाक इतना बढ़ गया कि मिलों के गोदामों में जगह भी नहीं रही। केन्द्रीय सरकार ने बहुत चेष्टा की कि उसका काफी मात्रा में एक्सपोर्ट हो जाय। केन्द्रीय सरकार के मंत्री विदेशों में गये और उन्होंने विदेशों में जा कर शक्कर की खरीदारी का सौदा भी विदेशों से करने का प्रयत्न किया। परन्तु तीन लाख टन से अधिक शक्कर विदेश में भेजे जाने का कोई प्रबन्ध नहीं हो सका। जब कैरी ओवर शक्कर का पांच-

[श्री चन्द्रभानु गुप्ता

६ लाख टन से बढ़कर १४ लाख टन हो गया तो क्या यह दूरदर्शिता की बात होती कि इस वर्ष भी इस दायित्व अपने प्रदेश में और अधिक मात्रा में पैदा कर लें, जब कि इसको खर्च करने का प्रबन्ध न कर लें, विदेश में उसके बेचने का प्रबन्ध न कर लें ? आज केन्द्रीय सरकार के समक्ष और कोई चर्चा का नहीं था कि वह किसानों का ध्यान और किसानों के हितैषियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करे । किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये प्रदेश की सरकार बराबर केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती रही कि जो अधिक चीनी हमारे प्रदेश में पैदा हो सकती है उसका प्रबन्ध होना चाहिये । केन्द्रीय सरकार ने प्रबन्ध करने की चेष्टा की । अब केन्द्रीय सरकार इस प्रयास में असफल रही तब फिर यह प्रश्न उठा कि इस वर्ष किस तरह से प्रबन्ध करें जिससे अधिक से अधिक मात्रा में गन्ने को पेरवा दें, जितना मिलों के पेरने से बच जाय उसे अधिक से अधिक गुड़ या खांडसारी मे परिवर्तित करवाने की चेष्टा करें । यही कारण था कि प्रदेश की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का अहसास किया और यह निर्णय किया कि जो खांडसारी में पर्चेज टैक्स लगा दिया गया था उसको हटाने की नीति अपनायी तथा साथ में क्षार और कोल्हू इत्यादि किसान और उत्पादक को देना चाहती है और सस्ते दामों पर देना चाहती है । और सस्ते दामों पर देने के लिये १० लाख रुपये की धनराशि निकाली कि वह प्रदेश में इस कार्य के लिये रखी जाय और वह उन यूनियन्स को दी जाय जो यूनियन्स कोल्हू इत्यादि खरीद कर उन स्थानों के उत्पादकों को दे सकें जहां गन्ना मिलों में पूरा पेरा नहीं जा सकता है या भेजा नहीं जा सकता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह नीति जो हमने अपनायी है यह किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये बनायी है या हमने इसलिये बनायी है कि हम चाहते हैं कि किसानों का गन्ना खड़ा खड़ा सूख जावे ?

मैं नम्रता से सदन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न नहीं है कि हम बराबर किसानों के ध्यान को आमंत्रित करने के लिये या तो अधिक गन्ने की कीमत की चर्चा करते हुए और प्रदेश के अन्य चीजों को बोने वालों किसानों की तरफ ध्यान न दें या उस किसान की तरफ भी ध्यान न दें जो कि गन्ने को बोता है परन्तु जिसका गन्ना मिलों में अब तक नहीं जाता है । मैंने अभी बताया कि ११० करोड़ मन गन्ना हमारे यहां पैदा होता है और पिछले वर्ष ४० करोड़ मन गन्ना मिलों में पेरा गया । इस साल कहा जाता है कि ४४ करोड़ तक या ४० ही करोड़ रह जाय और जब हमने जो नीति घोषित की है केन्द्रीय सरकार की नीति के अन्तर्गत उसमें साढ़े ३६ करोड़ मन गन्ने के पेरे जाने का तो पूरा प्रबन्ध है ही । तो यदि तीन करोड़ या साढ़े तीन करोड़ मन गन्ना क्रशर्स के द्वारा या कोल्हुओं के द्वारा खांडसारी में या गुड़ में इस्तेमाल हो जाय तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अनहोनी चीज हो । आखिर को ७० करोड़ मन जो गन्ना इस्तेमाल होता है वह या तो चीनी में इस्तेमाल होता है या गुड़ और खांडसारी में इस्तेमाल होता है । तो उसमें अगर तीन साढ़े तीन करोड़ मन बढ़ भी गया तो उससे कोई चिन्तित होने की बात या किसानों के हितों की रक्षा करने की बात कहां उठती है ? परन्तु सदन में समय-समय पर इस बात को उठाया जाता है और इस बात को दर्शाने की चेष्टा की जाती है कि यह सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं करना चाहती है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका संबंध सब दलों से है, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका संबंध प्रत्येक किसान के हितैषी से है और इसलिये इस प्रश्न को हमें किसान के हित में उस दृष्टिकोण से देखना चाहिये जिससे कि वास्तविकता, जो एक परेशानी इस समय उपस्थित हो गई है उसका हम निराकरण कर सकें, उसका हल निकाल सकें और आज हमारे सामने, केन्द्रीय सरकार के सामने कोई जरिया नहीं था सिवाय इसके कि हम किसान को बतायें कि उत्तरोत्तर गन्ने की खेती को बढ़ाकर हम अपने उस हित की रक्षा नहीं कर सकते हैं जिस हित की रक्षा वह अधिक गन्ना उत्पन्न करके, अधिक पैसा कमाने के सिलसिले में करना चाहते हैं और इसलिये आज इस बात की बहुत जरूरत है कि हम सब जो किसान के हितैषी हैं वह सब किसान को इस दिशा में चलने के लिये आमन्त्रित करें और यह नीति जो इस वर्ष में घोषित की गई है वह उसी दिशा में हमें ले जाने वाली

है । उससे ही किसान का फायदा होगा, उससे ही उसके हितों की रक्षा होगी और उससे ही वह अधिक से अधिक कीमत गन्ने की पा सकेगा । मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसान का हित इस प्रदेश की सरकार का हित है और यह सारे दलों के सोचने का विषय है । इसलिये दलगत नीति को स्वीकार करके हमारी नीति के ऊपर निराधार आरोप लगाना और इस बात को सिद्ध करने की चेष्टा करना कि हम किसान के हित की रक्षा नहीं करना चाहते हैं, यह एक निराधार बात है और ऐसी निराधार बात इस सदन के सदस्यों की तरफ से नहीं होनी चाहिये ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके पूर्व भी जहां तक हमारी नीति इस गन्ने के प्रश्न के विषय में रही है उसकी घोषणा कर चुका हूं । उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । सिर्फ जो एक विषय, तात्कालिक विषय हमारे सामने उठा है उसका जो हमने निराकरण करने का निर्णय लिया है वह आपके समक्ष रखा है और वह भी इसीलिये हमने लिया है कि उससे किसान को नुकसान न उठाना पड़े । अधिक से अधिक किसान का गन्ना पेर दिया जाय और जो पेरने से बच जाय वह भी गुड़ के रूप में और खांडसारी के, शक्कर के रूप में परिवर्तित हो जाय और इस तरह से किसान को नुकसान न उठाना पड़े । मैं अधिक और इस विषय में न कहते हुए सदन से नम्रतापूर्वक यही विनती करना चाहता हूं कि जो दृष्टिकोण हमने सरकार की तरफ से इस समय प्रस्तुत किया है उस दृष्टिकोण को उन्हें अपनाना चाहिये, किसान तक पहुंचाना चाहिये जिससे कि किसान अपने इस भारी उद्योग को जिन्दा रख सके और जिन्दा रख कर वह अपने स्तर को ऊंचा करने में समर्थ हो सके ।

तीसरी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाने के निर्णय से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—उपाध्यक्ष महोदय, कल बजट के सिलसिले में २ आइटम्स शिक्षा विभाग के सम्बन्ध के थे । एक तो कक्षा ३ से अंग्रेजी को आरम्भ करने की जो योजना है उसके लिये ५ लाख रुपये की मांग थी जिसको इस आदरणीय सदन ने स्वीकार किया, और दूसरा यह था कि जो माध्यमिक स्तर पर ३ भाषायें पढ़ाने की बात है उसके लिये टोकेन ग्रांट स्वीकार की गई । इसके बारे में कुछ भ्रम पैदा हो गया है । उसके संबंध में जैसा कि आपका आदेश हुआ है मैं एक वक्तव्य सदन के समक्ष पढ़ देना चाहता हूं ताकि वह भ्रम दूर हो सके । इस प्रश्न पर सदन में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं, इसलिये मैं इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

इस समय अंग्रेजी कक्षा ६ से ऐच्छिक विषय के रूप में आरम्भ होती है । यदि कोई विद्यार्थी चाहे तो अंग्रेजी के स्थान पर किसी दूसरे प्रदेश की भाषा, संस्कृत, अरेबिक, परशियन इत्यादि संगीत या वाणिज्य ले सकता है । इसी प्रकार हाई स्कूल स्तर पर भी केवल तीन ही विषय अनिवार्य हैं, वे हैं— हिंदी, भारतवर्ष के किसी दूसरे प्रदेश की भाषा या आधुनिक विदेशी भाषा, गणित (बालकों के लिये) या गृह विज्ञान (बालिकाओं के लिये) । इससे यह प्रत्यक्ष है कि आज भी कोई विद्यार्थी हाई स्कूल परीक्षा बिना अंग्रेजी के पास कर सकता है । वह उसके लिये अनिवार्य नहीं ।

अब यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों में जो अंग्रेजी लेते हैं, उनका ज्ञान पर्याप्त नहीं होता । जिसके फलस्वरूप वे अखिल भारतीय सेवाओं और विशेषकर सुरक्षा विभाग में सफलता नहीं पाते और इस प्रकार इस प्रदेश की बहुत बड़ी हानि हो रही है । भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों में जो अपने यहां क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा दे रहे हैं और साथ ही साथ अनिवार्य हिन्दी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजी कक्षा ३ से आरम्भ कर दी है जिसमें जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[आचार्य जुगलकिशोर

विद्यार्थी अंग्रेजी लें, वे उस भाषा को भली-भांति सीख सकें। इस प्रकार दूसरे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुकाबले में अंग्रेजी में अच्छे विद्यार्थी उत्पन्न कर रहे हैं और वे अखिल भारतीय सेवाओं में अधिक संख्या में सफल हो रहे हैं।

इसलिये शासन ने यह निर्णय किया कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कक्षा ३ से अंग्रेजी पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाय। यह विषय केवल ऐच्छिक विषय ही रहेगा। इसमें असफल होने वाले विद्यार्थी फेल नहीं माने जायेंगे और यदि उन्होंने दूसरे विषयों में सफलता पाई है तो उन्हें ऊपर की कक्षा में चढ़ा दिया जायगा। इस प्रकार कक्षा ३, ४ और ५ में अंग्रेजी पूर्णतया ऐच्छिक विषय होगा और यह किसी प्रकार उन विद्यार्थियों पर लादी नहीं जायगी जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते।

दूसरी भ्रान्ति जो हो गई है कि अंग्रेजी आरम्भ करने से हिन्दी को क्षति पहुंचेगी, यह पूर्णतया गलत है क्योंकि हिन्दी शिक्षा का वही स्तर रहेगा जो आज है और इण्टर स्तर तक भी शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी ही रहेगी। इस प्रकार हिन्दी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी।

अंग्रेजी कक्षा ३ से ऐच्छिक रूप में आरम्भ करने से यह लाभ होगा कि जो भी विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना चाहे, वे हाई स्कूल तक पहुंचने पर अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंग्रेजी एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। इसकी अच्छी जानकारी से देश के बाहर जाने वाले और ऐसे विभागों में काम करने वाले जिनका दूसरे देशों से संबंध है, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान अत्यावश्यक है। पिछले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी वह निश्चय किया गया था कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं उनको अधिक समय अंग्रेजी के लिये दिया जाय जिसमें उनका अंग्रेजी का स्तर गिरने न पाये।

आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों से यह पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि छोटी उम्र के विद्यार्थी बड़ी आसानी से कई भाषा सीख सकते हैं। यदि वे कक्षा ६ में अर्थात् १२ वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी आरम्भ करते हैं तो उनके लिये कठिनाई हो जाती है। यदि इसके विपरीत वे कम अवस्था में कक्षा ३ से ही अंग्रेजी भाषा का अध्ययन आरम्भ करते हैं तो वे आसानी से इस भाषा को सीख सकते हैं। इसलिये अंग्रेजी यदि कक्षा ३ से आरम्भ की जाती है तो कोई अनुचित दबाव विद्यार्थी पर नहीं पड़ता है। जैसे-जैसे अवस्था बढ़ती जाती है नवीन भाषा का सीखना उतना ही कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से यदि कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है तो उसके लिये कम उम्र में ही अंग्रेजी पढ़ना उचित होगा, यह खयाल करके, इन विचारों से प्रभावित हो कर सरकार ने यह निश्चय किया कि तीसरी कक्षा से ही अंग्रेजी जो पढ़ना चाहता है, उसे वह सुविधा दी जाय। यह कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि इसमें बतलाया गया है, वह अंग्रेजी पढ़े ही। नहीं पढ़ना चाहता है तो वह १२ वीं जमात तक अंग्रेजी न पढ़े।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप अंत में पूछ सकते हैं। इस समय नहीं।

आचार्य जुगलकिशोर---दूसरा प्रश्न जिसके बारे में भ्रम है वह यह है कि माध्यमिक स्तर पर अन्य भाषाओं का पढ़ाया जाना। सेंट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड आफ एजुकेशन ने अपनी १९५६ की बैठक में तीन भाषाओं के पढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया था और इसके पक्ष में सम्मति दी थी। भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों ने इस सलाह को मान लिया है और उन्होंने अपने माध्यमिक विद्यालयों में तीन भाषा का पढ़ाया जाना आरम्भ कर दिया है। केवल उत्तर प्रदेश ने अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया था। केन्द्रीय शासन ने इसलिये उत्तर प्रदेश से पुनः अनुरोध किया कि वे भी तीन भाषाओं को माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पढ़ाना स्वीकार करें।

मुख्य मंत्रियों के पिछले अधिवेशन ने भी देश की एकता को कायम रखने के लिये यह निर्णय किया कि हर एक प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषायें पढ़ायी जायं।

उत्तर प्रदेश में इस समय दो भाषायें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। एक हिन्दी, दूसरे भारतवर्ष के किसी दूसरे प्रदेश की एक भाषा या कोई आधुनिक विदेशी भाषा। दूसरे प्रदेशों में वे लोग हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाते हैं। उन लोगों को यह शिकायत है कि उत्तर प्रदेश में जहां की क्षेत्रीय भाषा हिन्दी है वहां केवल दो ही भाषा विद्यार्थियों को पढ़नी पड़ती हैं और इस प्रकार इस प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेश के विद्यार्थियों के मुकाबले में कम परिश्रम में वही लाभ हो जाता है। देश की एकता कायम रखने के लिये शासन ने यह निर्णय किया है कि इस प्रदेश में भी जुलाई, १९६२ से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर तीन भाषायें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायं। इस समय यहां के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से हिन्दी और प्रायः सभी अंग्रेजी पढ़ते हैं। इन दो भाषाओं के अतिरिक्त अब यहां के विद्यार्थियों को किसी दूसरे प्रदेश की भी भाषा सीखनी होगी। देश में सामंजस्य रखने के लिये तथा हिन्दी का विरोध दूसरे प्रदेशों में उत्पन्न न होने देने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि इस प्रदेश के विद्यार्थी भी तीन भाषायें सीखें। इसका अर्थ यह होगा कि इस प्रदेश में प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा ६ से अनिवार्य रूप से हिन्दी, एक आधुनिक विदेशी भाषा जो अंग्रेजी, फ्रान्सीसी, रूसी, जर्मन इत्यादि में से एक हो सकती है, तथा एक दूसरे प्रदेश की भाषा जैसे गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, बंगाली इत्यादि में से एक सीखनी होगी। जब दूसरे प्रदेश के विद्यार्थी तीन भाषायें सीख सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इस प्रदेश के विद्यार्थी भी जो अभी तक दो भाषायें पढ़ते थे, तीसरी भाषा न सीख सकें। इस प्रणाली से देश की एकता तथा समता की भावना उत्पन्न होगी और साथ ही साथ हिन्दी का विरोध जो अवसर दूसरे प्रदेशों में होता है, वह भी समाप्त हो जायगा। हमारे विद्यार्थियों को भी भारतवर्ष के किसी प्रदेश की भाषा का ज्ञान हो जायगा जिससे उनको लाभ भी होगा।

जैसा मैं ऊपर हिन्दी के संबंध में कह चुका हूं अंतराष्ट्रीय क्षेत्र के लिये एक विदेशी भाषा का जानना अत्यावश्यक है। विद्यार्थी को चाहे कानून पढ़ना हो तथा इंजीनियरिंग पढ़नी हो या डाक्टरी पढ़नी हो, प्रत्येक में उसे उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक अंतराष्ट्रीय भाषा, जैसे अंग्रेजी सीखना अत्यावश्यक है और वह इस भाषा को उस समय पढ़ भी रहा है। दूसरे प्रदेश की एक भाषा और जानने से उसको उस प्रदेशीय भाषा का साहित्य भी जानने का अवसर मिल सकेगा। दूसरे प्रदेशों की बहुत-सी भाषाओं जैसे--मराठी, गुजराती, पंजाबी, अथवा बंगाली को हिन्दी से बहुत कुछ समानता है और इनको सीखने में विद्यार्थी को कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। वे सरलता से इन भाषाओं में से एक सीख सकते ह, जिससे उनमें भारतीय एकता की भी भावना जागृत होगी।

अभी तक अंग्रेजी कक्षा ६ से ऐच्छिक विषय थी। उपर्युक्त तीन भाषा प्रणाली अपनाने पर अंग्रेजी या कोई आधुनिक विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी होगी। इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी करीब-करीब सभी विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं और चूंकि अंग्रेजी अब कक्षा ३ से आरम्भ होगी, उनके लिये और भी सरल हो जायगा कि वे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ सकें।

इन तीन भाषा की प्रणाली को अपनाने से इस प्रदेश के समाज को बहुत लाभ पहुंचेगा। हिन्दी तो विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आधुनिक युग की कम से कम एक अंतराष्ट्रीय भाषा का भी उनको अच्छा ज्ञान हो जायगा। जिससे उन्हें उच्च कोटि का ज्ञानोपार्जन करने तथा दूसरे देशों से व्यवहार करने में सरलता होगी। एक दूसरे प्रदेश की भाषा सीखने से उन्हें अपने देश की एक और भाषा के साहित्य का भी ज्ञान हो जायगा और अपने देश के एक्य का भी पूरा अनुभव होगा। यदि अखिल भारतीय सेवाओं में ऐसे विद्यार्थी सफल होते ह तथा वे इस प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेश म नियुक्त होंगे तो वहां भी

[आचार्य जुगलकिशोर]

उन्हें उस प्रदेश की भाषा जानने के कारण बहुत सुविधा होगी। इसलिये माननीय सदन को तीन भाषा पढ़ाने की प्रणाली को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

यह भय कि तीन भाषा पढ़ने से हिन्दी को क्षति पहुंचेगी बिलकुल निर्मूल है। बल्कि तीन भाषा पढ़ने से हिन्दी के ज्ञान में वृद्धि होगी और हिन्दी भाषा का प्रयोग अधिक विस्तृत होगा। यदि एक भाषा अपने ही में सीमित रहती है तो उसका ज्ञान कोष सीमित हो जायगा। संसार की प्रगतिशील भाषाओं में यह पाया गया है कि वे दूसरी भाषाओं के शब्दों और भावों को बराबर ग्रहण करती रहती हैं। यदि हिन्दी को भी एक प्रगतिशील भाषा बनाना है तो उसके जानकारों को दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिये। इसलिये यदि हिन्दी भाषी विद्यार्थी एक अंतराष्ट्रीय भाषा तथा एक दूसरे प्रदेश की भाषा भी पढ़ते हैं तो उससे वह हिन्दी भाषा को अधिक समृद्धिशील ही बनायेंगे और उससे हिन्दी भाषा की उन्नति ही होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मैंने, जो मुझे कहना था वह कह दिया है। अब जो माननीय सदस्य प्रश्न करेंगे उसका जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मोतीलाल जी, आप प्रश्न करेंगे या अपना भाषण देना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो मैं फिर बोलने का अवसर नहीं दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---प्रश्न तो तभी करेंगे जब आप बोलने का अवसर देंगे। अब आप तो यह शर्त लगा रहे हैं। अभी काफी नेता बैठे हुये हैं, वे बोलेंगे, हमें तो समय मिलेगा नहीं। वैसे हम बोलेंगे जरूर चाहे कितना ही आप रोकें....

श्री उपाध्यक्ष---क्या कहा आपने? आप बोलेंगे जरूर कितना ही मैं मना करूं? आप कृपया बैठिये। मैं बोलने नहीं दूंगा आपको इस तरह।

जो माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हों, वे कृपया खड़े हो जायं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप मेरी बात को समझ लें....

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठिये, या आप यह कहिये कि मुझे अफसोस है इस बात का... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे प्रश्न करने दें, मैं बोलूंगा नहीं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आपने यह कहा है कि आप बोलेंगे जरूर, चाहे कितना ही मैं रोकूं।...

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैंने यह नहीं कहा है, आप समझ तो लें....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---वह कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कही यह बात...

श्री उपाध्यक्ष---और जो मैंने सुना है वह गलत है?

श्री राजनारायण---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने यह नहीं कहा, तो आजकल जितनी संसदीय प्रथा रही है सदन की वह यही रही है कि उनके कथन को मान लिया जाता है। वह मान लिया गया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय अवस्थी जी कह रहे हैं कि मैंने यह नहीं कहा और इसको आप न मान कर अनावश्यक ढंग से दबाव डाल रहे हैं। तो मैं... (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री त्रिलोकीसिंह का नाम पुकारने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो मैं यह समझूं कि मुझे प्रश्न करने का मौका दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--यदि सम्भव हो सका तो आपको मौका दिया जायगा, अभी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुगृहीत हूं श्रीमान् का और माननीय शिक्षा मन्त्री का कि इस विषय के लिये समय नियत किया गया और उन्होंने बयान देने की कृपा की। प्रश्न मान्यवर, यह नहीं है कि कोई हिन्दी और अंग्रेजी की लड़ाई हो.....

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि आपके पहले अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि माननीय मन्त्री जी अपना वक्तव्य १० मिनट में देंगे, लेकिन उसमें १५ मिनट लगे और उसके बाद अब नेता विरोधी दल, माननीय त्रिलोकीसिंह जी, बोल रहे हैं, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि इनके बोलने के लिये कोई सीमा निर्धारित कर दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष--अगर माननीय अध्यक्ष ने मन्त्री जी के लिये १० मिनट की लिमिट की थी और अगर उसमें मन्त्री जी को कुछ अधिक समय लगा तो मैंने चेयर पर बैठे हुये उनको इजाजत दी, वह मेरे अधिकारों में है। जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है, मैं माननीय त्रिलोकीसिंह जी से जानना चाहूंगा कि वह कितना समय लेंगे, मैं समझता हूं कि वह १५ मिनट ले लें ...

श्री राजनारायण--आप मेरी बात सुन लीजिये .....

श्री उपाध्यक्ष--आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण--आप कृपा करके सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण--मेरी आप से विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे विनम्र भाव को सुन लें ...

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी आप सुन लें। राजनारायण जी जो बात कह रहे हैं वह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--आप राजनारायण जी को भी बिठालें जोकि गलत बात कहे जा रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें। माननीय राजनारायण जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह बैठ जायं।

श्री राजनारायण--मन्त्री जी ने कहा था कि तीन मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने १५ मिनट ले लिये.....

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी की बातों को कोई महत्व न दिया जाय, वह अनावश्यक रूप में सदन का समय ले रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---पहले आप बैठिये, आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले ?

श्री उपाध्यक्ष---उग्रसेन जी, आप कृपया बैठें।

श्री राज नारायण---क्या आपने अपना स्थान टम्बरेश्वरप्रसाद जी को दे दिया है ? अगर दे दिया है तो उनकी व्यवस्था पर मेरा नतमस्तक होगा.....

श्री उपाध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। आप लोग कृपया बैठें।

माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था की थी उसके सम्बन्ध में मैंने जानकारी हासिल की। किसी सदस्य का कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ था। इसलिये किसी विशेष सदस्य को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो जब मन्त्री जी के वक्तव्य के बाद नियमानुसार, चूंकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सब से बड़ी है, मैंने नेता विरोधी दल को बोलने की इजाजत दी। अब मैं ज्यादा से ज्यादा ९० मिनट का समय नेताओं को दूंगा और उसके बाद अगर समय बचा तो कुछ लोगों को और मिल जायगा....

श्री मोतीलाल अवस्थी---व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री राजनारायण---इसमें भाषा का प्रश्न है जिसका सम्बन्ध एक दल की नीति से है...

श्री उपाध्यक्ष---मैंने बार-बार कहा कि आप कृपा करके बैठें। बार-बार मैंने श्री राजनारायण जी से बैठ जाने के लिये निवेदन किया, लेकिन उन्होंने मेरे निवेदन को माना नहीं। इसलिये मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वह राजनारायण जी को सदन से बाहर कर दें।

श्री राजनारायण---मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान् जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजनारायण---मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---आप सदन से बाहर जायं।

श्री राजनारायण---मैं आपकी आज्ञा को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। सरकार अंग्रेजी लादना चाहती है। अंग्रेजी के बदले में बाहर जाने के लिये तैयार नहीं हूं।

(मार्शल के श्री राजनारायण के पास पहुंचने पर)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आप अपना आदेश वापस लें।

श्री उपाध्यक्ष---श्री राजनारायण अगर बैठ जांय तब उसको वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

(श्री राजनारायण से) आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण---मैं तो स्थान ग्रहण कर ही चुका था। अब भी कर लूंगा। तीन महीने की सजा इसी अंग्रेजी के लिये भोग चुका हूं। लेकिन बराबर हमको दबाया जाता है और यह सरकार विशेष रूप से अंग्रेजी को हम पर लादना चाहती है। हमारे सदन में रहते हुये अंग्रेजी अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश में नहीं चलाई जा सकती।

(श्री राजनारायण से मार्शल के बार-बार कहने पर भी बाहर न जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष---सदन में काफी अव्यवस्था है। मार्शल के बार-बार कहने पर भी श्री राजनारायण सदन से बाहर नहीं गये। इसलिये मैं सदन को १० मिनट के लिये स्थगित करता हूं और मार्शल को आदेश देता हूं कि इस बीच में श्री राजनारायण को बलपूर्वक सदन से बाहर कर दें।

(इस समय ३ बज कर २५ मिनट पर सदन दस मिनट तक के लिये स्थगित हो गया तथा ३ बज कर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने पुनः सभापतित्व ग्रहण किया।)

श्री उपाध्यक्ष—मैंने दस मिनट का समय दिया था ताकि इस बीच में सदन में शांति स्थापित हो जाय, लेकिन वह सम्भव नहीं हो सका। इसलिये अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके मैं इस सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करता हूं।

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ नवम्बर, १९६१ ई०।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १२ का
उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

गोरखपुर डिपो

१—श्री मुहम्मद सईद
२—श्री गंगा राम (द्वितीय)
३—श्री श्याम सुन्दर
४—श्री केदार लाल
५—श्री हरी नारायण मिश्र
६—श्री फूलचन्द
७—श्री वली मुहम्मद
८—श्री विश्वनाथ मिश्र
९—श्री हीरा लाल
१०—श्री चतुरानन पांडेय,
११—श्री गंगा राम (प्रथम)
१२—श्री बृजबिहारी लाल
१३—श्री सत्यनारायण
१४—श्री नादिर हुसैन
१५—श्री रामचन्द्र शुक्ला
१६—श्री कमला सिंह
१७—श्री जगन्नाथ सिंह
१८—श्री बटुक देव तिवारी
१९—श्री राजकिशोर तिवारी
२०—श्री रविन्द्र कुमार (फिटर)
२१—श्री विश्वनाथ दूबे
२२—श्री साधू शरण
२३—श्री रामचन्द्र पांडे
२४—श्री अच्छैवर तिवारी
२५—श्री मुहम्मद मैना
२६—श्री राधा प्रसाद
२७—श्री शिव नारायण पांडेय
२८—श्री ब्रह्मदेव सिंह
२९—श्री जगन्नाथ तिवारी
३०—श्री सुधाकर मिश्रा
३१—श्री करामत अली
३२—श्री छांगुर प्रसाद यादव
३३—श्री कन्हाई
३४—श्री अयोध्या प्रसाद
३५—श्री नागेश्वर प्रसाद
३६—श्री देवराज सिंह
३७—श्री राजबल्लभ
३८—श्री लल्लन प्रसाद
३९—श्री गंगा सिंह
४०—श्री तुफानी प्रसाद

बस्ती डिपो

१—श्री राम स्वरूप
२—श्री अनूप सिंह
३—श्री जमुना सिंह
४—श्री राजनारायण शुक्ला
५—श्री बिसई राम
६—श्री नर्बदेश्वर प्रसाद
७—श्री केदार
८—श्री राम चन्द्र शर्मा
९—श्री दर्लासिंगार
१०—श्री चन्द्रिका पांडेय
११—श्री मुहम्मद जलील
१२—श्री बुद्धिसागर शुक्ला
१३—श्री सरदार खां
१४—श्री बृजबिहारी लाल
१५—श्री कृष्णानन्द सिंह
१६—श्री विश्वनाथ
१७—श्री ज्वाला सिंह
१८—श्री अब्दुल अली
१९—श्री मुहम्मद छेदी
२०—श्री जय सिंह
२१—श्री वफाती
२२—श्री शैला प्रसाद मिश्रा
२३—श्री एस० एस० सोढी
२४—श्री अशर्फी लाल
२५—श्री सुल्तान अहमद
२६—श्री घुरहू सिंह
२७—श्री राम बेकारू
२८—श्री हबीब उल्लाह
२९—श्री अशफाक अहमद
३०—श्री उदय राय
३१—श्री बनारसी प्रसाद
३२—श्री राम प्रसाद तिवारी
३३—श्री अब्दुल हकीम
३४—श्री दूधनाथ सिंह

३५—श्री जहूर
३६—श्री साबिर हुसैन
३७—श्री झारखंडे
३८—श्री लाभी प्रसाद
३९—श्री मुहम्मद माकुल
४०—श्री सुखई प्रसाद
४१—श्री अलगू सिंह
४२—श्री हौसला प्रसाद
४३—श्री अब्दुल वहाब
४४—श्री चन्द्रभान मिश्रा
४५—श्री रफीउद्दीन
४६—श्री मुहम्मद शफ़त
४७—श्री राम अधारे
४८—श्री शिव दत्त सिंह।

हिन्दी साहित्य डिजिटल पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८--९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

नत्थी 'क'

यह दुर्घटना गाड़ी संख्या यू० एस० आर०/२०९१ द्वारा रानीखेत से करीब २६ मील की दूरी पर भतरोजखान नामक स्थान पर साढ़े दस बजे सुबह के समय हुई थी, इस दुर्घटना के समय बस चालक का पुत्र जो उस बस पर कन्डक्टर था बस चला रहा था। यह विदित हुआ कि सड़क के दाईं ओर एक पत्थर १२ × ६ इंच का पड़ा था। यह अनुमान लगाया जाता है कि या तो बस चालक ने बस को उस पत्थर से टक्कर लगने से बचाने का प्रयास करते हुये बस को पहाड़ी की ओर घुमाया था या उस बस का दाहिना पहिया उस पत्थर के ऊपर से होकर तेजी से फिसला। बस दाहिनी ओर के चट्टान से टकराई और बस चालक ने बस को उस चट्टान से बचाने के लिये तेजी से बस को बाईं ओर खड्ड की तरफ घुमाया तथा बस को सीधा करने और रोकने में असमर्थ रहा जिसके फलस्वरूप बस सड़क के किनारे की दीवार को तोड़ कर १५० फीट नीचे खड्ड में गिर पड़ी। यह गाड़ी कुमायूं मोटर्स ओनर्स यूनियन के अन्तर्गत चलती थी। इस दुर्घटना में ९ व्यक्ति मरे तथा १७ घायल हुये।

नत्थी 'ख'

भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(१) पर्वतीय क्षेत्रों के मार्गों पर गाड़ियों को चलाने के लिये ड्राईवरों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के पूर्व उनकी उक्त मार्गों पर गाड़ी चलवा कर कड़ी परीक्षा ली जाती है।

(२) गाड़ियों को fitness का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व उनकी कड़ी जांच की जाती है तथा उनकी यान्त्रिक दशा का निरीक्षण भी समय-समय पर सम्बन्धित परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(३) उन ड्राइवरों को जो नशे की दशा में गाड़ियों को चलाते हुये पाये जाते हैं इन्फोर्समेंट के अधिकारियों द्वारा चालान किया जाता है तथा उनको कड़ा दण्ड दिया जाता है।

(४) पर्वतीय मार्ग जिन पर केवल एक समय एक ओर गाड़ी चलाई जा सकती है उन मार्गों पर गेज टाइमिंग बनाये गये हैं। जो ड्राइवर उक्त टाइमिंग के विरुद्ध गाड़ी चलाते हुये पाया जाता है उसका चालान किया जाता है और उचित दण्ड दिया जाता है।

(५) यथासम्भव पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों को लगाया गया है।

(६) इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेशीय सरकार ने यात्रा मार्ग में हुई मोटर दुर्घटनाओं की जांच के लिये एक दुर्घटना जांच समिति की स्थापना की है। यह कमेटी भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के सम्बन्ध में विचार कर रही है। इस समिति के सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है। आशा की जाती है कि उक्त समिति के सुझाव कुमायूं क्षेत्र के पर्वतीय मार्गों के लिये भी लाभदायक होंगे।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

जिला पीलीभीत में निम्नांकित बालक व बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूल व हाई स्कूल हैं:

	संस्था	स्थित
जू० हा० स्कूल		
बालकों के	२८	२१ देहातों में
बालिकाओं के	७	२ देहातों में
हाई स्कूल		
बालकों के	६	१ देहात में
बालिकाओं के	३	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

वाराणसी मंडल के माडल स्कूलों के ज्येष्ठता के अनुसार अस्थायी सहायक अध्यापकों की सूची

क्रम-संख्या	नाम अध्यापक	माडल स्कूल जहां कार्य कर रहे हैं	नियुक्ति तिथि	३१-८-६१ को सेवा अवधि		
१	२	३	४	५		
				वर्ष	मास	दिन
१	श्री सुरेन्द्र नाथ पान्डेय	बलिया ..	८-९-५३	७	११	२२
२	श्री छवि नाथ लाल	वाराणसी ..	१०-९-५३	७	११	२४
३	श्री जय नारायण श्रीवास्तव	चुनार ..	१७-१२-५३	७	८	१५
४	श्री लालता प्रसाद सिंह	चुनार ..	२२-१२-५३	७	८	१०
५	श्री कैलाश पति सिंह	सैदपुर	२६-१२-५३	७	८	६
६	श्री सेवन राम यादव	केराकत ..	४-१-५४	७	७	२८
७	श्री रूप नारायण	ज्ञानपुर ..	१५-७-५४	७	१	१७
८	श्री मदन मोहन राय	बलिया ..	७-९-५४	६	११	२४
९	श्री पन्ना लाल पान्डेय	ज्ञानपुर ..	७-९-५४	६	११	२४
१०	श्री सूबेदार सिंह	सकलडीहा	१७-९-५४	६	११	१४
११	श्री राम लोचन सिंह	केराकत ..	९-७-५५	६	१	२३
१२	श्री राम नरेश मिश्र	केराकत ..	१५-१२-५५	५	८	१७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	श्री भीखू राम	सकलडीहा ..	२९–११–५६	४	९	१			
१४	श्री रूद्र माथ सिंह	केराकत ..	४–१–५७	४	८	२८			
१५	श्री बसन्त लाल मिश्र	ज्ञानपुर ..	९–२–५७	४	७	२०			
१६	श्री आनन्द स्वरूप वर्मा	सकलडीहा ..	२२–७–५७	४	१	१०			
१७	श्री मुरली धर तिवारी	केराकत ..	१७–१२–५७	३	८	१५			
१८	श्री सुदामा सिंह	बलिया ..	८–१–५८	३	७	२४			
१९	श्री दिनेश्वर सिंह	सकलडीहा ..	१७–४–५८	३	४	१४			
२०	श्री छैल बिहारी अस्थाना	शिवपुर ..	२७–१०–५८	२	१०	४			
२१	श्री कल्प नाथ राय	ज्ञानपुर ..	१६–३–५९	२	५	१६			
२२	श्री राम यश तिवारी	ज्ञानपुर ..	१६–३–५९	२	५	१६			
२३	श्री शिव पूजन मिश्र	ज्ञानपुर ..	१६–३–५९	२	५	१६			
२४	श्री सुदामा सिंह	सकलडीहा ..	२०–३–५९	२	५	१२			
२५	श्री राम प्रसाद मिश्र	सकलडीहा ..	२०–३–५९	२	५	१२			
२६	श्री यदुनन्दन मिश्र	ज्ञानपुर ..	१४–४–५९	२	४	१७			
२७	श्री कैलाश पति	चुनार ..	१९–५–५९	२	३	१३			
२८	श्री अब्दुल गफ्फार	सैदपुर ..	२०–७–५९	२	१	१२			
२९	श्री राधे श्याम दूबे	वाराणसी ..	२०–७–५९	२	१	१२			
३०	श्री जय राम द्विवेदी	ज्ञानपुर ..	२०–७–५९	२	१	१२			
३१	श्री जवाहर लाल	सकलडीहा ..	२१–७–५९	२	१	११			
३२	श्री अमर नाथ पान्डेय	सकलडीहा ..	२२–७–५९	२	१	११			
३३	श्री एम० एम० सिद्दीकी	सकलडीहा ..	२४–७–५९	२	१	८			
३४	श्री नन्द जी सिंह	सकलडीहा ..	२९–७–५९	२	१	३			
३५	श्री शिव करन अग्निहोत्री	शिवपुर ..	२२–८–५९	२	०	१०			
३६	श्री कामता प्रसाद	शिवपुर ..	२४–८–५९	२	०	८			
३७	श्री गुप्तेश्वर प्रसाद	शिवपुर ..	१२–१–६०	१	७	२०			

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर

(१) जौनपुर
(२) बनारसी
(३) इलाहाबाद
(४) आगरा
(५) हलद्वानी
(६) काठगोदाम
(७) रानीखेत
(८) अल्मोड़ा
(९) भुवाली
(१०) बरेली
(११) शाहजहांपुर
(१२) बिजनौर
(१३) फतेहपुर
(१४) फर्रुखाबाद
(१५) महोबा
(१६) बांदा
(१७) आजमगढ़

प्रति प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ८४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर ।)

सूची

	परमिट
१--उरई केलिया वाया कांच मार्ग	२
२--उरई जगम्मनपुर मार्ग	२
३--उरई गोपालपुर मार्ग	२
४--उरई रमपुरा मार्ग	३
५--कुठाद कांच नदीबांव मार्ग	१
	१०

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५४ पर)

वोट आन एकाउण्ट से सम्बन्धित श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत २६ अप्रैल, को १९६१-६२ के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या ३ राज्य आबकारी की मांग उपस्थित किये जाने पर माननीय नारायण दत्त तिवारी ने एक वैधानिक आपत्ति उठाई थी। उनकी आपत्ति यह थी कि जो मांग उपस्थित की गई है उसमें वह धनराशि सम्मिलित नहीं है जो लेखानुदान द्वारा १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के लिये सदन द्वारा स्वीकृत की गयी थी। माननीय सदस्य के मतानुसार यह प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं थी। उस अवसर पर मैंने यह कहा था कि मैं इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था बाद में दूंगा। अगले दिन अर्थात् २७ अप्रैल को मैंने कहा था कि मैं एडवोकेट जेनरल की राय जानने के उपरान्त माननीय नारायणदत्त तिवारी द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर निर्णय दूंगा किन्तु इस समय तक जो प्रक्रिया चल रही है वह चलती रहेगी। माननीय सदस्यों को यह भी स्मरण होगा कि २७ अप्रैल, १९६१ को विनियोग विधेयक के संबंध में श्री नारायण दत्त तिवारी ने यह आपत्ति उठाई थी कि यद्यपि लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अनुदान की धनराशि में सम्मिलित नहीं है, विनियोग विधेयक में वह धनराशि जो पहिले लेखानुदान द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, सम्मिलित है जो उनके मतानुसार नियमानुकूल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष उस समय पीठासीन थे और उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि जो प्रक्रिया अपनायी गयी है वह नियमानुकूल प्रतीत होती है। फिर भी इस विषय में भी एडवोकेट जेनरल की सम्मति प्राप्त कर ली जायेगी।

अब एडवोकेट जेनरल की सम्मति उक्त दोनों प्रश्नों के संबंध में प्राप्त हो गयी है। मैं उस पर विचार कर चुका हूं। एडवोकेट जेनरल की राय में भी जो प्रथा इस बार सदन में अपनायी गयी है वह ठीक है। लेखानुदान द्वारा स्वीकृत रकम को निकाल कर ही मूल बजट में उल्लिखित अनुदान, सदन में मतदान के लिये रखना नियमानुकूल होगा। यदि लेखानुदान द्वारा स्वीकृत रकम को अनुदान में सम्मिलित करके पुनः सदन के समक्ष रक्खा जायगा तो उस रकम पर सदन द्वारा दो बार मतदान हो जायगा जिसमें सदन के समय का अपव्यय होगा और जो उचित भी न होगा, क्योंकि ऐसा करने से विचित्र स्थिति पैदा हो सकती है। जिस रकम को सदन स्वीकार कर चुका है उसी को अस्वीकार करने का अवसर सदन को होगा चाहे वह रकम उस समय तक व्यय भी की जा चुकी हो। इसलिये जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह ठीक ही है।

जहां तक विनियोग विधेयक का प्रश्न है उसमें स्थिति को स्पष्ट करने के लिये दोनों रकमें सम्मिलित कर दी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५ पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३१९–१८ के अन्तर्गत १७ नवम्बर, १९६१ को शिक्षा मन्त्री जी का वक्तव्य ।

राजा वीरेन्द्र शाह द्वारा पूछा गया विधान सभा का तारांकित प्रश्न संख्या ४८ तथा ४९ विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६१ के ५वें शुक्रवार के लिये निर्धारित था। उक्त प्रश्न निम्नवत् थे––

४८––क्या यह सही है कि जिला जालौन में कर्नल ईश्वर सिंह इण्टर कालेज शेखपुर बुजुर्ग में कोई प्रबन्धक कमेटी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती इसका कारण तथा भविष्य में कब तक कमेटी बना दी जायेगी?

४९––क्या यह सही है कि मुख्य दान दाता संरक्षक श्री ठकुराइन साहब ने जिलाधीश जालौन को प्रार्थना पत्र दिया है कि कमेटी शीघ्र बना दी जाये ?

२––शिक्षा निदेशक से प्रश्नों से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री शासन को समय पर नहीं प्राप्त हुई, अतः सर्वप्रथम प्रश्नों को स्थगित कराया गया और अन्त में जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन, से प्राप्त सामग्री के आधार पर दिनांक २१ अप्रैल, १९६१ को सदन में प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने, संस्थाधिकारियों से प्राप्त सूचना शासन को प्रति हस्ताक्षरित कर दिया था।

३––जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन, से यह ज्ञात हुआ था कि संस्था के अन्तरिम कार्य संचालन के लिये जिलाधीश की अध्यक्षता में एक 'ऐड हाक' कमेटी (Adhoc Committee) बनाई गई थी। उसके उपरान्त उपशिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मन्डल ने विद्यालय की प्रशासन योजना स्वीकार की। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने उक्त प्रश्न से सम्बन्धित पूरी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की जो अब शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो गई है।

४––जिलाधीश, जालौन ने २१ अगस्त, १९६० को कर्नल ईश्वर सिंह इण्टर कालेज शेखपुर बुजुर्ग, जालौन के कार्य संचालन हेतु एक 'ऐड हाक' कमेटी का निर्माण किया था। "ऐड हाक" कमेटी के निम्नलिखित सदस्य थे :

(१) जिलाधीश––प्रेसीडेंट,

(२) एस० डी० एम०, जालौन––मैनेजर,

(३) स्कूल के प्रिंसिपल––सदस्य,

(४) स्वर्गीय कर्नल ईश्वर सिंह की विधवा पत्नी––सदस्य,

(५) सेक्रेटरी, सोल्जर्स बोर्ड, ओरई––सदस्य,

(६) जिला विद्यालय निरीक्षक, ओरई––सदस्य,

(७) प्रधान, गांव सभा, शेखपुर, बुजुर्ग––सदस्य ।

अब उप-शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रशासन योजना के आधार पर नई प्रबन्ध समिति का निर्माण १४ जून, १९६१ को हो गया है, इस प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

(१) जिलाधीश, जालौन––अध्यक्ष

(२) श्रीमती कछुवाइन जू––उपाध्यक्ष

(३) एस० डी० एम०, जालौन––प्रबन्धक

(४) श्री सूबेदार जयेन्द्र सिंह—सदस्य

(५) श्रीमती विद्यावती देवी, अध्यापिका बिरहारा—सदस्य

(६) तथा (७) दो अध्यापक प्रत्येक एक वर्ष के लिये—प्रतिनिधि।

(८) विद्यालय के प्रधानाचार्य, श्री शिव प्रसाद कुलश्रेष्ठ।

(९) श्री देवी दयाल श्रीवास्तव, हीरापुर—अभिभावकों के प्रतिनिधि।

अब यह विद्यालय नियमानुसार बनी हुई प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित हो रहा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५ पर)

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २८ अगस्त, १९६१ को श्री लक्ष्मण राव कदम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९–१० के सम्बन्ध में श्री मोतीलाल अवस्थी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था तो सरकार ने कहा कि हाथों से ढोते होंगे। तो क्या सरकार बतायेगी कि इस मैले को हाथों से न ढुलवाकर गाड़ियों आदि से उसकी ढुवाई करा सकने में सरकार कब तक सक्षम हो सकेगी ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी पूरी कोशिश की जायगी कि यह प्रथा खत्म हो जाय। सब जगह ऐसा नहीं है, बहुत सी जगह म्युनिसिपैलिटीज ने इसका इन्तजाम किया है—हाथ की गाड़ी सप्लाई करने का और कमिश्नर्स को यह आदेश है कि वह हर म्युनिसिपैलिटी में इसका प्रबन्ध करायें कि किसी तरह से भी नई प्रथा चालू होनी चाहिये और पुरानी प्रथा खत्म होनी चाहिये।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी पूरी कोशिश की जायगी कि यह प्रथा सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो जाय। अब तक (private) और Customary मेहतरों को hand cart buckets देने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। शासकीय आदेश दिनांक २९ मार्च, १९६१ द्वारा Model bye law no. 3 में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। जिसके द्वारा उनको सर पर मैला ले जाने की कतई मनादी है। उक्त bye law को स्थानीय निकायों द्वारा ग्रहण किये जाने के बारे में विभिन्न खंडों के आयुक्तों को भी निर्देश दे दिये गये हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि नगरपालिकायें अपने मेहतरों को कड़ा ढोने के लिये गाड़ियां देती हैं। private और Customary Sweepers को गाड़ियां देने की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है।

मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर संलग्न हैं।

चतुर्भुज शर्मा

स्वा० शा० मन्त्री ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश के द्वितीय सत्र, १९६१ के ४ थे सोमवार दिनांक २८ अगस्त, १९६१ के लिये निर्धारित श्री लक्ष्मण राव कदम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९ और १० के उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(९) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या शहरों में नगरपालिकायें जनता की ठट्टियों को साफ करने वाले प्राइवेट मेहतरों से मैले को अपने खाद के गढ़ों में डलवा लेती हैं? यदि हां, तो क्या वह उनको उसका कुछ मुआवजा देती हैं?	जी हां, परन्तु मेहतरों को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।
(१०) क्या सरकार को पता है कि उक्त मेहतरों को वह मैला अपने सरों पर ढोना पड़ता है ?	सरों पर मैला ढोने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है, परन्तु प्राइवेट मेहतरों को हाथ की गाड़ियां देनी की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। अतएव यह मैला मेहतर बर्तनों में हाथ से ढोते होंगे।

चतुर्भुज शर्मा

स्वायत शासन मन्त्री।

तत्थो 'ङा'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५ पर)

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २३ अगस्त, १९६१ को श्री झारखंडेराय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६-७ के सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर राय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि ये बोरे चोर सेंध लगाकर ले गया था या धीरे-धीरे गुम हुये ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था "कि गोदाम उसी मकान में था, उसका एक पार्टनर था जिसका लेवी शेयर था। उसने बोरे एक दूसरे कमरे में रख दिये थे। बोरे पकड़े जा चुके हैं, गुम नहीं हैं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "गोदाम उसी मकान में था, उसका एक पार्टनर था जिसका लेवी शेयर था। उसने बोरे एक दूसरे कमरे में रख दिये थे। पुलिस द्वारा तलाशी लेते समय केवल ७३ खाली डी० डब्लू० बोरे पाये गये हैं।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

जगमोहन सिंह नेगी

खाद्य मन्त्री।

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९६१) के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री झारखंडेराय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ व ७ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(६) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर द्वारा संचालित अटरा के गल्ला गोदाम सं० ४० से २४० बोरा चावल चोरी चला गया है ?	(६) जी हां।
(७) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है।?	(७) पुलिस द्वारा जांच कराई गई और मुकदमा न्यायाधीन है।

जगमोहन सिंह नेगी

खाद्य मन्त्री।

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५ पर)

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २९-८-६१ को श्री लक्ष्मण राव कदम द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४-५ के सम्बन्ध में श्री गौरीशंकर राय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि माता टीला बांध में फाटक न लगने की वजह से जो सिंचाई का टारजेट था उसमें कितने फीसदी का नुकसान पड़ रहा है?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि फाटक लगने से एक लाख एकड़ में सिंचाई और होगी।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार ह "फाटक लगने के पश्चात् ३,१३,५८२ एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

ह० राममूर्ति
सिंचाई मंत्री

श्री लक्ष्मणराव कदम द्वारा पूछे गये अल्पसूचित विधान सभा प्रश्न संख्या ४---५।

प्रश्न	उत्तर
(४) क्या सरकार को पता है कि माता टीला बांध में फाटकों के न लगने के कारण उसमें पानी का पूरा भराव व उससे पूरी सिंचाई नहीं हो पा रही है?	(४) जी हां।
(५) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बांध के बनने का काम कब खत्म हुआ था और अभी तक फाटकों के न लगने का क्या कारण है?	(५) जून, १९५८ में फाटक विदेश (यूगो-स्लेविया) से बनकर अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं।

ह० राम मूर्ति
सिंचाई मन्त्री।

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५५ पर)

अध्यक्ष महोदय,

१४वें गुरुवार दिनांक १९ मई, १९६१ को श्री राम पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में श्री चन्द्रजीत यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि जिस लेखपाल ने गलत इन्दराज किया था उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? उस समय सदन में भूल से यह उत्तर दिया गया था कि उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई।

वस्तुतः उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। इस सम्बन्ध में जिलाधीश आजमगढ़ की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हुई है, जिससे मालूम होता है कि वास्तव में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। अतएव सही उत्तर इस प्रकार है :—

"कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि सम्बन्धित लेखपाल ने आलोच्य कब्जे सम्बन्धी इन्दराज के सम्बन्ध में नियमानुसार फार्म प० क० १० बनाया था जिससे प्रतीत होता है कि इन्दराज करने के पीछे लेखपाल की कोई अनुचित भावना नहीं थी।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

हुकुम सिंह बिसेन,
न्याय मन्त्री।

विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६१ के १४वें गुरुवार दिनांक १८-५-६१ के लिये निर्धारित श्री राम सुन्दर पांडेय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(१) क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसील घोसी जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम दुबारी के कई व्यक्तियों ने ९-२-६१ को जिलाधीश आजमगढ़ एवं परगनाधीश घोसी के पास गलत इन्दराज को तत्काल दुरुस्त कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि इन्दराज ठीक नहीं होंगे तो कत्ल होने की आशंका है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?	जी हां, जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था। इसमें १० इन्दराजों के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। जांच में केवल एक इन्दराज गलत पाया गया जिसे ठीक करा दिया गया है।

हुकुम सिंह बिसेन
न्याय मंत्री

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७३ एल० ए०—१९६२—८४५।